खण्ड-233, अंक-1
सोमवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1884
(13 अगस्त, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 233 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचनाएं	६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	६
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद (अस्वीकृत)	६–७९

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

RA
3081

सोमवार, १३ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४०७

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमारसिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केसरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछे, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद महरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविंदसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायणसिंहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगुलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री

नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम दास, श्री
परमाई, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाँडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाँकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री

मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पाँडेय, श्री
रामआधव, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबाबी, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकमसिंह, राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री

विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय' प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—वन मंत्री, अलगूराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह, सिंचाई उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय तथा लघु उद्योग उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---मेरे पास तीन विशेषाधिकार की सूचनायें आयी हैं जिनमें से दो पुरानी हैं---एक माननीय उग्रसेन जी की और उल्फतसिंह जी की। माननीय उल्फतसिंह जी नहीं हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं। (माननीय उग्रसेन जी से) आपकी जो विशेषाधिकार की सूचना है उसके सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत कर रहा हूं। उसके बाद ही मैं उस पर कोई अंतिम आदेश दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, इस पर आप शीघ्र ही अपना आदेश दें। यह चिड़ियाघर का मामला है, बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष---एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी की है। यह उसी विषय से सम्बन्धित है जिसके प्रति माननीय नेता विरोधीदल ने पिछली बार सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि "नवभारत" में एक विज्ञप्ति छपी कि "उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि पर लगान लगाने के अतिरिक्त भूमिकर विधेयक २० अगस्त को पास होगा। विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि भूमि पर लगान के अतिरिक्त, लगान का ५० प्रतिशत भूमिकर के रूप में लगाने का निश्चय कर लिया है।" और इसके आगे भी है यह विशेषाधिकार की सूचना से स्पष्ट नहीं है कि किसी मंत्री द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है। इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता। अतः इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---जिस समय राजा साहब ने इस सम्बन्ध में कहा था उस समय माननीय मुख्य मंत्री ने यह नहीं कहा कि नहीं दिया है। माननीय मुख्य मंत्री ने अभी तक उसके बारे में यह नहीं कहा कि यह सूचना गलत है, उसका प्रतिवाद नहीं किया गया इसलिये वह खबर सच तो है ही।

श्री अध्यक्ष---जब यह प्रश्न किया गया कि यह सत्य है या असत्य, तो मैंने कहा था कि यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी नहीं बताया कि यह कैसे निकल आया और न इसका प्रतिवाद किया।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप उनसे पूछिये। मेरे पास तो जब तक कोई स्पष्ट सूचना न आ जाय कि मंत्रिमंडल द्वारा यह बात कही गयी है तब तक मैं इसे विशेषाधिकार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---टेक्जेशन का लीकेज तो स्वयं ही विशेषाधिकार का प्रश्न होता है।

श्री अध्यक्ष---आप बैठें।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत कई एक सूचनायें आयी हैं। उन सूचनाओं में मैंने आदेश दे दिये हैं। किसी को मैं स्वीकार नहीं कर पाया हूं। माननीय सदस्य कृपया उन आदेशों को देख लें।

मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद---(क्रमागत)

राजस्व मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरा विचार इस विवाद में भाग लेने का नहीं था, लेकिन जब मैंने इस प्रस्ताव पर गंभीरता के साथ

---

†१० अगस्त, १९६२ की कार्यवाही से।

विचार किया तो मुझे यह प्रतीत हुआ कि यह प्रस्ताव केवल कांग्रेस गवर्नमेन्ट के लिये चुनौती नहीं है, बल्कि कांग्रेस आर्गनाइजेशन के लिये चुनौती है। कांग्रेस सरकार अगर इस प्रस्ताव के जरिये से अलग होती है तो बहुत बड़ा धक्का कांग्रेस आर्गेनाइजेशन को पहुंचेगा। कांग्रेस हमारे देश में एक ऐसी संस्था है और अकेली संस्था है जो इस तरह सुदृढ़ तौर पर संगठित है और सारे हिन्दोस्तान में व्यापक है। इसलिये मेरा यह कर्त्तव्य हुआ कि मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ अर्ज करूं। इस तरफ के हमारे भाई जो कांग्रेस दल की तरफ से आये हैं इनके पीछे कुछ सेक्रिफाइसेज की एक पृष्ठभूमि है। वे ऐसे नहीं हैं जैसे कि उस तरफ कुछ लोग बिना किसी तरह का त्याग किये ही आकर बैठ गये हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--क्या अभी भी त्याग की जरूरत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमेशा त्याग करने की जरूरत रहती है और रहेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ जो शूर सामन्त बैठे हुये हैं, जब तक इनके दम में दम रहेगा तब तक कांग्रेस सरकार यहां कायम रहेगी, कायम रहेगी, कायम रहेगी। आज आपके मुकाबिले में हम १०५ हैं और हर व्यक्ति, हर सिपाही, कांग्रेस सरकार व कांग्रेस संगठन के लिये अपना लास्ट ड्राप आफ ब्लड देने के लिये तैयार है। मैंने सोचा और देखा कि आज तक बड़े-बड़े चतुर खिलाड़ी आ चुके हैं और यह खेल कर चुके हैं, बारम्बार कर चुके हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारे पालीवाल जी जिनको कि हम भीष्म पितामह समझते हैं, बड़े अनुभवी और पुराने कांग्रेस के सिपाही थे, वे भी इस सदन के मेम्बर रहे हैं। हमारे भाई त्रिलोकीसिंह जी, जिनको मैं कर्ण का तखल्लुस देता हूं, वे बड़े निपुण सेनानी रहे हैं, हमारे भाई राजनारायण जो कलियुगी द्रोणाचार्य कहे जाते हैं, वे भी इस सदन के मेम्बर रह चुके हैं। तो ये खिलाड़ी इस खेल को पचासों मर्तबा हर ६ महीने पर यहां खेलते रहे, लेकिन उनका हर प्रयास विफल रहा और उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कई मित्रों से मेरी बातचीत हुई जिनका कहना यही है कि सदन का दो दिन का यह समय बर्बाद हुआ, जनता का पैसा बर्बाद हुआ, इन दो दिनों में कोई और काम हो सकता था। वैसे हार तो जायेंगे ही, लेकिन एक रेजोल्यूशन ले आये हैं। इससे मैंने यह नतीजा निकाला कि रेजोल्यूशन के जो सपोर्टर हैं वे खुद ही सीरियस नहीं हैं, बिलकुल नानसीरियस हैं। बेमौके कोई औजार इस्तेमाल करने से वह गुट्ठल हो जाता है। यह नोकांफिडेंस का औजार आपोजीशन के लिये बहुत बड़ा औजार है, लेकिन मैंने देखा कि अपोजीशन इसके लिये बहुत सीरियस नहीं है। मुझे दुख व अफसोस है कि दुबे जी आज यहां मौजूद नहीं हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--वे बीमार हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--तो उनके डिप्टी लीडर मौजूद हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस रेजोल्यूशन के सम्बन्ध में सीरियस हैं तथा क्या आप यह आशा करते हैं कि यह रेजोल्यूशन पास हो जायगा और यह गवर्नमेन्ट हट जायगी ?

श्री उग्रसेन--जरूर जरूर, शाम को देखियेगा लाबी में।

श्री हुकुमसिंह विसेन--हम तो देख चुके हैं और फिर देखेंगे। अगर आप सीरियस हैं और आपको आशा है कि यह रेजोल्यूशन पास हो जायगा तो ठीक है, गवर्नमेन्ट हट जायगी। लेकिन आप जरा कृपा करके बतलाइये तो कि फौरन कौन गवर्नमेन्ट आयेगी और उसकी रूपरेखा क्या होगी ? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जनसंघ की लीडरशिप में क्या श्री उग्रसेन जी कोई पद स्वीकार कर सकेंगे ? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका दिल इसे गवारा नहीं करेगा, नहीं करेगा।

श्री उग्रसेन--मुझे स्पष्टीकरण कर लेने दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं ईल्ड नहीं करता। सोशलिस्ट पार्टी कभी भी जनसंघ की मातहती में कोई पद ग्रहण नहीं करेगी और अगर करती है तो सोशलिस्ट नहीं रह जायेंगे, उनकी वकत हमारे देश से बिलकुल गायब हो जायगी। वैसे ही मैं पी० एस० पी० से पूछना चाहता हूं कि क्या जनसंघ की मातहती में वह कोई पद ग्रहण करने के लिये तैयार है? नहीं हैं, भाई गेंदासिंह जी सर हिला रहे हैं, कहते हैं कि नहीं करेंगे, ऐसा मेरा खयाल है। श्री जेड०ए० अहमद साहब ने कल कहा है, अखबार में उन का बयान छपा है कि हम जनसंघ या स्वतंत्र पार्टी के साथ नहीं रह सकते, असेम्बली में तो शायद मिल जायं, लेकिन बाहर उन से हम नहीं मिल सकते। क्या बात है? क्या उसूल हैं? अब श्री चन्द्रशेखर जो जो सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं वह कहते हैं कि हम कम्युनिस्टों से नहीं मिल सकते। तो जब यह हालत है उस तरफ, तो गवर्नमेन्ट कौन बनायेगा? क्या जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी बनायेगी, स्वतंत्र पार्टी भी इतनी हयादार है कि वह भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में ६ पार्टियां हैं जिन के प्रस्ताव पर दस्तखत हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे ५ सवारों की एक कहावत याद आ गई, यहां ६ सवार हैं, तो किस्सा यह है कि ५ सवार जा रहे थे जिसमें से ४ तो अच्छे कलारास घोड़े पर सवार थे और एक पीछे से टूटी-फूटी घुड़िया पर सवार था। किसी ने उनसे पूछा कि भाई कहां जा रहे हो तो कहने लगे कि सब सवार दिल्ली जा रहे हैं। तो वहां तो ५ ही सवार थे यहां तो ६ सवार दिल्ली जा रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता और न मेरी यह आदत है, लेकिन मैं यह समझने से कासिर हूं कि इस तरह से ६ मुंह से बोलने वालों में से सरकार कौन बनावेगा ?

मैं एक बात में माननीय गुप्ता जी से भी इत्तफाक नहीं करता। जिस दिन इस अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस आया था उस दिन गुप्ता जी ने नेता विरोधी दल की तरफ इशारा किया था कि आइये आप गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी को लीजिये और हमें सुबुकदोश कीजिये। लेकिन मेरा कहना है कि हम कमजोर हाथों में गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं हैं और न अपनी जिम्मेदारी को हम छोड़ सकते हैं। ऐसा करने को यह कांग्रेस सरकार हरगिज तैयार नहीं है। जब तक हम देख न लें कि विरोधी दल कोई स्टेबिल गवर्नमेन्ट बना सकता है तब तक हम प्रदेश की ७ करोड़ जनता को अनसेफ दशा में छोड़ कर हट नहीं सकते। जिस दिन जनता हमसे कहेगी, जिसने हमें चुनकर यहां बिठाया है, उस दिन हम इस भार को छोड़ कर चले जायेंगे, लेकिन आप के कहने से नहीं जाने वाले हैं। जनता ने हमें मेजारिटी में भेज कर सपोर्ट किया है, इसलिये हमने गवर्नमेन्ट बनाई है। हम अगर मुतमईन करना भी चाहें तो किस को मुतमईन करें, क्योंकि वह तो ६ मुंह से बात करते हैं, उन को मुतमईन करना हमारे लिये सम्भव नहीं है। ऐसी सूरत में यह गलत है कि कोई कांग्रेस और उस की सरकार को यहां से हटा सके। हमने काम किया है, कांग्रेस सरकार ने काम किया है, बिना जनता के विश्वास को लिये हुये हम यहां आकर नहीं बैठ गये हैं, साठ वर्ष का कांग्रेस का इतिहास है। कितनी ही कलकी पार्टियां आई और रह गई, जिनका नामकरण भी ठीक से नहीं हुआ। पहले स्वतंत्र पार्टी कन्जरवेटिव पार्टी के रूप में आई उस पर एतराज हुआ तो वही स्वतंत्र पार्टी बन गई। रोज नाम बदलने से क्या होता है? यह स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ प्लानिंग के खिलाफ हैं, समाजवाद के खिलाफ हैं और हम को कहते हैं कि यह कांग्रेस कैपिटलिस्ट्स के हाथ में अपना सिर दिये है और उन को नाजायज फायदा पहुंचा रही है, लेकिन उन के नुमाइन्दे कैपिटलिस्ट्स से कम नहीं हैं। गोंडे में उन्होंने क्या कैपिटलिस्ट को खड़ा नहीं किया ?

कुछ सदस्य—रामरतन गुप्ता को किस ने खड़ा किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब देखा उधर से हम ने कि ऐसा कैन्डीडेट खड़ा है तो हम ने भी ऐसा मोहरा लगाया कि उनका नुमाइन्दा चारो खाने चित्त गिरा। मैं कहता हूं कि

इस तरह गलत बातें कहते हुये कोई शोभा नहीं देता । आप घबड़ाइये नहीं मैं सबं की खबर लूंगा (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि कांग्रेस ने सेवायें की हैं, लेकिन उधर के कुछ लोग जो सामने बैठे हैं उनका हमसे कुछ कीना है । एक बात भूल गया, भाई गेंदासिंह जो बड़े सोबर आदमी हैं, लेकिन उनसे मैं कहूंगा कि उनके साथ जो नये बछेड़े हैं उनके लिये वह कोई इंतजाम कर लें नहीं तो....

श्री उग्रसेन---वह आप की ही जाति के हैं।

हुकुमसिंह विसेन---तो क्या काबुल में गधे नहीं होते ?

मैं कहना चाहता हूं कि हमने काफी सेवायें की हैं। हमने जमींदारी का खात्मा किया। बड़े-बड़े राजे महाराजे जो सामने बैठे हैं और उनके गुमाश्ते तथा अर्जीनवीसों के लिये लाजिमी था कि हमारे खिलाफ हों, क्योंकि जनता की हमने सेवा की। जिन किसानों की रीढ़ टूट गई थी जमींनदारों की अत्याचारों से आये दिन जिलेदारों द्वारा मुर्गा बनाये जाते थे, हाथ-पैर फैला दिये जाते थे हमारे जिले में एक राजा साहब थे उनके खानदान में दो जूते थे, समझावन, और बुझावन दो-दो फिट लम्बे, वे किसानों के सर पर टूटते थे। अगर कोई किसान अपने जायज हक के लिये सर उठाता था तो जूतों से समझाया बुझाया जाता था। ऐसे ऐसे जुल्म किये जाते थे सिहरन होती है। किसान का बैल मर जाय तो चरसा ले लिया जाता था, पहले जमींदार की सीर को जोत दो तब अपने खेत पर जाता था। यह सब हमने १९२१ से देखा है। इन सब बातों को देखकर ही कांग्रेस सरकार ने जमींदारी का खात्मा किया। उससे हमारे किसानों को राहत मिली और आज एक लम्बी सांस भरने का मौका मिला। आज वह चेहरा उठा करके सीना तानकर के चलता है। किसी जमींदार की मजाल नहीं जो उनसे बेगार ले ले। अब नतीजा यह है कि जमींदारों की सीरें वैसे ही पड़ी हुई हैं, कहीं इधर उधर से मजदूरों से बुग्रा लेते हैं और पैदावार अच्छी नहीं होती। यह समझते हैं अगर कांग्रेस सरकार की प्लानिंग कामयाब हो गई तो किसानों की हालत कहां से कहां बढ़ जायगी। यह इनको पसन्द नहीं आती, लिहाजा जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी के नाम से एक नया चोला धारण करके यहां आये हैं और प्लानिंग के खिलाफ हैं। कहते हैं कि टैक्स न लगे। बड़ी हमदर्दी है। टैक्स क्यों न लगे ? टैक्स लगने से प्लान हमारी कामयाब होगी और किसानों की हालत सुधरेगी और इनकी हालत बिगड़ेगी, बस यही बात है जिसकी वजह से इन्हें प्लानिंग पसन्द नहीं है। इन सब बातों से इनके लिये नाराज होना स्वाभाविक है और हम बुरा नहीं मानते । अपनी ताकत आजमाई करते रहे। लेकिन जब तक कांग्रेस की दम में दम है तब तक अपोजीशन, जो ६ मुंह से बोलने वाला है, कुछ नहीं कर सकता।

हमारे भाई उग्रसेन जी दिल ही दिल मसोसते हैं, और इधर उनकी भी तबियत भी नाशाद है। पहले उग्रसेन जी नो-कांफीडेंस का प्रस्ताव लाये आज से ढाई, तीन महीने पहले जिस पर माननीय दुबे जी खड़े हुए और कहे कि अभी पेश न कीजिये। शायद माननीय झारखंडे राय ने भी मना किया, गेंदा सिंह जी ने भी माकूल सलाह दी। जब वह तनहा रह गये तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं प्रेस करते। तो वजह क्या थी ? वजह यह नहीं थी कि उग्रसेन जी से उनको हमदर्दी थी, बल्कि चूंकि उग्रसेन जी को श्रेय जाने वाला था इस वजह से इन सब लोगों ने कहा कि वापस ले लो। लेकिन हमारे उग्रसेन जी न मालूम क्या सोचते हैं, मौके बे मौके साठ गांठ कर लेते हैं। अगर इस तरह से नासमझी से काम लिया जायगा तो लीडरशिप खतरे में पड़ जायगी क्योंकि आपके कम्पटीटर उस ग्रुप में हैं। भाई नरसिंह नारायण जी कदम बढ़ाये हैं। तो बहुत सोच-समझ कर काम कीजिये।

माननीय जेड०ए० अहमद साहब ने भी दस्तखत कर दिये।

श्री उग्रसेन---हमारे पास मंत्रिमंडल नहीं है जो लोगों को भर लेंगे नहीं तो बतात।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब आप बतायेंगे तो हम दूसरा सबक सिखायेंगे।

माननीय जेड०ए० अहमद साहब बोले नहीं। हम नहीं जानते यह कहां तक ठीक है। उनका कहना है बेवकूफी की बात है, लेकिन उनके साथ कुछ चन्द नौजवान हैं। पर दस्तखत करने के बाद बोले, नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैंने तो दस्तखत नहीं किया पर बोल रहा हूं, क्योंकि समझता हूं यह बात गलत है। मैं उनसे आशा नहीं करता हूं, कि ईतने बड़े पार्लियामेंटेरियन हो कर इस तरह से दबाव में आकर दस्तखत कर देंगे। दस्तखत अगर किया था तो तहइया कर लेना था और और काम छोड़ कर इसको अन्जाम देना था, लेकिन उन्होंने बयान दे दिया कि मैं जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के साथ मिल-जुल कर कोई डिमांस्ट्रेशन नहीं करना चाहता। जब बाहर डिमांस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो असेम्बली में बैठ कर आपके साथ गवर्नमेंट चलायेंगे ? अगर आप सोचते हैं तो यह भूल है। अन्तर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए अगर आप इस देश की भलाई चाहने वाले हैं तो झारखंडे राय और उनके ग्रुप को छोड़ दीजिये, उनका तो चीन से गठबंधन है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—बुला रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं बुला सकेंगे। बुलाइयेगा तो पछताइयेगा। जब चीन से कोई फौज आयेगी तो वह कह देंगे लिब्रेशन आर्मी आ रही है, स्वागत है। दूध पिलायेंगे। खास तौर से जो राजा साहब हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अब भी गनीमत है। सुख से रोटी तो खा रहे हैं। उनके आने पर बड़े बड़े महलों के आउट हाउसेज में, कोठरी में जगह मिलेगी और सब छीन लिया जायगा। उनसे यही आशा की जा सकती है। आपको सचेत हो जाना चाहिये। बेमेल मेल न कीजिये। हमारे उग्रसेन जी हैं। बड़े जोशीले हैं। उनकी मैं कद्र करता हूं, लेकिन भैंसे के साथ जोत दिये जाते हैं। उनको जरा होशियार रहना चाहिये। उनको मीठी-मीठी बातों में नहीं आना चाहिये। दुबे जी की लच्छेदार बातों में न आइये, उनका वाक्पटुता में न आइये।

श्री ऊदल—आप क्यों टैक्स लगाने जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जरूरत होगी तो टैक्स लगायेंगे। अगर जनता के फायदे के लिये टैक्स होगा तो जरूर टैक्स लगायेंगे, लगायेंगे, लगायेंगे, कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं तो कभी ऐसी बात करता नहीं, लेकिन बेमौके की शहनाई बजाना शोभा नहीं देता। जिस समय टैक्स का बिल आयेगा तो जो चाहे कहियेगा, ताली बजाइयेगा, लेकिन इस समय तो अविश्वास का प्रस्ताव है। मैं इर्रेलेवेंट बात न कहने को तैयार हूं, न सुनने के लिये।

कम्युनिस्ट पार्टी का साम्यवादी नारा यहां नहीं चल सकता। वह वहां जायें और सीमा के उस पार बसें। आप स्वतंत्र पार्टी को, जनसंघ पार्टी को बहका लें, लेकिन गेंदा-सिंह और उग्रसेन कभी इस चक्कर में नहीं आने वाले हैं।

श्री उग्रसेन—हम लोगों की तरफ से राजस्व मंत्री सफाई क्यों दे रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सफाई की जरूरत नहीं है। मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। मैं यह कह रहा था कि अखबारों के पढ़ने से और आपस के रवैये से यह अन्दाजा लगता है कि शायद अपोजीशन कोई मजबूत गवर्नमेंट बना नहीं सकती। ऐसी सूरत में इस गवर्नमेंट को हटाने का प्रयास करना किसी तरह से शोभनीय नहीं है, जनहित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। और मैं आपको बतलाऊं कि ६,६ मर्तबा प्रयास हुये। हमारे पालीवाल जी थे, हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी थे, राजनारायण जी थे, लेकिन हमारे सारथी कौन थे श्यामवर्ण बाबू सम्पूर्णानन्द और हमें बार-बार उन्होंने बचाया। इस टीम के अगुवा हैं

बाल ब्रह्मचारी चन्द्रभानु गुप्त ! लिहाजा आपके लिये हार लिखी है, हार लिखी है हार लिखी है, और बिना वजह आप प्रयास कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा सारगर्भित भाषण अभी मैंने राजस्व मंत्री जी का सुना है। इस उम्र में भी इस हाउस में इतनी बुलन्द आवाज से एक गलत बात को कहना यह उन्हीं के साहस का काम है। श्रीमन्, मैं उनके भाषण का उत्तर तो केवल इतना सा देना चाहता हूं कि अंग्रेज जब इस मुल्क में थे तो माननीय ठाकुर साहब को भी वे यह कह कर इंकार करते थे कि स्वराज्य लेने के लायक आप नहीं हैं। आप हमारे अगुआ थे उस जमाने में और अंग्रेज का कहना बराबर यही था कि हिन्दुस्तान में कांग्रेस और कई इतने भिन्न-भिन्न दल हैं कि वह देश के शासन को बरबाद कर देंगे। इसलिये यह शासन अंग्रेजों के हाथ में रहना चाहिये। वे गये कब? जब हिन्दुस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया। मैं समझता हूं माननीय ठाकुर साहब को ऐसी आदत छोड़नी चाहिये और यह सोचना चाहिये कि उनकी उम्र अब ऐसी जगह पहुंच गयी है कि उनको आज से पहले ही रिटायर कर जाना चाहिये था।

श्री हुकुमसिंह विसेन—साथ ही साथ रिटायर होंगे।

श्री गेंदासिंह—लेकिन अगर कांग्रेस अपने को अमर समझती है और वह कभी भी शासन की कुर्सियों से नहीं हटना चाहती तो वे इस बात का भी न्योता देना मंजूर करें कि शांतिपूर्ण तरीके से आप हटना नहीं चाहते हैं और अगर आप हटेंगे तो किसी और तरीके से हटेंगे, टुकड़े-टुकड़े कर के हटेंगे। मैं समझता हूं कि मुल्क में किसी बड़ी पार्टी को, जिसके हाथ में इतनी ताकत हो, जिसके अन्दर जनता का इतना घोर विश्वास हो, जिसको इतने दिनों तक जनता गद्दियों पर रख कर उसके पीछे खड़ी हो, यह कर्तव्य हो जाता है कि वह मुल्क में अपने आगे की पीढ़ी तैयार करे और अपना आल्टरनेटिव तैयार करे। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस का नेतृत्व इस बात में बिलकुल सो रहा है, उसकी उपेक्षा कर रहा है और यह बात जितने भी खतरे की कही जाय उतना थोड़ा है। यह कैसे कहा जाय कि कांग्रेस आज उतनी ही मजबूत है। जिस इश्यू पर यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है मैं तो नम्रतापूर्वक कहता हूं कि जरा निर्भीक हो कर इस पर राय तो लीजिये। यह गवर्नमेंट शाम को ढुलक जायगी। लगान बढ़ाने के जिस इश्यू पर यह प्रस्ताव आया है उस पर राय लेने में आप उस तरफ के लोगों में ही हारियेगा, इधर के लोगों में हारने की बात तो अलग रही। आप माल मंत्री हैं। आपको इसकी जानकारी दूसरे लोगों से ज्यादा है। मालगुजारी बढ़ाने की वजह क्या है? इस डेमोक्रेसी में आखिर विचार विनिमय का, लोगों को समझाने बुझाने का, यह तरीका है या यह कहना कि हम हमेशा जीतते रहेंगे और तुमको दबाते रहेंगे, यह तरीका तो नहीं है। डेमोक्रेसी का जो एलीमेंटरी उसूल है उसको ध्यान में रखियेगा। या नहीं? आप क्यों नहीं समझाने की कोशिश करते? आप मालगुजारी बढ़ाना चाहते हैं तो किसके ऊपर बढ़ाना चाहते हैं और क्यों बढ़ाना चाहते हैं? यह बात कौन समझायेगा? बजाय यह समझाने के हम उन बातों को कहें कि जिन बातों से एक मजाक हो, लाफिंग स्टाक बने यह हाउस, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है।

आपके बमूजिब, आपने परसों कहा था कि जमीन की मालगुजारी इस वक्त २३ करोड़ २५ लाख वसूल करते हैं। क्या किसी जमाने में भी इतनी मालगुजारी जमीन की रही है? मैं दूसरे राज्यों को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। टक्सेशन इंक्वायरी कमीशन के अनुसार मालगुजारी ४ रुपये ४२ नये पैसे प्रति एकड़ है और देश का जो औसत है वह केवल १ रुपया ९२ नये पैसे प्रति एकड़ ही है। हमारे ऊपर आपने इतना बोझ डाला है। आपने यह समझा है कि किसान धनी है इसलिये इससे निकाला जाय और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

जाना चाहिये, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि बड़े अफसरों के हाथ में जाना चाहिये या बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जाना चाहिये। फिर भी आप कहते हैं कि हमारी हालत बिगड़ी। यह मैं नहीं कहता, बल्कि आपके ठाकुर साहब ने कहा कि वे सम्पूर्णानन्द जी के बल पर जीते। माननीय सम्पूर्णा नन्द जी के शब्द हैं कि किसान के ऊपर टैक्स का और बोझ नहीं लादा जा सकता है। वह सैचूरेशन प्वाइंट पर पहुंच चुका है। एक तरफ तो आप सम्पूर्णानन्द जी की बात मानते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम मालगुजारी बढ़ायेंगे। नियोजन के युग में किसान गरीब हुआ है और दूसरे लोग बढ़े हैं। मैं नहीं कहता, बल्कि आंकड़े आपके सामने हैं उनको आप देख सकते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपके सामने है उसे आप पढ़ सकते हैं।

फिर आप से मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस से रुपया लेना चाहते हैं। यू० पी० की सरकार अपने को बड़ा बनाना चाहती है। हमें कोई शिकायत नहीं है। आप बड़े बनेंगे तो हम भी बनेंगे। २१ अरब में से कैसे आपने केवल एक अरब ६६ करोड़ ही रुपया लिया। यही शेयर उत्तर प्रदेश का रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय कोई खोज खबर नहीं ली। उस समय यह सरकार क्यों चुपचाप बैठी रही? इसी प्रकार से ७५ अरब में से क्या ५ अरब ही आपके हिस्से में आता है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह मेरी बात गौर से सुनने की कृपा करें। मैंने तो उनसे कहा था कि वह एक राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस बुला लें। मैं सुनाने के लिये तैयार हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं आगे जाना चाहता हूं कि तीनों योजनाओं में से स्टेट प्लान और सेंट्रल प्लान दोनों को वर्क आउट करके वे बतायें कि स्टेट का कितना होता था। स्टेट को १४७ करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। मैं दूसरी स्टेट्स के भी फिगर्स देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश को ९३ करोड़ रेज करना था जिसमें ४५ करोड़ दूसरे तरीकों से रेज करेंगे और ४८ करोड़ माल-गुजारी बढ़ा कर रेज करेंगे। गुजरात को १२२ करोड़ रेज करना था जिसमें वह ९३ करोड़ दूसरे तरीकों से रेज करेंगे। सिर्फ २९ करोड़ वह रेज करेंगे मालगुजारी बढ़ा कर। मदरास को १०१ करोड़ रेज करना था जिसमें ५६ करोड़ वह दूसरे तरीकों से रेज करेंगे, ४५ करोड़ मालगुजारी बढ़ा कर रेज करेंगे। महाराष्ट्र को २२० करोड़ रेज करना था, जिसमें १६८ करोड़ दूसरे तरीकों से रेज करेंगे, केवल ५२ करोड़ मालगुजारी बढ़ा कर रेज करेंगे। पंजाब जिसने पिछले दस वर्षों में जितनी तरक्की की है यह सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है, उसको ९७ करोड़ रेज करना था, जिसमें ५७ करोड़ दूसरे तरीकों से रेज करेंगे, ४० करोड़ सिर्फ मालगुजारी बढ़ा कर रेज करेंगे। उत्तर प्रदेश को १४७ करोड़ रेज करना था। इसमें से ३८ करोड़ और तरीकों से रेज करेंगे और १०९ करोड़ मालगुजारी बढ़ाकर आप रेज करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—गलत बात पर बयान न दीजिये।

श्री गेंदासिंह—भगवान करे हमारी इनफार्मेशन गलत हो। मैं ऐसी जगह पर यह बात कह रहा हूं जहां पर इसको चैलेंज किया जा सकता है। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की आप की ही पुस्तिका है और इसी के सारे फीगर्स हैं। इसको देख कर जरा बयान दीजियेगा क्योंकि गलत बयान देने की आदत पड़ गयी है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस बूते पर यह मालगुजारी बढ़ाने की बात आप सोचते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल आफ स्टेट पालिसी को ध्यान में रखा गया है? अगर उनको ध्यान में रखा गया होता, तो इस तरह से इकोनामिक पावर का बंटवारा होता कि लेस प्रिविलेज्ड नीचे लोगों को ऊपर उठाना, और बड़े लोगों को नीचे करना। उत्तर प्रदेश की सरकार बता दे कि दस वर्षों के कार्य कलाप में उसने किस जगह पर ऐसा किया

है, तो मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। जहां कहीं ज रूरत पड़ी वहां बड़े उद्योगपतियों की वकालत हुई, जीत हुई। मैं एक ज्वलन्त उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारा बड़ा भारी कैश क्राप है जो किसान गन्ना पैदा करता है। क्या यह सही नहीं है कि १९५० से लेकर १९६२ तक ३० करोड़ रुपये के लगभग मिल-मलिकों ने किसानों का खाया डेफर्ड प्राइस की शक्ल में, दूसरी चीजों की शक्ल में? लेकिन आज तक सरकार क्या उसका फैसला कर पायी है? १९५२-५३ से १९६२ तक दस वर्ष की जो डेफर्ड प्राइस मिलनी थी, किसी अपने हिसाब करने वाले को बिठा कर हिसाब लगवाइये, ३० करोड़ इन मिल मालिकों पर होता है या नहीं? जब मैंने शुगर इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन का नाम लिया और सरकार की आमदनी बढ़ाने का नाम लिया, तो माननीय गुप्ता जी ने कहा कि एक अरब रुपया कम्पेनसेशन देना पड़ेगा। मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहूंगा कि इससे ज्यादा बकालत मिल मालिकों की कोई नहीं की जा सकती। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप हिन्दुस्तान के इकोनोमिस्ट्स की, अकाउन्टेंट्स की एक ट्रिब्युनल बनाइये, वह बता दें कि एक अरब रुपये का मुआविजा शुगर इंडस्ट्री को देना पड़ेगा। किस बुनियाद पर देना पड़ेगा?

आपकी तीन फैक्टरियां नीलाम हुई हैं। दो-तीन वर्ष के भीतर नीलाम हुई है, भटनी, कठकुइयां और पडरौना की फैक्ट्रियों। इन तीनों फैक्ट्रियों के दाम २५-२६ लाख से ऊपर नहीं गये। मैं पूछना चाहता हूं कौन-सी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिसकी २५ लाख से ऊपर में आपने नीलाम किया हो? तो जब नीलामी में २५ लाख रुपया एक फैक्ट्री का आता है तो किस हिसाब से आपने ७० फैक्ट्रियों का कम्पेन्सेशन १ अरब रुपया कह दिया? आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिये था। माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ भी कहते वक्त जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिये। मिल मालिकों की छाती गज भर की हो गई जब उन्होंने सुना कि माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि १ अरब रुपया कम्पेन्सेशन का उनको मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं और कहता हूं कि बैठाइये किसी एकोनोमिस्ट को और कराइये इसका फैसला, देखिये कितना रुपया आता है? रिजर्व बैंक आफ इंडिया की बुलेटिन देखिये, कितना उनका असेट है, कितनी फिक्स्ड पूंजी है, कितना वर्किंग कैपिटल है, इन सारी चीजों को देखने के बाद आप इसका हिसाब लगाइये। आपका जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का सुस्त हमा जो आज हमको खाये जा रहा है, उसको इतनी तमीज नहीं है कि आपको सही इत्तला दे सके और उस पर आप हमसे चाहते हैं कि हम उसके लिये और पया दें और करभार बढ़ाकर के काश्तकार की कमर तोड़ दें।

श्रीमन्, इतनी ही बात नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि कोई काम आप करते हैं, हम समझते हैं कि आप ईमानदारी से करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है गोरखपुर और देवरिया में? गोरखपुर और देवरिया में आपने नारायणी से छेड़छाड़ की, जब आप जानते थे कि उस छेड़छाड़ के बाद आप उसे सम्भाल नहीं पायेंगे, अंग्रेजों की बनाई हुई वह योजना थी, तो आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिये थी। माननीय सिंचाई मंत्री राममूर्ति जी बैठे हुये हैं, मैं जानना चाहता हूं, आप खुद वहां गये थे और जहां आप पिछले साल जाने से रोक दिये गये थे, वहां जाकर के हम लोगों ने देखा है। आप आज जाकर के देखें गोरखपुर के लाखों आदमियों को नरक में डाल दिया गया है या नहीं। अगर आप नहीं सम्भाल सकते थे और आपके इंजीनियर और टेक्नीशियन्स इतने अहमक थे कि वह इसको सम्हालने में असमर्थ थे तो मैं समझता हूं कि आपको यह छेड़खानी नहीं करनी चाहिये थी।

दूसरी बात मैं ला ऐंड आर्डर की जरूर कहूंगा। क्या वजह है कि लखनऊ में इतने कत्ल और इतनी डकैतियां हो रही हैं? क्या वहज है कि बुलन्दशहर में इतने कत्ल और इतनी डकैतियां हुईं। (व्यवधान) देवरिया में भी हो रही है। मैं स्वयं घेरा गया था चुनाव के दिनों और चुनाव के दिनों में अब चूंकि बनारसी दास जी ने टोका है तो मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों से घेरा गया गया था जिसके आपने खड़ा करके मुझे हराने का काम सौंपा था। उन लोगों न मुझे

[श्री गेंदासिंह]

रात को घेरा था और श्रीमन् उसकी पब्लिसिटी भी हुई दूसरे दिन । लेकिन आपने क्या उसकी आज तक कोई खबर ली कि क्यों मैं घेरा गया था ? तो गेंदासिंह की जान तो आपके लिये बड़ी सस्ती है, और आप पहरे में रहिये, आपके लिये पब्लिक एक्सचेकर खर्चा करेगा, और इधर बैठने वाले जो हैं उन्हें जहां चाहे वहां मारा जाय (व्यवधान) मैं समझता हूं कि भगवान हमारी मदद करेगा, हमें आपकी पिस्तौल नहीं चाहिये ।

एक बात और मैं कह देना चहता हूं, मै किसी मिनिस्टर को ऐक्यूज तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि, उन्हीं के एक कुलीग ने एक डकैत की सफाई दी जो डकैत जाकर बयान देने को तैयार था कि मैं इस डकैती में शामिल था, उसकी सफाई से उन्हीं के एक कुलीग द्वारा यह कहा गया कि उनके विजय उल्लास के जुलूस में वह एक बजे दिन से एक बजे रात तक उनके साथ था और वह छूट गया । उसके बाद दूसरी दो हमीरपुर की डकैतियों में वह ऐक्यूज्ड हो गया और अब वह फिर मुलजिम हैं और शायद पहले भी किसी मामले में उसे सजा हो चुकी है, लेकिन एक मिनिस्टर साहब जिनके जुलूस में एक हजार आदमी चले जा रहें हों, वह एक ऐसे सरगिरोह आदमी को १ बजे दिन से १ बजे रात तक अपनी आंख के सामने ही रखे रहे। (लाल बत्ती जलने पर) दो मिनट का वक्त आप मुझे और देंगे । (व्यवधान)

(श्री बनारसीदास के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर श्री गेंदा सिंह बैठ गये ।)

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये कि जो वक्ता बोल रहे हों अगर वह स्वयं दूसरे की बात को सुनने के लिये बैठ जाते हैं, तो वह बात सुनी जावेगी और किसी माननीय सदस्य को उसके ऊपर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । माननीय गेंदासिंह जी विघ्नकर्ता को सुनना चाहते थे तो आप लोगों की आपत्ति बिलकुल गलत थी ।

श्री उग्रसेन---वह खड़े क्यों हुये थे ? जब वह खड़े हुये तो फिर यह बात पैदा हुई.....

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठ जायं ।

श्री गेंदा सिंह---मैं अपने दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई मिनिस्टर या कोई सदस्य उस तरफ से कुछ कहना चाहता हो तो मैं ईल्ड करने के लिये तैयार हूं । अगर हम कोई गलती करते हों तो उसको बतलायें । मैं बनारसीदास जी से यह कहना चाहता हूं कि उनकी मिनिस्ट्री के लोग यह कहें कि वह आदमी उनके विजय जलूस में शामिल था अगर वह मिनिस्टर भी ऐसा काम करता है तो फिर हमारी रखवाली कौन करेगा ? ला ऐन्ड आर्डर बहुत बेदर्द होकर और बड़े सतर्क होकर मेन्टेन किया जा सकता है । ला ऐन्ड आर्डर की हालत इधर ४, ५ महीने से बहुत खराब हो गई है । जान बहुत सस्ती हो गई है और डकैती एक मामूली चीज हो गई है । खासतौर से मैं यह समझता हूं कि जब लखनऊ के इर्दगिर्द और प्रान्त के अन्दर रेलवे स्टेशनों का लूटना जारी हो तो हम भय से कॉप जाते हैं क्योंकि वह सरकार की प्रापर्टी है। आर० पी० एफ० वहां पर रहती है तब भी रेलवे स्टेशन लूट लिया जाता है। मैं होम मिनिस्टर नवल किशोर जी से जानना चाहता हूं कि पिछली ५० साल की हिस्ट्री में एक हफ्ते के अन्दर इतने स्टेशन लूटे गये हैं कभी ? क्या वजह है इसको सोचना चाहिये कि हमारे ला ऐन्ड आर्डर की स्थिति इतनी क्यों बिगड़ गई ?

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपके सारे प्रपोजल्स कर बढ़ाने के मन्जूर कर लूंगा अगर मेरी दो बात को मान लें या आप दो बात कर दें। एक तो यह है कि ३१ लाख बेकारों की फौज इस पंचवर्षीय योजना के बाद जो हमारे यहां खड़ी रहेगी उनको रोजगार देने का आप संकल्प करें। हमारे उत्तर प्रदेश की योजना में ५ अरब की गुंजायश है और हम रोजगार दे सकते हैं। मैं समझता हूं यह सदन इस बात को स्वीकार करेगा अगर गुप्ता जी

कहें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ५ वर्ष के भीतर इतने नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था करेगी। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के लिये हमने कुछ नहीं दिया है तो उनसे हमको कर लेने का या उनके ऊपर कर बढ़ाने का अधिकार नहीं है। उनको आप छोड़ दें और उनके ऊपर कर का भार न डाला जाय। अगर आप इतनी बात कर दें तो हम आपके प्रपोजल्स का समर्थन करेंगे। और मैं यह कहता हूं कि समर्थन ही नहीं किया जायगा, बल्कि हम कर वसूल करने में सरकार की मदद करेंगे। मेरा विचार है कि उस चीज को राउन्ड टेबिल कान्फ्रेन्स में बैठकर हासिल किया जाय।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसके विरोध में खड़ी हुई हूं। अभी पिछले ही दिनों हमारे विरोधी दल के भाई उग्रसेन ने कुछ बड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शब्द यहां पर प्रयुक्त किये थे। आपकी आज्ञा से मैं उग्रसेन जी के उन्हीं शब्दों को यहां दोहराना चाहती हूं जो उन्होंने बड़ी उग्रता के साथ कहे थे कि हम क्यों जायं, कब जायं और किसके लिये जायं? मैं उनको ध्यान इन शब्दों की ओर दिलाना चाहती हूं और उनसे यह पूछना चाहती हूं कि आज यह अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन में क्यों प्रस्तुत हुआ है? किस समय प्रस्तुत हुआ है और किसके लिये प्रस्तुत हुआ है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज ऐसे क्या कारण आगये थे? ऐसी कौन-सी आपत्ति ऊपर से आगई थी कि यह प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत हुआ? क्या विरोधी दल को यह आशंका थी या आप लोग यह आशा करते थे कि एक तरह से आप लोग, जो हम लोगों की पंचवर्षीय योजना है, उसके ऊपर बोलने के लिये हमारी जबान बन्द कर दें और हम जनता के सामने, जो कुछ उसके हक में है, जो उसका अधिकार में है, उसका जस्टीफिकेशन न दे सकें दूसरी तरफ आप लोग अपना लगान का प्रस्ताव लाये और अपने मन के गुब्बार सरकार के सामने प्रकट किये। आपने व्यर्थ के लांछन सरकार के ऊपर लगाये जिनमें कोई दम भी नहीं है।

फिर उसके बाद आपने तीसरा प्रहार कांग्रेस के ऊपर यह किया, जो कि एक बिलकुल बेकार-सी चीज है, अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के प्रति प्रस्तुत किया। आपने उसके द्वारा यह जनता के सामने रखने का निष्फल प्रयास किया कि कांग्रेस एक बिलकुल बेकार-सी चीज है, वह शासन का भार ग्रहण करने के बिलकुल अयोग्य है और उसे शासन का भार छोड़ देना चाहिये। हमारे नेता विरोधी दल ने गांधी जी, विनोबा भावे और जय प्रकाश की दुहाई दी और आपने कहा कि यही आपकी नीति है, यही आपकी भावनायें हैं, यही सब कह कर आपने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कांग्रेस हर तरह से जनता का भला करने में असमर्थ रही है यह अपका आक्षेप बिलकुल निराधार है, बिलकुल गलत है। यह कहां का न्याय है, यह कहां का इन्साफ है कि आप एकदम, अचानक बगैर तय्यारी के अपना अविश्वास का प्रस्ताव लाकर के हमारी जबान बन्द करना चाहते हैं। हमारे मार्ग में आप रोड़ा अटकाने का प्रयास करते हैं। यह आपकी टेक्निकल ब्लन्डर है। पर यह जो कुछ भी आपने किया है वह समयानुकूल किसी भी दशा में नहीं कहा जा सकता है। वह समय आपका मिसफायर कर गया, आप इस प्रस्ताव को पेश करने में मिसकेलकुलेशन कर गये। आपने यह सोचा कि सरकार इसके लिये तैयार नहीं है और एकदम से अविश्वास का प्रस्ताव लाकर सरकार को हैरेस कर देंगे। इस प्रकार से आपने सोचा कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जायगा। पर यह आपकी कोरी भूल है। मैं तो यों कहूंगी कि आपने विरोधी दल ने ऐसा करके किसी अच्छे मोरैल का उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया बल्कि आप बौखलाहट में ही पड़ गये। विरोधी दल ने जब कोई रास्ता न देखा तो प्रक्रिया नियमावली की शरण ली परन्तु मैं आपसे बताना चाहती हूं कि ऐसा करने से तो आपके मोरेल को और भी बड़े जोर का धक्का लगा। ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में लार्ड मैकाले ने जो इंपीचमेंट आफ वारेन हेस्टिंग्स के बारे में लिखा था उस पर मैं आप लोगों से गौर करने को कहूंगी। जिस भाषा का प्रयोग किया गया था, जो ओजस्वी भाषण हुये थे वहां वह आज इतने साल बीत जाने पर भी एक अपना ही महत्व रखते हैं। हमारे नेता विरोधी दल ने कुछ बातें बहुत अच्छी बताई पर आपने जो, अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसमें कोई जान नहीं थी और आपको अपने अन्दर

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

स्वंय विश्वास नहीं था उस अविश्वास के प्रस्ताव को पेश करते समय । इसीलिये मैं फिर पूछती हूं कि यह प्रस्ताव क्यों, कब और किसलिये प्रस्तुत किया ?

दूसरी बात मैं यह कहूंगी कि मेरे ऊपर भी माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ कहा था । आप लोगों के आश्वासन कि मैं मंत्री बनूंगी, पूरा हो जाने पर ईश्वर ही जानता है कि क्या होगा । मैं आपसे यही कहूंगी कि जो कुछ आपने मेरे बारे में कहा मैं उसको और अधिक स्पष्ट कर देना चाहती हूं । मैं कहना चाहती हूं कि करप्शन केवल पी० डब्ल्यू० डी० में ही नहीं है बल्कि हमारे हर नेशनल वर्ग की रग रग में है । वह करप्शन सोशल लेजिस्लेशन से नहीं जा सकता है । यह करप्शन उस कैन्सर की तरह है जो कि रेडियम के ट्रीटमेंट के द्वारा ही जा सकता है । इसके लिये हमें प्रारम्भ में ही प्रयत्न करना होगा, आगे चलकर वह नहीं क्योर हो सकता है । इसलिये आपको करप्शन को यदि मिटाना हो तो व्यक्तियों के मस्तिष्क में परिवर्तन लाना होगा, जिसमें विरोधी दल के हर एक भाई के सहयोग की भी आवश्यकता है ।

एक बात और मैं आप से कहना चाहती हूं कि सरकार ने कभी यह बात नहीं कही कि हम परफेक्ट हो गये हैं । हां, आगे चल कर हो जायेंगे । मैं यह कहती हूं कि यूटोपिया (Utopia) और मिलैनियम का जो कन्सेप्ट होता है वह कन्सेप्ट यह है । 'इट इज ए नेसेसरी ईविल' (It is a necessary evil) । हम अधिक टैक्स समृद्धि बढ़ाने के लिये ही लगाना चाहते हैं । प्लानिंग को पूरा करने के लिये ही ऐसा करना चाहते हैं । आपको चाहिये था कि इस सोशल ईविल को दूर करने में अपना सहयोग प्रदान करते पर इसकी जगह आपने अविश्वास के प्रस्ताव जैसी बेकार की बातें प्रारम्भ कर दीं ।

चौथी बात नेता विरोधी दल ने यह कही है कि एक बड़ा स्वर्ण चित्र कांग्रेस ने हमारे सामने रखा है कि अभी आप लोग भूखों मरें आगे चलकर आपको स्वर्ग मिलेगा । तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हम लोग आज भूखों मर रहे हैं ? क्या हम लोगों ने कुछ भी प्रगति नहीं की है ? यदि आप आंकड़े देखें तो यह बात आपको जाहिर हो जायगी । प्रगति हम कर रहे हैं । १० साल की प्रगति में हम कभी भूखों मरे हों ऐसा तो नहीं मालूम पड़ा है । हमने प्रगति ही की है और कर रहे हैं। जो भीषण अकाल बंगाल में पड़ा था उसमें ३० लाख जनता भूखों मर गयी थी । आपको मालूम है कि इन १० सालों के अन्दर पहले जो ६ आउन्स अनाज एक व्यक्ति को खाने को मिलता था वह बढ़ कर अब ८ आउन्स हो गया है । २९ लाख टन हमारी उपज बढ़ी है, ४५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि का सिंचन हुआ है, ५३ हजार किलोवाट अतिरिक्त बिजली पैदा हुई है, ३ हजार मील के करीब नयी सड़कें बनाई गयी हैं, ८८ नये पुल बनें हैं । हमारी शिक्षा का प्रतिशत जो पहले केवल ९ था वह अब बढ़कर २५ प्रतिशत हो गया है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देखिये, कितनी प्रगति हुई हैं ? पहले हमारी लाइफ का औसत २८ वर्ष समझा जाता था, अब वह बढ़ कर ४७ वर्ष हो गया है । यह कैसे हुआ है ? यह तभी तो हुआ है जब कि हमारे खान-पान का स्तर बढ़ा है, स्वास्थय के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । इसलिये मैं निवेदन करूंगी आप इन बातों की तरफ भी ध्यान देकर सोचें । हम यह नहीं कहते कि हम हर क्षेत्र में परफेक्ट हो गये हैं, वह हम अभी १०-१५ साल और हो भी नहीं सकते । अभी तो हमारी टेक-आफ स्टेज है, उसी एक एरोप्लेन की तरह से, जो स्टार्ट होने से पहले टैक्सी करता है, टैक्सी करने पर, धीरे-धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती है, और ऐसा करते-करते फिर वह एक दम छलांग मार कर ऊपर बढ़ता है । कोई भी प्रगति एकदम नहीं हो सकती । उसके लिये समय चाहिये । वह धीरे-धीरे ही संभव है ।

आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ७५ फीसदी जनता कृषि पर ही निर्भर है । हमारे पूर्वी क्षेत्र में तो ८२ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं । वह क्षेत्र तो कृषि प्रधान क्षेत्र है । जब देश में ६० प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, उस समय हमारे यहां कम से कम ७५ फीसदी हैं । इस चीज को भी आपको देखना चाहिये । जब आप एक चीज में किसी से समानता लाते हैं तो उसमें दूसरी चीजों को भी आपको देखना चाहिये । हमारे विरोधी दल के नेता की तरफ से कहा

गया कि यह उत्तर प्रदेश की योजना उत्तर प्रदेश के लिये वरदान नहीं अभिशाप है। मैं उन्हीं के शब्दों में कहना चाहती हूं कि योजना अभिशाप नहीं है, योजना तो हमारा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम उत्तर प्रदेश के गरीबों के अभिशाप को दूर करना चाहते हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगी कि हम लोग एक होकर इस अभिशाप को दूर करें। आज पहाड़ी क्षेत्रों में, बुन्देलखंड के क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में ४७ फीसदी लोग बहुत ही नीचे स्तर पर हैं। इनको आपको भूलना नहीं चाहिये। कोई भी चीज आगे बढ़ती है तो उस सभी में उनका भी हिस्सा है। अगर उस तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो हम कोई भी प्रगति नहीं कर सकते और जिस तरह से ला आफ ग्रैवीटेशन किसी चीज को नीचे खींचता है उसी तरह हमारी यह ४७ फीसदी निर्धनता भी हमारे हर काम को ला आफ रियेलिटी नीचे घसीट लेती है। इसलिये इस चीज को अभिशाप न मान कर बल्कि योजना को वरदान मानकर हम सब को अपना सहयोग प्रदान करना चाहिये।

माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत कुछ वायदे किये थे और उनको वचनवद्ध होना चाहिये, उसको पूरा करना चाहिये। मैं उन्हीं के शब्दों में कहना चाहती हूं कि इसी साल हमारे कानपुर में जनसंघ की तरफ से यह घोषणा की गयी थी कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जनसंघ की सरकार अवश्य स्थापित हो जायेगी और ४०० के करीब विधायक यहां मौजूद रहेंगे, चुन कर आयेंगे। बड़ी अच्छी घोषणा की थी आपने। मैं पूछती हूं वह पूरी क्यों नहीं हुई ? ४०० की जगह २०० आ जाते, १०० आ जाते, ५० भी तो नहीं आये वह भी ४९ तक ही रह गये। आपकी तरफ से घोषणाएं तो बड़ी सुन्दर की गयी थीं, लेकिन क्या पूरी नहीं हुईं ? आपही के शब्दों में मैं कहूंगी कि "प्रजातन्त्र को चलाने के लिये, उसकी रक्षा के लिये, यह आवश्यक है कि जो भी घोषणायें हों, उनका सम्मान हो। यदि वे केवल पापुलारिटी गेन करने के लिये की जाती हैं तो आप डेमोक्रेसी के लिये कब्र खोदते हैं।"

एक बात और कहना चाहती हूं। स्वतन्त्र दल के नेता यहां नहीं हैं, उन्होंने उस दिन कहा था योजना के संबंध में कि बड़े अरमान लेकर आये थे, कोई अभिलाषा पूरी नहीं हुई। विरोधी दल अगर कांग्रेस को नहीं हटा सकते तो उनके कारनामें उनका इतिहास उनको अवश्य एक दिन हटा देगा, यह जनता उनको निकाल देगी। मैं कहती हूं कि जनता के सामने हमने जो वायदे किये हैं वे सब हमारे घोषणा-पत्र में अक्षरशः लिखे हुये हैं और उसी के आधार पर हम आज चल रहे हैं। हमने जनता से जो वादे किये हैं वह अगर पूरे नहीं होंगें तो समय अवश्य हमें निकालेगा। लेकिन समय से विचारों में परिवर्तन होता है, कुर्सी भी बदल जाती है।

हमारे भाई झारखंडे राय जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया और कहा कि हमारा अगर ध्येय सही है, रास्ता साफ है तो हमारा वह साथ देंगे। उन्होंने जो हमारी योजना को माना, मैं इसका स्वागत करती हूं। अशोक मेहता जी ने भी पार्लियामेंट में योजना का स्वागत किया और यू० एन० ओ० के एक्सपर्ट्स ने भी किया है। मगर मैं उनसे कहूंगी कि लक्ष्य साफ होने के माने क्या हैं ? अगर हमारे प्रिकंसीव्ड मोशंस हैं तो लक्ष्य कैसे साफ हो सकता है ? उन्होंने कहा कि चोरों को भेज रहें हैं, चोरों को पकड़ने के लिये और देश भर में, कस्बे, कस्बे में गुप्ता राज स्थापित कराया जा रहा है। अगर आपका यही मतलब है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि इधर के बैठने वाली चोर मंडली है। ठीक है, लेकिन अगर उधर के बहुत से लोग भी इधर की मंडली में शामिल होना चाहते हैं पर शायद प्रवेश-पत्र नहीं मिला। तो उनको भी चोर होना चाहिये। पर शायद चोरों का भी एक कोड आफ कंडक्ट होता है, कोड आफ एथिक्स होता है, इस तरह से आसानी से वह इधर नहीं मिलाये जा सकते, चाहे उनकी कितनी ही इच्छा क्यों न हो।

कल के अखबार से ऐसा जाहिर हुआ कि जेड० ए० अहमद साहब ने वक्तव्य निकाला है कि जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टियां और वह एक संयुक्त मोर्चे में शरीक नहीं हो सकते, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आखिर सब पार्टी अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के क्या मतलब थे ? इस तरह से जो उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव को अस्वीकार किया और यहां उस पर हस्ताक्षर किये तो ये दोनों चीजें कितनी इनकम्पैटिबिल हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वह अपनी पोजीशन का स्पष्टीकरण करें।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

इन शब्दों के साथ मुझे माननीय चन्द्रभानु गुप्त के वे शब्द याद आ जाते हैं जब उन्होंने कहा था कि अपने राज्य की गरीबी को देखते हुये आजादी से तो हम लोग संग्राम कर चुके हैं पर एक और भी बड़ा कठिन संग्राम हमें करना है और वह है गरीबी से, निर्धनता से, शिक्षा से, बेकारी से और वह हमें योजना के ही माध्यम से करना है । आज राष्ट्र-निर्माण के इस महान अनुष्ठान में आप सब लोग धन और श्रम और बुद्धि का यथाशीघ्र योगदान दें । मैं नम्र निवेदन के साथ यह अनुरोध करूंगी कि जिस प्रस्ताव में आपका स्वयं विश्वास नहीं है कृपा करके आप उसको वापस लीजिये ।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस बात पर विवाद होते समय यह शंका व्यक्त की गयी कि आखिर यह अविश्वास का प्रस्ताव पास होगा या नहीं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन बहुमत से देखा है और वह इस प्रकार देखा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपको क्या बताऊं ? आप तो उसमें प्रथम सिगनेटरी हैं अध्यक्ष महोदय ? जब इस सदन में कभी भी काँग्रेस पार्टी ने जुल्म की हद कर दी, ब्यूरोक्रैसी की हद हो गयी, प्रशासन ढीला हो गया तो आपने उस आन्दोलन को अपने हाथ में लिया, काँग्रेस के तमाम अनुशासनों को भुलाकर । तब फिर आज ऐसे समय में अनुशासन कैसे चलेगा ? मुझे विश्वास है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात भले ही हो कि माननीय चरण सिंह ने ५८ वर्ष की आयु में एक वक्तव्य दिया हो और जब घटने लगा हो तो चुप रहे हों, मगर जब सारे प्रदेश पर टैक्सेशन का सवाल है तो मैं कैसे न विश्वास करूं कि जब थोड़ी-सी मामूली बात पर काँग्रेस के माननीय सदस्यों ने हिम्मत के साथ कहा कि सरकार को निकाल देना चाहिये यह निकम्मी है और आपने स्वयं उसमें सबसे पहले हस्ताक्षर किये तो इस अवसर पर इस अविश्वास के प्रस्ताव पर वे हमारे साथ नहीं हैं ? आपने स्वयं शायद विधान सभा के इतिहास में सबसे पहले नियम ५३ के अन्तर्गत अनुमति दी कि यहाँ इस बात पर बहस हो कि इस काँग्रेस के राज्य में इतनी ट्रेन डकैतियाँ और स्टेशन डकैतियाँ हो रही हैं और इस पर विवाद करने की स्वीकृत आपने दी । इस बहस का अन्त मेरी समझ में नहीं आया । हाँ, एक बात समझ में आती है । एक जगह मैंने एक कमेंट पढ़ा था, अध्यक्ष महोदय आपको छोड़ कर कह रहा हूं । अगर वह बात सही है कि "A Congressman is socialist in theory and opportunist in practice. तब सब कुछ सही हो जायगा । अगर कोई अपार्चुनिटी आपने अवेल की उस समय, दरअस्ल ईमानदारी से उस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था तो मैं समझ लूंगा कि आज वह अपार्चुनिटी उन काँग्रेसमैंनों के साथ नहीं है जो उधर बैठे हैं इसलिये यह प्रस्ताव गिर सकता है । लेकिन यह प्रस्ताव इसलिये नहीं गिर सकता कि उसका सदन में समर्थन नहीं है, यह प्रस्ताव इसलिये भी नहीं गिर सकता कि काँग्रेस सरकार ज्यादती नहीं कर रही है, प्रस्ताव इसलिये भी नहीं गिर सकता कि विरोधी पक्ष कुछ कमजोर है, अगर गिर सकता है तो एक बात से गिर सकता है कि काँग्रेसमैन थ्योरी में सोशलिस्ट हैं, लेकिन प्रैक्टिस में अपार्चुनिस्ट हैं । अगर यह बात सही है तो यह प्रस्ताव जरूर गिर जायगा ।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं उन महानुभावों से अपील करना चाहता हूं, जिन्होंने उस समय हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया था । गुप्त जी उस समय सदन में नहीं थे, लेकिन गुप्ताजी का एक वक्तव्य "पंचायत विकास" में निकला है । उससे पता चलेगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य-मुख्य योजनायें क्या हैं । मुख्य पुलिस योजना है । गुप्ताजी ने अपने वक्तव्य में सबसे मुख्य बात यह कही है : "हमारा चुनाव स्वतंत्र था और लोगों ने आँख खोलकर मतदान किया । इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकतर व्यक्ति यह महसूस करते थे कि बिना अधिक धन के अधिक उत्पादन नहीं हो सकता और अधिक धन का मतलब है अधिक कर ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं अधिक धन का मतलब कभी अधिक कर नहीं हुआ करता। इकोनामी भी हम कर सकते हैं, कन्द्रीय सरकार से भी अधिक धन ले सकते हैं। जब तक साफ न किया जाय कि किस प्रकार के टैक्सेशन होंगे, किस प्रकार का व्यवहार होगा, उस समय तक केवल एक लाइन में यह कह देना कि अधिक धन का मतलब है अधिक कर, यह सिद्ध नहीं हो सकता। १९१५, १९१६, १९१८, १९२९ के सभी कांग्रेस के प्रस्तावों को आप देखिये, उन सब में एक बात मिलेगी और वह यह कि जो जमीन जोतने वाला है उसका लगान कम से कम ६० वर्षों के लिये निश्चित होना चाहिये, इसके बिना उसकी दशा सुधर नहीं सकती। एक प्लानिंग कमीशन नन्दाजी की अध्यक्षता में बना उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये कहा था :—

"The rights of the tenants remained generally unchanged except that a tenant who did not possess the rights of transfer could purchase this right on payment of ten times the rent in which case he became a bhumidhar with the right of transfer and his rent was reduced by half."

दो प्रकार से प्रदेश की हालत सुधर सकती है। भूमि-सुधार से और औद्योगीकरण से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक औद्योगीकरण का जो हाल रहा उसके लिये भूतपूर्व और वर्तमान मुख्य मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश में उद्योग की दिशा में कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक भूमि सुधारों का प्रश्न है, मध्यवर्तियों को समाप्त कर देने के अलावा कांग्रेस सरकार ने आवश्यक भूमि-सुधारों के पक्ष में कोई कदम नहीं उठाया। टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की राय इस प्रकार थी :—

"But the revenue realised from the former tenants is the same as the rent paid by them previously to the intermediaries and has not been revised on the abolition of the intermediaries. The land has not been resettled on the hitherto accepted principles of revenue assessment, viz. productivity of land, cost of cultivation, economic facilities, etc. It appears that in these states (जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है) considerations such as past history political expediency and the administrative difficulties mostly influenced the rates of land revenue recently fixed and these are to continue for a time."

उनका कहना है कि आज भी काश्तकार के लगान पर राजनीतिक बातों का आघात हो रहा है। जब हम यह देखते हैं कि उन तमाम पुराने वायदों के होते हुये सरकार अपनी योजनाओं में किस रूप में सामने आ रही है तो मुझे यह अविश्वास होने लगता है कि यह सरकार कुछ कर भी सकती है। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था, माननीय दुबेजी ने कहा था, कि हम जिस पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं उस प्रशासन से हमें क्या मिलता है? मुख्य मंत्री जी के आर्डर के बाद महीनों फाइलें यहाँ पड़ी रहती हैं और मुख्य मंत्री जी का ऐडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि चपरासी गाली देते हैं ऐडमिनिस्ट्रेटर को। मुख्य मंत्री जी भी इसे स्वीकार करते हैं। और देखिये, पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन की यह हालत है कि आज किसी का जीवन खतरे से खाली नहीं है और प्रदेश में चारों तरफ डकैतियों का ताँता लगा हुआ है।

जहाँ तक आमदनी का सवाल है, अपने प्रदेश की आमदनी घटने और बढ़ने के बारे में मैं कहूंगा कि अखिल भारतीय सर्वे की रिपोर्ट के देखने से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की आमदनी ५० रुपये से कम है उनकी संख्या सबसे अधिक है ही, लेकिन जिन लोगों की आमदनी २०० और २५० रुपये के बीच में है या इससे अधिक है उन लोगों की संख्या भी इस प्रदेश में और प्रदेशों के मुकाबले में बहुत अधिक बढ़ गई है। इससे पता चलता है कि सबसे अधिक कठिनाइयों के मार्ग से आज मध्यम वर्ग गुजर रहा है। उस पर एक तरफ तो वह टैक्स है जो उसे खेती की ओर से आने वाली पैदावार पर देना पड़ता है और दूसरी तरफ वह टैक्स है जो

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

उत्पादन के तरीकों के कारण उसे देना पड़ता है। उसकी आमदनी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। केन्द्रीय सरकार भी यहाँ से कर लेती है और उनकी संख्या भी करोड़ों में है। जब हम विनियोग की रकम बड़े-बड़े लेखों में लिखकर प्रस्तुत करते हैं कि हमने ३७ रुपये प्रति व्यक्ति योजनाओं में खर्च किये तो हम भूल जाते हैं कि उससे अधिक रुपया केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकारें करों के रूप में वसूल कर चुकी हैं। हमारे प्लानिंग सेमीनार ने लिखा है कि दुख की बात है कि आज इतनी जल्दी प्लानिंग का पैटर्न बदलता है कि इससे पहले कि उसका कोई प्रभावी कदम हो सके, योजना में उसका पैटर्न ही बदल दिया जाता है। इंडस्ट्री, कृषि, हर क्षेत्र में यही बात है। और वह पैटर्न इसलिये बदला जाता है कि पैटर्न बदलने से बुराइयाँ छिप जाती हैं।

आज इस अविश्वास के प्रस्ताव के लिये, अध्यक्ष महोदय, सहारा आपका है और अपने उन सिद्धातों का जिन्होंने पहले आपको प्रेरित किया था।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलते हुये मैं राजस्व मंत्री जी की सेवा में पहले २, ३ मिनट लगाना चाहूंगा। जब यह अविश्वास का प्रस्ताव आया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर विरोधी दल वाले इतनी उतावली में हैं और हमारे मंत्रिमंडल को हटाकर नया मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि प्रस्ताव आज ही आ जावे। इस पर मुझे दुख हुआ। क्योंकि उस कथन में उनके अपने बहुमत के अहंकार की व्यंजना थी। साथ ही माननीय राजस्व मंत्री जी ने भी अपने उसी अहंकार में जो कुछ कहा उससे मुझे भारी कष्ट हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अविश्वास के प्रस्ताव से, जो उनके कथनों में निश्चय ही फेल होगा, व्यर्थ ही दो दिन का इस सदन का पैसा खर्च होगा। इस पर मुझे एक बात याद आ गई और वह बहुत अप्रिय प्रसंग की बात है, पर, मान्यवर, मैं आपसे आज्ञा माँग कर उसे कहना चाहूंगा। उसी प्रसंग पर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राजस्व मंत्रीजी को उनकी प्रशंसा में बौद्धिक व्यायाम का आनन्द लेने वाला और संसदीय परम्परा का बहुत बड़ा ज्ञाता बतलाया था। राजस्व मंत्री जी यहाँ हैं नहीं, इसलिये मुझे उनके संबंध की बात कहने में बहुत आनन्द भी नहीं आ रहा है। उन्होंने लगान के संबंध में जो प्रस्ताव था उसका विरोध करने में इससे अधिक समय न केवल बरबाद किया बल्कि इससे सदन की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगाया। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि राजस्व मंत्री जी अपने बौद्धिक व्यायाम का आनन्द ले रहे थे। उनका एतराज टैक्नीकल था, पर उस संकल्प को बहस में न आने देने की उनकी मंशा नहीं थी। मुख्य मंत्री के इस कथन के विरोधाभास को, मान्यवर, आप स्वयं समझ सकते हैं। वह बौद्धिक व्यायाम का आनन्द लेने के लिये उस सवाल को उठा गये और साथ ही उस संकल्प को बहस के लिये न आने देने की भी इच्छा उनकी नहीं थी। अगर यह सब कुछ माननीय मंत्री जी ने सामान्य रूप में कहा था तो निश्चय रूप से यह इतनी लचर दलील थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता। और अगर बहुत ही तीखे व्यंग में यह बात कही गई तो मैं नहीं समझ सकता कि हमारे राजस्व मंत्री जी इस तीखे व्यंग को समझे भी होंगे या नहीं। सदन में किसी पर डालने के लिये चादर ओढ़ कर आनेवाले राजस्व मंत्री को यह समझना चाहिये कि जब वह प्रश्नों के उत्तर देते हैं—आज मैं कहने के लिये विवश हूं—उत्तर देते समय वे जो मजाक करते हैं जिसकी प्रशंसा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की है, ऐसा उत्तर आपके नियम ३९ की अवहेलना करता है, उससे हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम २८९ के उप-नियम (२-क) की अवहेलना होती है और थोड़ी-सी नियम ३६ की मर्यादा को भी आँच आती है।

श्री अध्यक्ष—डाक्टर साहेब, आप विषय पर आ जावें।

श्री रघुनाथसिंह—अच्छा। बलिया में नदियों के कटाव को रोकने के लिये ठोकर लगाने के प्रश्न के उत्तर में बलिया को ठोकरें मारने और असर न होने के मजाक की बात मंत्रीजी ने कही थी। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन ४२ की क्रान्ति के बलिया की ठोकर लगेगी उस दिन मंत्री जी को मालूम हो जायगा। उसकी एक ही ठोकर असर कर जायगी।

मेरा निवेदन है कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को सभी पहलुओं से देखना चाहिये। संसदीय परम्पराओं का ज्ञाता तो हमारे कांग्रेस के सदस्य अपने को बहुत अधिक समझते हैं। ठीक है। मगर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचें और बतलावें कि चाय की दूकान पर, अपने कमरों में, होटलों में वे विरोधी पक्ष के लोगों से क्या-क्या बातें किया करते हैं— बड़ी लम्बी चौड़ी बाते करते हैं, हम लोगों से ज्यादा विरोध की बातें करते हैं, अखबारों के जरिये भी वे असंतोष की बातें जनता में आती हैं, इस परोक्ष चर्चा का ज्यादा महत्व है। यहां तो न वे लोग अपना मत ही प्रकट कर सकते हैं और न हाथ ही उठा सकते हैं। लेकिन परोक्ष में जितना असंतोष कांग्रेस दल के लोग व्यक्त करते हैं, उतना हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारे पास तो केवल उसके लिये अधिक समय ही नहीं होता।

माननीय राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्रीजी को अपने बहुमत पर इतना गर्व है तो क्यों नहीं गुप्त मतदान द्वारा इस गुप्त मंत्रिमंडल का फैसला कराते हैं? हो सकता है कुछ इधर के लोगों का भी मत उनको मिल जाय। अगर वे इस चैलेन्ज को मान लेते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि वे मंत्री के रूप में जो काम करते हैं उस पर उनका पूर्ण विश्वास है। जनता की बदकिस्मती से मान लीजिये आपका मंत्रिमंडल फेल नहीं होता है या फेल हो जाने के बाद भी आपका ही मंत्रिमंडल फिर बन जाता है, तब भी अविश्वास के प्रस्ताव से एक लाभ तो अवश्य ही हो जायगा कि प्रशासन संबंधी बहस से कुछ आपके होश ठिकाने आ जायेंगे।

इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसके समर्थन में जो १५५ आदमी खड़े हुए थे यह भी स्वयं एक बहुत बड़ी बात है। उसके द्वारा हम आपको ताना-बाना बुनने वाले कबीर जुलाहे के कथन को याद दिलाना चाहते हैं जिसने कहा था कि अपने विरोधी को भी आदर के साथ रखना चाहिये क्योंकि वे बिना साबुन और पानी के स्वभाव को निर्मल बना देता है। यह तीन दिन की बहस, जिसके बारे में राजस्व मंत्री महोदय ने बताया कि हजारों रुपया व्यर्थ खर्च होगा, यह आपके लिये एक आइना होगा जिसमें आप अपनी मंत्रिमंडल के क्रिया-कलाप के काले कारनामों वाली शक्ल को देख सकते हैं। और जिस प्रकार से आइने में सूरत देखकर अपने बालों को ठीक किया जाता है, चेहरे पर लगी धूल को साफ किया जाता है और आंखों का कीचड़ ठीक किया जाता है उसी प्रकार से आलोचना के इस दर्पण को आप देखकर अपने आगे के कारनामों को ठीक करने का प्रयत्न करें जिससे आप जनता के लिये कल्याणकारी कार्य कर पायें। इस प्रकार से इस १२ हजार रुपये व्यय कर डालने से एक बड़ा अच्छा कार्य हो जायगा।

५ करोड़ रुपये के बचत की बात कही जा रही है। मैं नहीं समझता कि यह मंत्रिमंडल ५ करोड़ पये की बचत करने की चिन्ता में है या नहीं। आज भी इस सचिवालय में २४ घंटे व्यर्थ पंखे चलते हैं और बिजली जलती रहती है। मंत्री महोदयगण इस समय यहां बैठे हैं, लेकिन अगर अभी इन सब के कमरे में जाकर देखिये तो बिजली जल रही होगी और पंखे चल रहे होंगे और मोटी-मोटी गद्दियां हवा खा रही होंगी। कौशल्या जी ने सीताजी के लिये तो कहा था—दीप बाति नहिं टारन कहेहूं। लेकिन आज कल हमारे मंत्री महोदय न तो बत्ती बंद कर सकते हैं और न चपरासी से कह सकते हैं। और सीता जी से भी सुकुमार हो चले हैं। विधायक निवासों में देख लीजिये। वहां पर सैकड़ों शौचालय हैं जिनमें ६०—६० पावर के बल्ब लगे हैं वे भी दिन और रात जला करते हैं।

श्री अध्यक्ष—आपका का समय समाप्त हो गया।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र में विरोधी दल के माने हुये अधिकार हैं और सरकार की खामियों की तरफ समय-समय पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिये, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये हमारे कांस्टीट्यूशन में और नियमों में बहुत से अवसर हैं। दफा ५२, ५३ कटमोशन, एजर्नमेंट मोशन, बजट और गवर्नर्स एड्रेस आदि आदि ऐसे अवसर हैं जिन पर, इस प्रस्ताव के संबंध में कही गयी बातों को संकेत के रूप में कहा जा सकता था। लेकिन पहला तो प्रश्न हमारे सामने यह होता है कि अविश्वास का प्रस्ताव आना उचित था ? क्या जो कुछ कहा गया वह उनके अन्तर्गत संगत है और उसके आधार पर अविश्वास का प्रस्ताव लाना ठीक था या नहीं ? मान्यवर, मैंने इस बात का प्रयत्न किया कि दूसरे देशों की प्रणालियों को भी जरा देखूं, तो मैं एक भी मिसाल किसी देश की ऐसी नहीं पा सका, जहां पर इस रफ्तार से इतनी जल्दी और इस आधार पर अविश्वास का प्रस्ताव आता हो। हमारे देश में और लोकसभा में भी अविश्वास के प्रस्ताव की रफ्तार इतनी तेज और इस आधार पर आश्रित नहीं रही है।

इसके दो ही माने हो सकते हैं। या तो उत्तर प्रदेश के विरोधी दल के नेता दुनिया के प्रजातांत्रिक विरोधी दल के नेताओं से अधिक जनतंत्र को समझते और जानते हैं या यहां की सरकार में ही कोई ऐसा दोष है जो दुनिया में एक अनोखा दोष हो सकता है। अबकी दफा के अविश्वास के प्रस्ताव की विशेषता एक और भी है। अब तक इस सदन के सदस्य के नाते इस थोड़े से ही जीवन काल में मुझे अनेका अनेकों अविश्वास के प्रस्ताव देखने को मिले जब कि अविश्वास के प्रस्ताव के कारण एक, दो, तीन पन्नों में दिये रहते थे लेकिन अबकी बार के अविश्वास के प्रस्ताव की विशेषता यह है कि बिना कोई कारण दिये हुये केवल एक लाइन का ही प्रस्ताव है.....

श्री ऊदल---व्यापक है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---मैं नहीं जानता कि इसके माने वह हैं जो ऊदल जी बतला रहे हैं कि यह व्यापक है। इसके माने यही मालूम होते हैं कि उनके पास वास्तव में कोई कारण थे ही नहीं। अभी हमने उस दिन देखा कि जब इस तरफ से कहा गया कि अभी इस अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस आरम्भ कर दी जाय तो वे उसके लिये तैयार नहीं थे।

इस अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है थर्ड फाइव ईयर प्लान और उसके रिसोर्सेज के बारे में। ठीक बात है, इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी सदस्यों का कर्त्तव्य है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के रिसोर्सेज और उसके इम्पलीमेंटेशन के बारे में गौर किया जाय। अभी माननीय गेंदा सिह जी कह रहे थे कि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को दावत दी थी कि इसके लिये एक राउंड टेबिल कांफ्रेस की जाय और वे तैयार हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना पर डिस्कशन करने के लिये और सोचने के लिये कि उसके रिसोर्सेज कहां से उपलब्ध किये जायं। उन्होंने अवश्य ऐसी दावत दी होगी, वास्तव में उनके हृदय में लगन रहती है। मैं स्वयं उनका आदर करता रहा हूं। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत ऐसी दावत दी होगी, विरोधी दलों ने मिल कर जो प्रत्यक्ष प्रमाण इस सदन में दिया उसमें तो उस दावत का कहीं चिन्ह भी देखने को नहीं मिला। अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना के इम्पलीमेंटेशन के लिये रिसोर्सेज मालूम करने की बात थी तो उसके लिये राउंड टेबिल कांफ्रेस की क्या जरूरत थी ? सारे सदन के थोड़े से इने गिने आदमियों को ही नहीं आमन्त्रित किया जा रहा था कि आइये इतने महत्वपूर्ण विषय पर बैठ कर एक दूसरे से विचार-विनिमय करें और उसके प्रकाश में अपने प्रदेश को आगे बढ़ावें। लेकिन हमने देखा है कि उस अवसर को छोड़ दिया गया और किसी तरकीब से, किसी कारण से, किन्हीं आधार पर जिस समय विरोधी दल को मौका दिया गया था कि प्लान के ऊपर बहस कर लीजिये तो उनका कहना था कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। इसलिये उस पर बहस नहीं कर सकते, लेकिन आज विश्वास के प्रस्ताव के ऊपर एक दूसरे दरवाजे से उसी प्लान पर बहस हो रही है ? मैं नहीं समझ पाया कि इन दोनों बातों में

कहां तक कंसिस्टेंसी है। एक तरफ तो दावत देना और दूसरी तरफ अवसर मिलने पर उससे हट जाना तथा यहां पर अविश्वास का प्रस्ताव पेश होना। मान्यवर, आखिर इस बात को सोचा तो जाता कि अविश्वास के प्रस्ताव का कदाचित् कितना मूल्य होता है। केवल इस अविश्वास के प्रस्ताव पर ही करीब ४० हजार रुपये का खर्च हुआ उस गरीब जनता का जिसकी भलाई के लिये हम रात और दिन चिल्ला-चिल्ला कर दावा करते हैं। उस मितव्ययिता के लिये जिसके नाम पर सारे भाषणों में नारे लगाये गये। लेकिन क्या मितव्ययिता का यही तरीका था कि जनता की गाढ़ी कमाई का ४० हजार रुपया इस तरह से व्यय होने दिया गया जब कि अभी अधिक समय नहीं बीता है जब हम इस वर्ष का बजट पास कर चुके हैं और उस की स्याही अभी सूख भी नहीं पाई है। गवर्नर्स ऐड्रेस और बजट के भाषणों को यदि माननीय सदस्य अपने इन भाषणों से मिलायें तो वे कदाचित् इस नतीजे पर पहुंचेगें कि उनमें कोई शक भी नई बात नहीं कही गई है।

प्रश्न यह है कि अविश्वास का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जा सकता है ? पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, या सन् १९०१ से ५५ तक क्या हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है ? उस समय के बारे में इस वक्त अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगर आप को यह जांचना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के कृत्य कैसे रहे तो भी आप को अधिकार है, वह ठीक है। लेकिन आज से कुछ ही दिन पहले जनरल इलेक्शन में सूबे की ७ करोड़ जनता इसका फैसला कर चुकी है, अगर एक कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कहा जाय तो इस पर कन्टेम्ट आफ कोर्ट हो सकता है और इस सदन में अगर आप की रूलिंग के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो कन्टेम्ट हो जाती है तो इसमें भी कन्टेम्प्ट हो सकती है कि ७ करोड़ जनता का फैसला कांग्रेस सरकार के पक्ष में हुआ है तो आप को क्या अधिकार है कि आप उस पर विश्वास का प्रस्ताव लावें ? लेकिन एक ही सूरत है जिसमें आप को यह अधिकार है।

जब से यह सरकार अपने नये संगठन और रूप में इस सदन में अब की बार आई है तब से अब तक के कृत्यों का जहां तक सम्बन्ध है उसमें प्लान का जहां तक सम्बन्ध है, नये टैक्स लगने वाले हैं, इतने रुपए की प्लान होगी और इतने टैक्स लगने वाले हैं एक कल्पित अनुमान अभी सामने आया, इतना पैसा टैक्सेज से आयेगा और इतना दूसरे रिसोर्सेज से आयेगा। लेकिन जब अभी वह चीज सरकार की ओर से अधिकृत रूप से साफ नहीं हुई तो क्या जरूरत थी, क्या जल्दी थी ? कुछ इंतजार किया जा सकता था टैक्सेज के लगने के समय तक का। मैं तो स्वयं इस बात का हामी हूं कि टैक्स इस तरह से लगें कि उन का भार उन्हीं पर पड़े कि जिन की पेइंग केपेसिटी है और गरीब लोग जिन की पेइंग केपेसिटी नहीं है उन पर कर भार न पड़े। पहले से ही जनता समझती थी कि इस तरह से टैक्सों का भार उसको सहन करना होगा, कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में भी साफ लिखा था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जब सदन में एक बड़ी धनराशि व्यय करना स्वीकार किया था तो उसको सभी ने माना था कि हम उसमें इतना रुपया व्यय करेंगे। उसके बाद यह स्वाभाविक था कि सरकार उन साधनों को किसी प्रकार जुटाती और प्रदेश में कुछ कर लगाकर अपनी आय को बढ़ाती। (लाल बत्ती होने पर) मैं श्रीमन्, प्रार्थना करूंगा कि मुझे २० मिनट देने की कृपा करें। परम्परागत ऐसी कृपा होती रही है।

श्री अध्यक्ष---आप के ४ मिनट और हैं।

श्री उग्रसेन---वह मिनिस्टर नहीं हैं, उनको भी दस मिनट ही मिलने चाहिये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---मैं समझता था कि श्री उग्रसेन जी इस दिशा में उदार होंगे और मेरे साथ न्याय करेंगे।

मैं केवल इतना और निवेदन करूंगा कि प्लान की मांग कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस ने हमेशा से प्लान पर अधिक जोर दिया है। जिस समय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की गई थी, तब भी प्लान के लिये कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी। उसके बाद इंटरिम सरकार बनी तब एक कमेटी

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

बनायी, फिर प्लानिंग कमीशन बना। तो प्लानिंग के लिये हमें तैयार रहना चाहिये और दोनों तरफ बैठने वाले सदस्यों का कर्त्तव्य है कि हम इस बात को देखें कि किसी तरह से प्लान कामयाब हो। मैं इतना और कहना चाहता हूं कि जो लोग निराशा का वातावरण पैदा करते हैं वह भले ही अपनी पार्टी के लिये कुछ फायदा करते हों, लेकिन प्रदेश के लिये कुछ लाभ नहीं करते। हो सकता है कि पिछले प्लान में टार्गेट अचीव करने में कुछ गलतियां रही हों, यह स्वाभाविक है क्योंकि नया नया तजुर्बा था, मनुष्य जब प्लान बनाता है तो सारी बातों की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे पापुलेशन बढ़ जाती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो टार्गेट्स पर असर पड़ता है।

पर कैपिटा आय पर बहुत जोर दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि वह बढ़ी है। हां, जब सारे देश के कांटेक्स्ट में देखते हैं तो अपेक्षाकृत वह घट गई। लेकिन माननीय सदस्य जरा हमारे प्रदेश की लागत को देखें। जो हमने इनवेस्टमेंट किया उस प्लान पीरियड में उसको अगर देखें तो वह भी दूसरे सूबे के मुकाबले में सबसे कम है और उसके अनुपात में अगर देखें तो जो हमारी आय बढ़ी है वह ठीक है। इसके अतिरिक्त यह कहना कि प्लान में खराबी ही खराबी है, और हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ा, तो यह निराशा के वातावरण को फैलाना है। आप छोटी सी बात देखें कि अगर मनुष्य की जिन्दगी को बढ़ा सके तो प्लान का यह सबसे बड़ा कार्य होता है। पिछले १० वर्षों में मनुष्य की लांजिविटी आफ लाइफ २७ साल से ४७ साल तक पहुंच गई है। इसका कारण मेडिकल फेसिलिटीज, हास्पिटल्स और डाक्टर्स की तादाद बढ़ना है। कपड़े का पर कैपिटा कंजम्पशन ६८ परसेंट बढ़ा। इसके अलावा बिजली को देखें, जो इंड-स्ट्रिलाइजेशन का आधार है। पहले प्लान के अन्त में ३७० मेगावाट बिजली तैयार होती थी वह ४३८ मेगावाट होने लगी और १.७ से बढ़कर १३.२ परकैपिटा कंजम्पशन हो गया। इसी तरह से फूडग्रेन का प्रोडक्शन ११८.६७ लाख टन से १८२.९० लाख टन हमारा तृतीय योजना का लक्ष्य है और १४२.५७ लाख टन अब तक हो चुका है। तो यह चतुर्मुखी कामयाबी है। यह कहना कि हमारी कामयाबी नहीं हुई, गलत होगा।

यह ठीक है कहीं पर किन्हीं कारणों से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, उसका इंतजाम किया जा सकता है और तृतीय योजना के लिये ऐसे सुझाव आवें तथा ऐसा वातावरण पैदा करें कि लोगों की उसमें आस्था हो कि प्लान को सफल बनाना देश और प्रदेश के लिये आवश्यक है तब मैं समझता हूं दोनों तरफ के सदस्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में ज्यादा आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर प्लान से लोगों की आस्था हट गई, यह वातावरण पैदा किया गया कि प्लान से सब तरह से नुकसान होने वाला है तो इसका परिणाम यह होगा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो खराबियां प्लान में हों या हुई हैं उनका हर समय पर जिक्र किया जाता है वह ठीक नहीं, मैं मानता हूं कि संसार में कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जो कह सके कि वह सब तरह से पूर्ण हैं और उससे गलतियां नहीं हुई। मुझे स्वयं सरकार के कृत्यों में अनेक खराबियां दिखाई देती हैं और उनके बारे में समय-समय पर कहता रहता हूं। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि इस सरकार से बेहतर सरकार आज हम कोई पैदा कर सकते हैं या सामने बैठने वाली अपोजीशन की ६ पार्टियां इससे अच्छी सरकार बना सकती हैं। मेरा तो यह कहना है कि उनके ऊपर उत्तरदायित्व डाल कर प्रदेश का भला नहीं हो सकता। अगर आज पंडित जवाहरलाल नेहरु, डाक्टर सम्पूर्णानन्द और माननीय चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में हमारा प्रदेश प्रगति नहीं कर सका तो कदाचित् उग्रसेन जी या मिले जुले ६ आदमियों के नेतृत्व में उन्नति कर सके यह सम्भव नहीं है। प्रश्न तो आज यह है कि हमारे सामने विकल्प (alternative) क्या है? उग्रसेन जी ने गांधी जी के वे शब्द याद दिलाये जो उन्होंने अंग्रेजी सरकार को हटाने के लिये इस्तेमाल किये थे। मुझे खेद होता है कि माननीय उग्रसेन जैसे प्रखर बुद्धि के सदस्य ऐसा विचार रखें कि उन्हें अंग्रेजी सरकार और आज के समय में कोई अन्तर न दिखाई दे। १९२०, २२, ३२ और ६२ में कोई अन्तर उन्हें न दिखाई दे। आज की सरकार जनता का विश्वास प्राप्त किये हुए है। आज की

सरकार ने जनता के न्यायालय में ६ महीने पहले उसका मत प्राप्त किया था और विश्वास प्राप्त किया था। उसकी तुलना अंग्रेजी सरकार से करना न सिर्फ कांग्रेस के साथ ज्यादती है, न सिर्फ सरकार के साथ ज्यादती है बल्कि उत्तर प्रदेश की ७ करोड़ जनता के साथ ज्यादती है। इन शब्दों के साथ मैं अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उस स्तर पर तो नहीं बोल सकता, जिस पर हमारे राजस्व मंत्री जी बोले हैं। मैं उस तरह बोलने का आदी नहीं हूं। लेकिन माननीय सुशीला रोहतगी और हमारे अग्रवाल साहब ने एक प्रश्न पूछा कि यह अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाया गया है? तो मैं उस क्यों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा और कुछ बुनियादी बातें और विशेषकर गांवों में रहने वालों के साथ जो दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया है उस तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

पहले मैं योजना के बारे में कहना चाहता हूं। किसी भी योजना के दो ही लक्ष्य हो सकते हैं—एक तो यह कि राष्ट्रीय आय बढ़े, और दूसरे यह कि देश की जो राष्ट्रीय आय बढ़ती है, उसका ऐसा बटवारा हो कि गरीबों की माली हालत कुछ सुधरे जिससे बड़े और छोटे आदमियों में अन्तर दूर हो। इस लक्ष्य को सभी पार्टियां स्वीकार करती हैं। अब हमको देखना यह है कि जो प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें बीत चुकी हैं, उनके क्या परिणाम निकले हैं। जहां तक आय में वृद्धि का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सर्वेक्षण किया है कि पिछले १० वर्षों में सन् ५० से ६० के बीच में दुनियां के विभिन्न देशों में कितनी आर्थिक उन्नति हुई है। इसके आंकड़े उन्होंने प्रकाशित किये हैं और उनमें से कुछ मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने रखना चाहता हूं। इराक की राष्ट्रीय आय ९ प्रतिशत बढ़ी है, बर्मा में ६ प्रतिशत बढ़ी है, ब्राजील में ६ प्रतिशत, फिलिपाइन में ६ प्रतिशत, यूनियन आफ साउथ अफ्रीका में ५ प्रतिशत, घाना में ५ प्रतिशत, इंडोनेशिया में ५ प्रतिशत और भारत में ३ प्रतिशत बढ़ी है। जिन देशों के नाम मैंने लिये हैं वे पिछड़े हुए देश हैं परन्तु उन देशों से भी भारत की आर्थिक प्रगति सबसे कम रही है। तो क्या यह स्थिति पुनर्विचार करने के लिये प्रेरित नहीं करती? क्या उस अन्धविश्वास को जो हमने योजनाओं के प्रति बना लिया है, उसको यह आंकड़े डिगा नहीं देते?

(इस समय १२ बज कर ४३ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

कांग्रेस पक्ष से कहा गया कि स्वतंत्र पार्टी योजना में विश्वास नहीं करती। मैं पूछता हूं यह सूचना उनको कहां से मिली? क्या उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के मेनिफैस्टो को पढ़ने का कष्ट किया है? मैं स्वतंत्र पार्टी का सदस्य हूं। मैं कहता हूं कि योजनाओं का विरोध स्वतंत्र पार्टी नहीं करती, लेकिन जिस प्रकार की योजनायें बनाई जाती हैं और जिस प्रकार उन्हें कार्यान्वित किया जाता है उसके लिये मैं अवश्य कह सकता हूं कि स्वतंत्र पार्टी विरोध करती है और करेगी।

दूसरा लक्ष्य जो योजना का है वह यह है कि गरीबों की गरीबी दूर हो। यह सारा सदन जानता है कि इस देश में सबसे गरीब वर्ग किसानों का है और यह भी सारा सदन जानता है कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के उपरान्त भी इस प्रदेश के कास्तकारों की माली हालत में कोई उन्नति नहीं हुई है आमदनी बढ़ी नहीं है, बल्कि घटी है। महालोनोबिस कमेटी इस बात के लिये नियुक्त हुई है कि वह राष्ट्रीय आय के विभाजन के बारे में रिपोर्ट दे। उसने अन्तरिम रिपोर्ट पेश की है और यह स्वीकार किया है कि इस देश में सिवा खेती में काम करने वालों के सबकी आमदनी बढ़ी है और केवल खेती में काम करने वालों की आमदनी घटी है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सदन से पूछना चाहता हूं, कि क्या ऐसी योजना की, जिससे देश के ७५ फीसदी किसानों और गांवों में रहने वालों की आर्थिक दशा में कोई सुधार न हो बल्कि गिरावट आये, हम प्रशंसा कर सकते हैं? क्या ऐसी योजना को हम भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिये उपयुक्त समझ सकते हैं?

[श्री भानुप्रतापसिंह]

इसके बाद मैं उन बातों पर आता हूं कि इस सरकार ने किसानों के साथ क्या-क्या दुर्व्यवहार किये हैं। एक बात मैं प्रारम्भ में ही मान लेता हूं कि इस सरकार ने एक काम किसानों के लिये अच्छा भी किया है और वह यह कि उसने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, लेकिन उसके बाद, जो भी कदम इस सरकार ने उठाये, वे सब किसानों के विरुद्ध पड़े हैं। सबसे पहले मैं इस योजना की बात लेता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सारे देश के अन्दर कृषि और उससे संबंधित जितने भी कार्य हुये हैं, उन पर केवल ६६७ करोड़ रुपया व्यय हुआ है जबकि केवल इस्पात के कारखानों को खोलने के लिये ६२० करोड़ रुपया व्यय हुआ है। और यदि हम इसमें और उद्योग-धंधों पर खर्च की जाने वाली रकम को जोड़ें तो यह रकम ८७० करोड़ हो जाती है। कृषि इस देश का मुख्य व्यवसाय है। राष्ट्रीय आय की ५० प्रतिशत आमदनी खेती से होती है और ७५ फीसदी आदमियों का जीवन निर्वाह खेती से होता है। ऐसे व्यवसाय के लिये सरकार उतना भी खर्च नहीं करती है जितना कि उद्योग-धंधों के लिये खर्च करती है जिससे केवल १० प्रतिशत इस देश की आमदनी होती है और मुश्किल से ५ या ६ फीसदी आदमियों का जीवन निर्वाह होता है। तो इस रकम के बंटवारे में गांव वालों के साथ बेइन्साफी हुई है, यह मैं कहना चाहता हूं। जो हमारा हक है, हमारी संख्या के अनुपात में और जो हम राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं, उसके अनुसार जो हम किसानों को मिलना चाहिये था वह इन योजनाओं में नहीं मिला है।

इसके बाद इस सरकार ने किसानों द्वारा पैदा की गई वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। बल्कि ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि जिनकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। विदेशों से अरबों रुपये प्रति वर्ष का गल्ला मंगा कर कृत्रिम ढंग से कृषि की वस्तुओं का मूल्य घटाया गया है, जबकि दूसरी वस्तुओं का मूल्य विदेशों से आयात को रोक कर, मनमाने ढंग से बढ़ने दिया गया है। मैं इस सदन में पहले भी आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूं कि पिछले चार वर्षों से कृषि की वस्तुओं का मूल्य अन्य वस्तुओं की तुलना में निरन्तर घटता चला जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि किसानों की माली हालत बिगड़ती चली जा रही है। एक हमारे पास गन्ने की फसल थी जिससे किसानों को नकदी आमदनी हो जाया करती थी। लेकिन उसके विषय में भी भारत सरकार ने आदेश निकाला है कि उसका मूल्य परते के हिसाब से मिलेगा। मैंने हिसाब लगाया है। यदि यह आदेश कार्य रूप में आया, तो किसानों को कम से कम ढाई या तीन करोड़ रुपये, इससे ज्यादा भी हो सकता है, का नुकसान उठाना पड़ेगा। इतने से भी संतुष्ट न होकर हमारी वर्तमान सरकार ने किसानों के प्रति बनियों और पुराने जमींदारों जैसा रुख अख्तियार कर रखा है। कुछ दिन पूर्व सिंचाई में २५ प्रतिशत की छूट दी गयी थी, जो अब वापस ले ली गयी है। इसके अलावा अब बिजली की दर और बढ़ा दी गयी है जिसका परिणाम यह होगा कि ट्यूबवेल का पानी मंहगा हो जायगा और अनुमान लगाया जाता है कि किसानों को उसमें भी डेढ़ करोड़ रुपया अधिक देना पड़ेगा। एक तरफ हमारी आमदनी घटती जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं है कि किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिले और दूसरी तरफ टैक्सों की भरमार की जा रही है और अन्त में मालगुजारी बढ़ाने की बात की जा रही है।

इस प्रदेश में पहले ही देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में मालगुजारी की दर दूने के लगभग है। यह हिसाब सीधा सादा है। सारे देश में १०० करोड़ रुपया मालगुजारी का वसूल होता है, और जैसा कि इस सदन में माननीय राजस्व मंत्री ने बताया कि इस प्रदेश में २३.२५ करोड़ रुपया मालगुजारी से वसूल किया जाता है। इस प्रदेश में खेती योग्य भूमि सारे देश की १/८ है जबकि मालगुजारी लगभग १/४ वसूल की जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि मालगुजारी की दर इस प्रदेश में सारे देश की तुलना में लगभग दूने के बराबर है। श्रीमन्, इन बातों के अलावा मेरा एक आरोप यह है कि जहां सुविधा देने की बात आती है वहां लगभग सारा रुपया शहरों में ही

खर्च होता है। इसके लिये मैं प्रमाण दे सकता हूं। जैसे शुद्ध जल पूर्ति की योजना १०.७४ करोड़ रुपये की है। उसमें से १०.४७ करोड़ रुपया शहरों में खर्च होगा और केवल २७ लाख रुपया देहात में खर्च होगा। इसी तरह से दूसरी योजना आवास व्यवस्था की है। इसमें १४.३ करोड़ रुपया खर्च होगा। इसमें से केवल २.३ करोड़ रुपया देहात में खर्च होगा बाकी सारा रुपया शहरों में खर्च होगा। आगे चल कर लिखा हुआ है कि समाज सेवा में २१ करोड़ रुपया देहात में खर्च होगा और ४७ करोड़ रुपया शहरों में खर्च होगा। इन आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि या तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी शहरों में ही रहती है या गांवों के लिये यह समझा जाता है कि न तो उन्हें शुद्ध जल की आवश्यकता है, न आवास व्यवस्था की आवश्यकता है और न समाज सेवा की आवश्यकता है। यदि यह बात नहीं है तो क्या कारण है कि यह जो सारी योजनायें रखी जाती हैं उनमें गांव वालों को उचित अनुपात से हिस्सा नहीं मिलता है? हमारी माननीय सुशीला जी रोहतगी ने कहा था कि कांग्रेस सरकार इंसाफ दिलाना चाहती है। मैं उनसे कहना चाहता हुं कि वह कृपा करके प्रदेश के किसानों को उनका हक दिलवायें।

श्रीमन्, इसके बाद मैं इस ओर भी ध्यान दिलाता हूं कि जो रुपया मालगुजारी या अन्य टैक्सों के जरिये वसूल किया जाता है वह योजनाओं के नाम पर वसूल किया जाता है लेकिन व्यय सामान्य प्रशासन पर होता है। यह बात इसी योजना के मसिवदे के पृष्ठ ४३ से मालूम होती है। इसकी "तालिका १—राज्य के साधनों का अनुमान" के अन्तर्गत मद १ में लिखा है कि चालू आय का अवशेष (—) ४,३५४ लाख रुपये और मद ५ में लिखा है विविध पूंजी आय तथा योजना के बाहर व्ययों का अवशेष (—) ३,०८५ लाख रुपये, इसका अर्थ यह हुआ कि जो धन योजनाओं के लिये वसूल होगा, उसमें लगभग ७४ करोड़ रुपया योजनाओं से भिन्न कार्यों में खर्च होगा। आज यदि हम यह तय कर लें कि योजना से भिन्न कार्यों पर लक्ष्य इसी स्तर पर बने रहेंगे और उनके लिए अतिरिक्त ७४ करोड़ रुपये की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं कहता हूं कि १०९ करोड़ रुपये जो वसूल करना है उसमें से ७४ करोड़ रुपया कम वसूलना पड़ेगा। योजना को आगे कर दिया जाता है और इसके पीछे होता यह है कि सरकार के ठाठ-बाट बढ़ते हैं और नौकरशाही की वृद्धि होती है।

उधर के बैठने वालों को अपनी संख्या पर बड़ा अभिमान है।

श्रीमन्, उनको यह सोचना चाहिये कि उनका प्रतिशत गिरता चला जा रहा है, इस बार उनको ३६ प्रतिशत वोट मिले हैं और इधर वालों को ६४ प्रतिशत मिले हैं। हमारी कमजोरी हैं कि हम बंट जाते हैं। लेकिन जिस बात को हम सब मिलकर कहते हैं उसको समझना चाहिये कि जनता के बहुमत की आवाज है। आज बहुमत उनके साथ नहीं है। यदि वे कहते हैं कि मालगुजारी बढ़ाना उचित है और जनता इसे स्वीकार करेगी तो मैं चुनौती देना चाहता हूं कि उनकी तरफ के १५ सदस्य इस्तीफा दे दें और हमारी तरफ के भी उतने ही दे दें और फिर चुनाव लड़ लें। अगर आधे से ज्यादा वे जीत जायं तो हम समझेंगे कि जनता उनके साथ है और मैं उनकी बात मानने के लिये तैयार हो जाऊंगा। यदि सरकार इसको न माने तो मैं एक चुनौती और देता हूं कि सीक्रेट वोटिंग करा लिया जाय और देखिये कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होता है या नहीं।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव को मैं नितान्त असामयिक और असैद्धांतिक समझती हूं। मान्यवर, इस राष्ट्रीय संकट में इस प्रकार का प्रस्ताव लाना, माननीय विरोधी दल और इस भारत के समाजवादी विरोधी दल की गौरव-गरिमा को किस प्रकार बढ़ाता है, यह मैं नहीं समझ पायी।

विरोधी दल के नेता और प्रवक्ता अधिकाँश इंगलैन्ड की परम्पराओं के उदाहरण दिया करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जब से मैकमिलन इंगलैन्ड के प्रधान मंत्री बने हैं उनके विरुद्ध

[कुमारी श्रद्धादेवी]

कितने अविश्वास के प्रस्ताव आये हैं ? जबकि हमारे सामने हजारों तरह के विघ्न और बाधायें उपस्थित हैं, उस समय अविश्वास का प्रस्ताव लाना, इस पवित्र सदन के अन्दर यह एक रूढ़ि बन गयी है, जो समाजवादी परम्परा के प्रतिकूल है ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि पिछले छः मास पूर्व हमारा घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ था । उसमें हमारी नीतियाँ डिक्लेयर्ड थीं जिन पर विरोधी दल के नेताओं ने अपनी कटु आलोचनायें कीं, जी भर भ्रामक प्रचार किये और गरीब जनता की भावनाओं को खूब उभारा गया । बावजूद इसके हमारी जनता ने यह समझा कि काँग्रेस पार्टी के अन्दर ही हमारा भविष्य सुरक्षित है । इसी लिये जनता ने इस काँग्रेस दल को विजयी बनाया और आज उस दल के नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त, मख्य मंत्री हैं ।

मान्यवर, जिस तरह के चार्ज अविश्वास के प्रस्ताव में लगाये गये हैं, ऐसी शिकायतें हम को भी हैं और आप को भी हैं, ऐसी शिकायतें दो-चार तो रहती ही हैं । ऐसी बहुत-सी समस्यायें माननीय सदस्य माननीय मुख्य मंत्री से मिल कर, और सुन्दर सुझावों को दे कर, हल करा सकते हैं । अविश्वास के प्रस्ताव में सैद्धांतिक व दार्शनिक मतभेद होता है और हमारी जितनी भी योजनायें हैं उनके पीछे एक दर्शन है, एक सिद्धांत है । लेकिन मैं इस प्रस्ताव में कोई दार्शनिक और सैद्धांतिक मतभेद नहीं पाती । हम स्वार्थमूलक व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रवृत्ति के स्थान पर लाना चाहते हैं समाजवादी भावना, सहकारिता की भावना । कहाँ है इसमें मतभेद हमारा और समाजवादी पार्टियों का ? इस सिद्धांत को तो मार्क्स और लेनिन ने भी माना था । इसी सिद्धांत को हम मनाने जा रहे हैं । यह वह सिद्धांत है जिसको समाजवादी चरमसीमा तक ले जाना चाहते । हम समाज की मान्यतायें बदलना चाहते हैं । अंध विश्वास, अज्ञान, अकर्मण्यता, जातिवाद, और साम्प्रदायिकता के स्थान पर हम लोग लाना चाहते हैं विश्व बंधुत्व और परस्पर प्रेम की भावना । हम लाना चाहते हैं जनजीवन के अन्दर सहकारिता की भावना ।

मान्यवर, मैं अन्य देशों के समाजवादी दर्शनों के उदाहरण न देकर जो माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने अन्य समाजवादी दार्शनिकों के सिद्धांतों को देते हुये अन्त में कहा है वह कहना चाहती हूं कि हमारे समाजवाद की चरम सीमा, उसका चरम लक्ष्य यह है कि मानव मानव एक हों, मानव मानव के बीच सौहार्द्र हो । हम चाहते हैं 'बसुधैवकुटुम्बकम्' और हम चाहते 'सर्व भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद् दुःखभाग्यभवेत्' सारा संसार हमारा कुटुम्ब हो और हम सबकी भलाई सोचें, करें और देखें । तो मान्यवर, समाजवादियों को तो इससे मतभेद हो नहीं सकता, लेकिन मतभेद आता है केवल जनसंघ व स्वतंत्र पार्टी का । वे सारे विश्व को अपना घर कैसे मान सकते हैं, वह सारे मानव को मानव कैसे मान सकते हैं ? वह तो मानते हैं कि केवल हिन्दू ही हमारे भाई हैं और जितने अहिन्दू हैं वह उनके भाई नहीं हैं । मैं जानना चाहती हूं कि माननीय जेड०ए०अहमद साहब और जनसंघ के नेता का यह अनमेल मेल कैसे हुआ ? और बहुत सारी दलीलें इसके विरुद्ध हमारे उपनेता सदन ने दे दी हैं । मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती ।

मान्यवर, राजनीतिक क्रांति द्वारा हमने स्वतंत्रता प्राप्त की । अब आर्थिक और सामाजिक क्रांति करने के लिये हम लोग कृत संकल्प हैं । यह हृदय परिवर्तन का सिद्धांत है । यह आर्थिक और सामाजिक क्रांति के लिये बड़े भागीरथ प्रयत्न की आवश्यकता है । आवश्यकता है अदम्य उत्साह, निरन्तर घोर प्रयत्न की, और आवश्यकता है भविश्य में दृढ़ विश्वास की । कहा है कि किसी भी देश की उन्नति के लिये नया इंसान चाहिये और निर्माण के लिये नया बलिदान चाहिये । तो हमें भविष्य में विश्वास रखना पड़ेगा । मान्यवर, इसी आधार को लेकर हम अपनी भावी सन्तति के भविष्य को सुसंमृद्ध व सुरक्षित बनाना चाहते हैं और इसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिये हमारी पंचवर्षीय योजनायें तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं ।

श्रीमन्, किसी भी देश की प्रगति के लिये पाँच चीजें जरूरी हैं---बिजली, लोहा, कोयला, यातायात और उन्नत खेती के साधन । श्रीमन्, आज के युग में और इस वैज्ञानिक युग में बिजली

हमारी शक्ति का देवता बन गई है। बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, तो इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, जल बढ़ेगा, खेती का उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन यह चीजें नहीं बढ़ रही हैं। अभी पहिले दिन हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि हम गत दस वर्षों में हम पिछड़े हैं। हमारी राष्ट्रीय आय कम हुई है, हमारी १८ परसेंट से १५ परसेंट राष्ट्रीय आय हुई है, लेकिन वे यह कहना भूल गये कि गत १० वर्षों में हमारी आय में ३६६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि हमारे यहाँ १ करोड़ को जनसंख्या में वृद्धि हुई है। दूसरे उन्होंने कहा कि हम पिछली दो योजनाओं में पिछड़े हैं। सही है, हम पिछड़े हैं। लेकिन क्यों पिछड़े है? इसलिये पिछड़े हैं कि हमारी पूंजीगत दो योजनाओं में सबसे कम लगी है। मैं दो तीन प्रदेशों के उदाहरण इस सिलसिले में रखना चाहती हूं। गत दो योजनाओं में बम्बई में ५७६ करोड़, पंजाब में ३११ करोड़ लगा और उत्तर प्रदेश में ३९४ करोड़ लगा जबकि जनसंख्या के अनुपात से एक हजार करोड़ लगना चाहिये था। यह रुपया आता कहाँ से? करों से और अगर हम कर और लगा देते तो हमारी राष्ट्रीय आय और हमारी पर-कैपिटा इनकम में भी वृद्धि हुई होती। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पर-कैपिटा इनकम कम है। और हमारा प्रशासन का खर्चा ज्यादा होता है और सब प्रदेशों से। लेकिन श्रीमन्, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी पर-कैपिटा इनकम बढ़ नहीं सकती जब तक कि कर हमारे यहाँ नहीं बढ़ते। हमारे यहाँ सब से कम कर हैं। मैं आपको आँकड़े देती हूं। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को पीछे ७.११, बंगाल में १३, पंजाब में १२ और इसी तरह से राजस्थान में ९.८८, गुजरात में ९.९९ और महाराष्ट्र में १४.५२ कर है। हमसे कितना ज्यादा कर दिया गत दो योजनाकाल में। तो उनकी राष्ट्रीय आय तथा फीक्स आय बढ़नी ही चाहिये थी।

मान्यवर, समय नहीं है इसलिये मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी। गेंदा सिंह जी ने यहाँ पर एक्सट्रा टैक्सेशन की बात का जिक्र किया कि पहली योजना से दूसरी में ज्यादा टैक्स लगाया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना से तीसरी पंचवर्षीय योजना में ज्यादा टैक्स लगाने जा रहे हैं किन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि जितनी भी स्टेट्स हमारे देश में हैं उनमें मैसूर और केराला को छोड़कर सब से कम खर्चा प्रशासन पर हमारे प्रदेश में होता है। उसके लिये मेरे पास आँकड़े मौजूद हैं पर समय नहीं। मैं उनकी जानकारी के लिये एक व्यावहारिक बात का निवेदन करना चाहती हूं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वह बीमार हो जाता है तो उसका दूध, खाना और दूसरी चीजें खाने की सब बन्द कर देती है और उसको वह भूखा तड़पता देखती है और साथ ही उसको कड़वी दवा भी देती है। इतना ही नहीं, उस की शुभ कामना के लिये डाक्टर द्वारा प्रस्तुत डेथवारन्ट साइन कर देती है। इसी तरह से कोई भी सरकार कल्याण का कार्य करना यदि चाहेगी तो उसको टैक्स लगाना पड़ेगा और तभी देश की समृद्धि बढ़ सकती है और देश की आमदनी बढ़ सकती है। श्रीमन्, इसी तरह से रूस में १९३१-कम्युनिस्ट काँग्रेस हुई थी उसमें कामरेड्स ने मार्शल स्टालिन से कहा मार्शल हमारे पास जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं, चीनी नहीं तो क्यों इनको बाहर भेजा जाता है? मार्शल ने कहा था कि अगर देश को समृद्धिशाली देखना चाहते हो, देश के भविष्य को अच्छा देखना चाहते हो तो उसके लिये तकलीफ उठानी पड़ेगी, नंगा-भूखा रहना पड़ेगा। खाने के बिना तकलीफ उठानी पड़ेगी इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तब वह देश आगे बढ़ा।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आज सवेरे जब इस विवाद पर माननीय राजस्व मंत्री ने भाषण शुरू किया तो मुझे बड़ी निराशा हुई। निराशा इस बात से हुई कि मैं उन्हें एक निपुण विदूषक के रूप में अभी तक समझता था, लेकिन आज उनके भाषण से मुझे नहीं बल्कि पूरे सदन को मायूसी हुई। आज ऐसा उनकी तकरीर से लगता था कि वह इस अविश्वास के प्रस्ताव के अवसर पर आम चुनाव

[श्री चन्द्रजीत यादव]

की कल्पना करते हैं और उसके लिये उन्होंने भाषण देने का अभ्यास इस सदन में आरम्भ कर दिया है।

कहा गया शासक दल की तरफ से कि कोई वजह नहीं है कि इस वक्त विरोधी दल अविश्वास का प्रस्ताव लाता। मैं उसकी वजह बतलाता हूं। यह वर्तमान सरकार पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभव से जो लाभ उठाया होता उसको आज मानने से इंकार करती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार है, लेकिन पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं को भुला दिया गया है। जो अनुभव प्रदेश के भविष्य के लिये आधार बन सकता है उस आधार को इस सरकार ने भुला दिया है। इसी कारण इस सरकार के अन्दर हमारा अविश्वास का प्रस्ताव है। दोपंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर जो खामी थी, जो त्रुटियां थीं उनको दूर करने के लिये इस सरकार ने क्या प्रयत्न किया? हमारे देश में माने जाने अर्थशास्त्री माननीय बलजीत सिंह जी, जो सेंट्रल प्लानिंग कमीशन के सलाहकार हैं, उन्होंने लिखा था कि:—

"By the end of the second plan, U. P. may have one of the lowest per *capita* income and the highest incidence of visible unemployment in comparison to other States. The back-log of unemployment at the end of the Second Plan is officially estimated at about 7.5 millions for the country and 1.9 millions for U. P. The State accounts for one-fourth of the country's total back-log of unemployment while its population is no more than one sixth of the total. In other words, the incidence of back-log of unemployment in the State is nearly 50 per cent more than in the rest of the country."

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है इसमें सरकार ने क्या उन बातों को दूर करने का विचार किया? वर्तमान सरकार ने इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक शंका की स्थिति में डाल दिया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज १३ करोड़ ३५ लाख के लिये कर का भार आप ज्यादा डालने वाले हैं। सारे प्रदेश के किसानों पर वह कर का भार लादने जा रहे हैं। तीसरी योजना के लिये १०९ करोड़ की जो कमी होगी उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार के पास क्या स्कीम है? मुख्य मंत्री जी जवाब देने के समय इस को बतलायेंगे। मैं यह समझता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में जो दरिद्रता थी वह तीसरी योजना के समाप्त होने पर और बढ़ने जा रही है। इसलिये यह अविश्वास का प्रस्ताव है। हम जानना चाहते हैं कि १०९ करोड़ के साधन जुटाने के लिये सरकार के पास क्या कार्यक्रम है। हम समझते हैं वह साधन सरकार के पास नहीं हैं। जिन साधनों को सरकार को बतलाया गया था उन साधनों को मानने से यह सरकार इंकार करती है। आज ग्रामीण जनता के ऊपर किस आधार पर सरकार ने कर का भार डालने का निश्चय किया है? किस नैतिक आधार पर आप ऐसा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस आधार पर आज देहाती जनता को करों के बोझ के नीचे दबाते चले जा रहे हैं और उसके बाद भी आप कर वृद्धि की सोचते हैं।

यदि आप आंकड़े देखें तो आप को स्पष्ट हो जायगा कि ग्रामीण जनता की औसत आमदनी साढ़े चार फीसदी गिरी है पांच वर्षों में। इसी काल में नागरिक जनता की आय २२ फीसदी बढ़ी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण जनता की आय प्रचलित भावों के हिसाब से २०२.७७ थी, सन् ५०–५१ में और आज वह ११ साल की प्लानिंग के बाद यह आय घटकर १८२.२२ रह गई है। जब कि नागरिक जनता की आय ६०६. कुछ से बढ़कर ६७१.७ हो गई है। जब कि गांवों की जनता की प्रति व्यक्ति की आमदनी गिरी है सामूहिक रूप से तो सरकार किस नैतिक आधार पर उसी ग्रामीण जनता पर और कर वृद्धि की बात सोचती है? आज प्रदेश के सामने एक बड़ी भयानक स्थिति है। योजना के लिये आप साधन एकत्रित करना चाहते हैं, मैं मानता हूं पर इस तरह नहीं जिस तरह आप कर रहे हैं। मुझे सरकार के जो लक्ष्य हैं, उसके जो उद्देश्य हैं उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, परन्तु जिस प्रकार से साधन इकट्ठा करने आप जा रहे है, उनसे

आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना कभी पूरी नहीं हो सकती। आप प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता का कभी इस प्रकार से भला नहीं कर सकते ।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जो पूंजीपतियों के साथ अपनी हमदर्दी रखते हैं। आप कहते हैं कि यहां राज्य में विभिन्न कर्मचारियों के संघटन बन रहे हैं। परन्तु मैं कहता हूं उनको प्रेरणा देने वाले आप हैं। आप स्वयं बिड़ला जी, खेतान साहब को हर तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक आपकी हमदर्दी उनके साथ होगी तब तक यह प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता है और आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखें कि हमारे प्रदेश की जनता भूखी है, नंगी है, परेशान है, लेकिन उनसे डंडों के बल पर लगान वसूल किया जाता है। पूर्वी जिलों की जो दशा है वह आप से छिपी नहीं है, परन्तु हमारे राजस्व मंत्री जी एक एक डंडा मार कर ९६॥ फीसदी लगान वसूल करते हैं। आप कृपया जवाब दें कि आज हमारे प्रदेश के मिल मालिकों पर, व्यापारियों पर कितना रुपया टैक्स के रूप में बकाया है। हमारा ५ करोड़ ७७ लाख, ६८ हजार १९२रुपया हमारा सेलसटैक्स के रूप में बाकी पड़ा है। ऐसे व्यापारियों के ऊपर जिनके ऊपर १ लाख से ज्यादा बकाया है, उनके ऊपर १ करोड़ ६४ लाख १० हजार २९८ रुपया है बड़े-बड़े मिल मालिकों और व्यापारियों के ऊपर १० करोड़ से ज्यादा बाकी है। आप प्रदेश की ७॥ करोड़ जनता को जवाब दें। आज मुट्ठी भर पूंजीपतियों और बड़े-बड़े धनी व्यापारियों के ऊपर इस सरकार का २० करोड़ से ज्यादा रुपया बकाया पड़ा है। मैं कहता हूं कि आपने उनसे क्यों नहीं डंडे के बल पर रुपया वसूल करने की कोशिश की, उनके नाम पर क्यों नहीं वारन्ट जारी किया ? केवल इसीलिये कि उनके साथ ऐसा करना जरूरी नहीं है आपने समझा, उनके साथ आपकी हमदर्दी नहीं थी। परन्तु आपकी निगाह उस गरीब किसान पर जाती है जिसके पास खपरैल तक नहीं है। आज कांग्रेस वोट के लालच में पड़ कर पूंजीपतियों का पोषण कर रही और ठेकेदारों को संरक्षण दे रही है। परन्तु आपने यह नहीं जाना कि आज देहात की जनता कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी के साथ है उनका उठना बैठना आज हमारे साथ है। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन बातों पर गौर करे और गंभीरता से विचार करे। वरना हमारा प्रदेश जो कि पूरे हिन्दुस्तान में पिछड़ा हुआ है, जो ११ साल की योजनाओं के बाद भी विकट स्थिति में फंसा है तरक्की नहीं कर सकता है।

मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के अन्दर अपने वर्तमान इकोनामिक स्ट्रक्चर को बदले। आज आपको आर्थिक नीति का सहारा लेकर शांति से नहीं बैठना चाहिये। आप केन्द्रीय सरकार से सिफारिश कीजिये कि हमारा संकट एक दलगत झगड़ों के अन्दर फंसा हुआ है, आप हमको इजाजत दीजिये कि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करें, बिजली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करें जिससे कि इस सरकार को करीब २०/२५ करोड़ रुपया मिल सकता है। नंगे भूखों की तरफ आपकी नजर नहीं जानी चाहिये, आपकी नजर इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों की तरफ जानी चाहिये। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह प्रदेश की जनता आपको नहीं भुला सकती ।

कहा गया कि हमारी तो डेमोक्रेटिक स्टेट है। हम उस तरह का कदम नहीं उठा सकते। हम कहते हैं कि आप रूस और चीन की तरफ न जायें, आप अपने ही देश की और स्टेट्स को देखिये। आज जबकि पूरे देश की आय ४२ प्रतिशत बढ़ी है, हमारे प्रदेश की आय केवल साढ़े १७ प्रतिशत ही बढ़ी है। क्यों कम बढ़ी ?

In the first decade of Planning the *per capita* expenditure in U. P. was 58 as against 87.41 for all states put together. In the Second Plan per *capita* outlay in public sector was Rs. 34 in U. P. as against Rs. 120 for the country as a whole.

यह सब क्या है ? आपने कभी इस तरफ विचार किया ? आप प्राइवेट सेक्टर को पाले हुये हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी नीतियों के अन्दर परिवर्तन कीजिये। आज सारी चीजें प्रदेश के अन्दर मौजूद हैं, लेकिन सरकार ने उनको मानने से इन्कार कर दिया है। हम से

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कहा जाता है कि साढ़े ७ करोड़ जनता ने हमको चुन कर भेजा है। आपको मालूम होना चाहिये कि केवल ३४ फीसदी जनता के वोट प्राप्त करके आप यहां पर बैठे हुये हैं। इसलिये गम्भीरता से सोचने की बात है। हम अविश्वास का प्रस्ताव इसीलिये लाये हैं कि सरकार इन बातों पर गम्भीरता के साथ सोचे। अगर प्रतिक्रियावादी ताकतों को सहारा मिलेगा तो देश का भविष्य अन्धकार में हो जायेगा। इसलिये हम इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाकर इस सरकार को यह बताना चाहते हैं कि उसने जो समाजवाद का नारा बुलन्द किया है उसका वह मुस्तैदी के साथ पालन करे ताकि प्रदेश की जनता का भला हो सके।

माननीय मुख्य मंत्री जी जरा गोविंद सहाय कमेटी की उस रिपोर्ट पर विचार करें कि जिसमें कहा गया है कि हमारे प्रदेश में अमीर और अमीर हुये हैं और गरीब और गरीब हुये हैं। अगर आपको प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता का ख्याल है, उनको आगे बढ़ाना है, तो आपको चाहिये कि आपकी निगाह बड़े-बड़े लोगों की तरफ हो, सरकारी ठेकेदारों की तरफ हो, न कि गरीबों की तरफ। हम यह अविश्वास का प्रस्ताव इसलिये लाये हैं कि सरकार इन सब बातों की तरफ गम्भीरतापूर्वक विचार करे। आज सरकार प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुकी है। इसी कारण हमने यह अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

*श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय देकर के अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। यों तो प्रजातांत्रिक पद्धति में सब को एक विरोधी दल बनाने और विरोध करने का अधिकार है और विचारों को रखने की पूरी स्वतंत्रता है, परन्तु जो लोग अपने स्वार्थवश प्रजातंत्र के विरोधी हैं और किसानों का खून चूसकर और मजदूरों को परेशान करके यह दिखायें कि हम प्रजातंत्र के हितचिन्तक हैं मैं उनके द्वारा लाये हुये अविश्वास के प्रस्ताव का आखिर तक विरोध करूंगा। आपके सामने कल स्वतंत्र पार्टी के नेता, राजासाहब, मनकापुर ने तरह-तरह की बातें कह करके मंत्राणी जी को भरमाने की कोशिश की।

कल राजा साहब, मनकापुर ने बताया कि मैं भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ा और लड़कर देश को आजाद कराया है। मैं उनके बारे में आप से यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने जरूर सन् १९३२ और १९३० में जाकर हम लोगों का साथ दिया, लेकिन सन् १९३७ में जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया और चूंकि वह अपने सर पर खादी की टोपी लगाये थे, जनता उनके बहकाये में आ गयी और उनको वोट दे दिया और वह कामयाब हुये। लेकिन फिर कांग्रेस में शामिल हो गये। पर असली रंग तो छटता नहीं। सन् १९४२ में इन्हीं राजा साहब ने क्विट इंडिया मूवमेंट के रेजोल्यूशन की मुखालिफत की और अपने घर का झंडा जलाया और विरोध में बराबर विचार प्रकट करते रहे। लेकिन सन् १९४६ की लड़ाई में इसी तरीके से अपनी चालाकियों से उन्होंने फिर कांग्रेस में अपने आपको शामिल कर लिया। पर सन् १९५५ में उन्होंने कांग्रेस की मुखालफत की और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस से निकाल दिये गये और इनके साथ २६ आदमी निकाले गये, कांग्रेस का विरोध करने के नाते।

हमारे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कभी भी (व्यवधान) अपने मंत्रिदल को छोड़ कर कहता हूं और विरोधी दल में हर आदमी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि वह चलकर देखे।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रकार से किसी व्यक्ति पर कटाक्ष करना कहाँ तक शोभा देता है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री उपाध्यक्ष—कटाक्ष कोई नहीं है, जवाब दे रहे हैं।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—हमने तो सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, किसी व्यक्ति पर नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप विराजिये, डिबेट चलने दीजिये।

श्री ईश्वरशरण—जो साहब मददगार हैं उनको मैं निमंत्रण दूंगा कि वह चलकर उस इलाके के हालात को देखें। अभी कुछ दिन पहले हमारे नेता पं० जवाहरलाल जी वहां गये थे और उन्होंने कहा था कि यह बड़े दुख की बात है कि १५ वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी उस इलाके को ताल्लुकेदारी और जमींदारी प्रथा दबाये हुये हैं, स्वतंत्रता का नामोनिशान तक नहीं है। उन्होंने सरकारी अहलकारों को चेतावनी देते हुये कहा था कि वे इस मामले को देखें और जनता को सहूलियतें दें। वहाँ पर राजा साहब, मनकापुर जो काम चाहते हैं अहलकारों से.....

श्री भानुप्रतापसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह विवाद सरकार में अविश्वास के प्रस्ताव पर चल रहा है, राजा साहब, मनकापुर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया है। आप माननीय सदस्य से कह दें कि वह विषय पर ही बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य विषय पर ही बोलें।

श्री ईश्वरशरण—स्वतंत्र पार्टी के जो लोग अपने को प्रजातंत्र के हिमायती कहते हैं उनके करैक्टर की मैं बात कर रहा हूं। एक तरफ तो वे अविश्वास का प्रस्ताव लाकर यह बताना चाहते हैं कि हम जनता के हितों की बातें करते हैं और दूसरी तरफ अगर उनके इलाके में जाकर अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि पं० जवाहरलाल नेहरू ऐसे बड़े नेता ने अपने लेक्चर में वहाँ ऐसी बातें कहीं कि यहाँ की जनता पर स्वतंत्रता का कोई असर ही नहीं हुआ ।

अभी हमारे राजा साहब ने कहा था कि यहाँ के सभा सचिव जिलाधिकारियों पर नाजायज दबाव छोड़कर अपने काम निकालना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि राजा साहब ने यहां इस बात का इजहार किया है कि वहाँ पर उनकी मन की बात नहीं हो रही है .....

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर राजा साहब की बात नहीं हो रही है, अविश्वास का प्रस्ताव चल रहा है ।

श्री ईश्वरशरण—राजा साहब की बात इसलिये है कि वह स्वतंत्र पार्टी की तरफ से अविश्वास का प्रस्ताव रख रहे हैं और वह ऐसे सज्जन हैं जिनके ये हालात ह। इस वास्ते उनकी बात को रखना जरूरी है। उनकी दिखावे की बातें दूसरी होती हैं और प्रैक्टिकल बातें दूसरी होती हैं। उनके यहाँ डंडे और लाठी का प्रहार होता है। उनके क्षेत्र में जो कांग्रेस की मदद करता है उसके हाथ पैर तोड़ दिये जाते हैं, घर जला दिये जाते हैं। यह उनके हालात हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । श्रीमन्, कांग्रेस पक्ष और सरकारी पक्ष से दो तीन दलीलें बड़े जोर से दी गई। एक तो यह कि यह अविश्वास का प्रस्ताव लाने का अवसर नहीं था, कोई वजह नहीं थी जिसके कारण अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया ।

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमन्, इस सरकार की दशा और इस सरकार के मंत्रियों की दशा उस विद्यार्थी की सी है जिसको बार-बार पढ़ाया जाय, उसको सब कुछ सिखाने की बार-बार कोशिश की जाय, लेकिन वह न सीखता हो। एक विद्यार्थी तो वह होता है जो एक दो बार के बताने से सीख जाता है, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो बार-बार के समझाने से भी नहीं समझता है। उसी विद्यार्थी की भांति यह सरकार बार-बार समझाने पर, बार-बार आगाह किये जाने पर भी, विरोधीदलों की तरफ से बार-बार अविश्वास का प्रस्ताव लाये जाने पर भी नहीं समझती है।

दूसरा कारण, उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव लाने का यह है कि सरकार—(१) अपने प्लान के आबजेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पायी है, (२) जनता को सुन्दर और संतोषजनक शासन नहीं दे पायी है, (३) यह सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पायी। खासतौर से जब एक बार पहले अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ था उस समय ९८ सदस्यों की ओर से माननीय आचार्य जुगलकिशोर ने इस सदन में एक ह्वाइट पेपर प्रस्तुत किया था। श्रीमन्, उनमें से बहुत से मुख्य-मुख्य सदस्यगण आज इस मंत्रिमंडल में हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि यह सरकार काँग्रेस की सरकार नहीं है बल्कि एक ग्रुप की सरकार है। उन्होंने उस समय की सम्पूर्णानन्द की सरकार पर यह चार्ज किया था कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में ऐफीशियेंसी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकार एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशों पर मनन नहीं करती, विचार नहीं करती, यह सरकार अधिनायकवाद की ओर जा रही है, राज्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है आदि-आदि चार्जेज थे। इस पर ९८ माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे। उन ९८ माननीय सदस्यों में मुख्य-मुख्य इस मंत्रिमंडल में हैं। हमारे अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, श्री राममूर्ति, श्रीमती प्रकाशवती सूद, श्री मुजफ्फर हसन, श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री चन्द्रसिंह रावत, श्री शाँतिप्रपन्न शर्मा, श्री केशभान राय, श्री चरण सिंह, श्री नवलकिशोर, आदि-आदि। इन लोगों ने जो ह्वाइट पेपर प्रस्तुत किया था और गवर्नमेंट के खिलाफ शिकायत की थी, वे आज इस गवर्नमेंट में विराजमान हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी, जब वे मुख्य मंत्री हुये थे तो घोषणा की थी कि वे शासन के अन्दर एफीशियेंसी को लायेंगे, किफायतशारी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग बड़े-बड़े बंगलों को छोड़ देंगे, पुलिस गार्ड नहीं लगायेंगे, रक्षक नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम १९६२–६३ का बजट देखें तो मालूम होगा कि ५८ हजार कारों के लिये रखा गया है। माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में एक-एक कार थी, लेकिन अब एक कार तो छोटी उनके पास है ही, लेकिन दौरे के लिये एक बड़ी कार और उनको मिलती है इस प्रकार से दो-दो कारें हैं। माननीय संपूर्णानन्द जी के समय में कोई नयी कारें नहीं खरीदी गयीं। जब कि इस सरकार के जमाने में खरीदी गयीं। और जो मंत्रियों पर खर्चा हो रहा है १९६०–६१ में वह था १,२९,००० रुपया, जब कि १९६१–६२ में वह है १,९३,००० रुपया।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास सरकारी कार भी नहीं है, अपनी कार है। वही कार है जिसमें वे पहले चलते थे।

श्री नेकराम शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हरीसिंह का आभारी हूं कि जिस बात को मैं नहीं कहना चाहता था–माननीय मुख्य मंत्री जी का आदेश है कि उसका मैं जिक्र न करूं। तो माननीय मुख्य मंत्री जी यह मानते हैं कि वे सरकारी गाड़ी पर चढ़ रहे हैं इसलिये मैं इस बहस में नहीं जाता। १९६२ में मंत्रियों की तनख्वाह पर २ लाख १६ हजार रुपया खर्च हुआ। परचेज आफ मोटर कार्स १९६१–६२ में २८ हजार, १९६२–६३ में ५८ हजार।

अब आप सचिवालय की तरफ चलें तो पे आफ सेक्रेटरीज सन् १९६०–६१ में ४ लाख ९३ हजार, १९६२–६३ में ५ लाख ४१ हजार, इस्टेबलिशमेंट पर १९६०–६१ में ६० लाख १६ हजार, १९६२–६३ में ६७ लाख ७७ हजार, और कमिश्नर्स की तनख्वाह पर १९६०–६१ में ११ लाख ६१ हजार, और १९६२–६३ में १४ लाख ४७ हजार। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि किफायतशारी करेंगे। यही किफायतशारी हो रही है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, मंत्रिमंडल का इतना विस्तार हुआ है और उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं और तमाम खर्च बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जैसा कि माननीय यादव जी ने कहा देहातों में चल कर देखिये, श्रीमन् आप इटावा जिले के रहने वाले हैं, वहां के देहातों में गरीबों के बच्चों के तन पर कोई कपड़ा तक नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाय तो उनकी दवा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। आज गरीब-गरीब होता जा रहा है और धनी-धनी होता जा रहा है। जैसा कि यादव जी ने कहा किसानों की आय दिन पर दिन गिर रही है और आप उस पर टैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं।

अविश्वास का प्रस्ताव इसीलिये लाया गया है कि आपके दोनों प्लान फेल हो गये और प्लान इसलिये फेल हो गये, जैसा कि आपकी सरकारी रिपोर्ट कहती है यह एक स्टैगनेशन है जो रिपोर्ट उपस्थित की गयी है कि हमारी आमदनी गिर गयी है और हमारे यहां रोजगार की हालत यह है कि सेकेंड फाईव ईयर प्लान में जहां रोजगार के लिये ९ लाख श्रमिक मौजूद थे वहां आज १८ लाख हैं और केवल ७ लाख को ही रोजगार दे पाये हैं। और इस पंचवर्षीय योजना के खत्म होने पर करीब ३८ मिलियन आदमी बेरोजगार होंगे, यह आपके ही आंकड़े कहते हैं। श्रीमन्, आज गरीब-गरीब हो रहे हैं और धनी-धनी होते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश की आबादी १६ परसेंट बढ़ गयी है। मैं बतला दूं कि सन् १९५०–५१ में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या ८२,९६१ थी जो बढ़कर १९५९–६० में १,१३,२०३ और १९६०–६१ में १,१८,५०२ हो गयी। जहां पहले ४५ करोड़ इनकम टैक्स लिया जाता था वहां आज ७५ करोड़ इनकम टैक्स लिया जा रहा है। यानी प्रदेश में जो कुछ भी आमदनी बढ़ी वह चली गयी उन लोगों के हाथ में जो धनी थे। इस तरह से धनी-धनी होते गये और गरीब-गरीब होते गये। प्लान में जितना इनवेस्टमेंट हुआ उसका उतना रिटर्न नहीं हो रहा है। आज हमारे यहां वन का एरिया कम होता जा रहा है। एग्रीकल्चरल एरिया कम हो रहा है। हमारे यहां कृषि योग्य भूमि ४१,३३,८५३ एकड़ थी और इर्रीगेशन होता है केवल चौथाई क्षेत्र में ही। हमारी दूसरी योजना समाप्त हुई, जितनी खेती थी और उसको जितने पानी की आवश्यकता थी वह हम न दे सके, जितनी बिजली पैदा की, ठीक है वह पैदा हुई उससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस बिजली का उपयोग क्या हुआ? उससे कितने उद्योग बढ़े। आप देखेंगे कि उद्योग में हम सब से पिछड़े रह गये, शिक्षा में हमारा १५वां या १६वां नम्बर है। दूसरी योजना समाप्त हो चुकी, न राष्ट्रीय आय बढ़ी और शिक्षा की भी वही दिशा है और टैक्सेज बढ़े रहे हैं। विद्यार्थियों के रहने के लिये, पढ़ने के लिये कोई सुविधा नहीं। ऐडमिशन के लिये हजारों विद्यार्थी मारे-मारे फिरते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। असमानता भी बढ़ी है, वह खाई घटी नहीं है और अधिक बढ़ी ही है, गरीब-गरीब होता जाता है और अमीर-अमीर होता जाता है। पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप हमारी असमानता बजाय घटने के और बढ़ रही है और इस ओर हमारे प्रधान मंत्री जी ने संकेत करते हुये कहा था कि हमारी आय बढ़ी है, लेकिन वह कहां गई यह नहीं मालूम। वह चली गई बड़े लोगों के पास जो और बड़े बन गये।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि तमाम महकमों को मरजर करेंगे, बहुत से बेकार महकमे हैं उनको हम मर्ज करेंगे और उन्होंने कहा था कि हम एक-एक पैसे की इकोनामी करेंगे। बेड बजेटिंग होता है, हालत यह है कि साल के आखिर में करोड़ों रुपया खर्च करने से बच जाता है। इसमें जिम्मेदारी किसकी है कि इस तरह से बजट बनाया जाता है कि रुपया बच जाता है? उस वक्त रुपये की कमी दिखा कर

[श्री नेक राम शर्मा]

कहा जाता है कि डेफिसिट बजट है और टैक्सेज लगने की बात कही जाती है और एक रास्ता टैक्स लगाने का तैयार कर लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री जगन्नाथसिंह (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय, हर विषय के दो ही दृष्टिकोण होते हैं या तो उसके फार में कहा जाय या अगेनस्ट में कहा जाय । लेकिन अगर एक रीजनेबिल व्यू लिया जाय तो जो बातें यहां मैं सुन रहा हूं तो यहां कुछ उल्टा ही हो रहा है। विरोधी दल की ओर से जो भी बातें कही जा रही है वह सब फैक्ट्स के खिलाफ ही कही जा रही हैं।

सरकार के लिये कहा जाता है कि वह इकोनामी नहीं कर रही है, लेकिन उन से कोई पूछे कि तुमने ऐसा प्रस्ताव लाकर इतना रुपया जनता का क्यों बरबाद किया ।

श्री नाथूराम शिक्षक—हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि वह कह रहे हैं कि प्रस्ताव लाकर जनता का पैसा बरबाद किया जा रहा है। जब अध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो गई कि इस प्रस्ताव पर बहस होगी और सदन ने स्वीकार कर लिया तो फिर यह कहना कि पैसा बरबाद किया जा रहा है कहां तक उचित है।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, आप बैठें यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जगन्नाथसिंह —आप देखें कि पिछले दिन और आज जो भाषण विरोधी दल की तरफ से हुए उनमें कोई नई बात नहीं कही गई, वही बातें जो बजट के समय, गवर्नर एड्रेस के समय और कटमोशन के समय द्वारा कही गई थीं, उन्हीं को फिर यहां दोहराया गया है। आप ने जनता से वादा किया था कि आप यहां आकर उसके हित का कार्य करेंगे, लेकिन आप इस तरह से यहां कुर्सी के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो प्लान सरकार ने बनाया वह जनता के लिये ही बनाया, आप घूमफिर कर वही खर्च की बात ले आते हैं, आप ने कौन-सी और नई बात नहीं ? कहीं ? मैं नेकराम जी से पूछता हूं कि १९६१ तक आप इधर बैठते थे, आपने कांग्रेस के प्लान्स पर दस्तखत किये । अब कौन-सी नीति बदल गई जिसकी मुखालिफत आप करते हैं ? आपने कहा कि माननीय नवल किशोर, जो माननीय गुप्ता जी ने यह डिक्लेरेशन किया था तो मैं उनसे ही पूछता हूं कि कल तक आप हमारे पक्ष में बोलते थे आज क्यों और कैसे विरोध में बोल रहे हैं, क्या बात है ऐसी ? उत्तर दें । यह भी कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी है । इंगलैंड को देखिये वहां ५९ तो जूनियर मिनिस्टर्स हैं और १५ सीनीयर मिनिस्टर्स हैं । आपके यहां इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा सूबा है इसलिये जरूरी है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइंट आफ व्यू से कैबिनेट की तादाद बढ़े ताकि काम अच्छी तरह से सुपरवाइज किया जा सके । इग्लैण्ड प्रिवी पर्स २३ लाख रुपये दिया जाता था जबकि आपके यहां के मिनिस्टर्स पर उनके स्टाफ का खर्च मिला कर करीब १२ लाख रूपये खर्च होते हैं । इतने बड़े सूबे के लिये इतना खर्चा होना जरूरी है अगर एफीशियेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिये तो । अगर एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले ही नहीं होंगे तो क्या नतीजा होगा ? हर समय यही बात दोहरायी जाती है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । मैं उनसे पूछता हूं कि ४,००० रुपये रोज जो जनता का इस प्रोग्राम की वजह से बरबाद हुआ है इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? कितनी असुविधा तमाम मेम्बरान को हुई प्रोग्राम के चेन्ज करने से ? आपने खुद डिमान्ड किया कि प्लान पर बहस हो, जब सरकार बहस के लिये सामने आयी तो आखरी दिन मना कर दिया । यह वेस्टेज नहीं तो क्या है ? हम लोगों को रीजनेबिल व्यू लेना चाहिये ।

आप कहते हैं सरकार हटे। थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय, तो क्या नतीजा होगा? कौन-सा दल सरकार बनायेगा, इसका जबाव दें। कोई दल ऐसा नहीं है। आप तो खुद ही हर बात में डिफर करते हैं, हाउस के हर काम में आप लोगों की आपस में ही अलग-अलग राय है। हां, केवल एक काम में एक राय रहते हैं कि राइट और रांग सरकार के कामों को क्रिटिसाइज किया जाय। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। रीजनेबिल व्यू लेकर काम करना चाहिये।

हर मौके पर भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। इसकी जिम्मेदारी अकेले सरकार पर ही नहीं है, बल्कि हम सब पर है, हर सिटीजन की है। जब तक हमारा मारल स्टैन्डर्ड नहीं उठेगा तब तक लेजिस्लेशन या तनख्वाह बढ़ा देने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। कहा गया तरक्की नहीं हुई। आप जरा देखें, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें तरक्की न हुई हो। ट्रांसपोर्ट विभाग ही देखें। कितनी गाड़ियां, कितना माइलेज और कितने रूट्स १९४८-४९ से बढ़ गये हैं। कृषि में उन्नति हुई, एजूकेशन में उन्नति हुई, किस तरफ उन्नति नहीं हुई? आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। हरिजनों की बात बड़े जोर शोर से उठाई जाती है, लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं। १९६१-६२ में हरिजनों की उन्नति के लिये ५० लाख से ज्यादा रुपये रखे गये। सरकार का पहला फर्ज है कि वह रोटी, कपड़ा और शिक्षा दे और यह एक प्राइमरी ड्यूटी है। आप देखें कि यह पूरा हुआ है या नहीं। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना किस लिये हैं? पर कैपिटा इनकम आप कहते हैं कि घटी है। लेकिन आप देखें कि कितना इनवेस्ट किया गया, कितनी आबादी बढ़ी और कितनी प्रोडक्शन हुआ। यह थोथी दलील है कि इनकम घटी है। अगर घटी है तो आबादी भी बढ़ी है। कोई भी योजना एक दिन में समाप्त नहीं हो जाती। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जरूर इनकम बढ़ेगी। इन थोड़े शब्दों के साथ जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हलीमुद्दीन.....

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी कुछ समय मांगा था। निर्दलीय लोगों को भी कुछ समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—हर पार्टी के हर सदस्य को समय नहीं मिल सकता। श्री नेकराम शर्मा अभी बोल चुके हैं। निर्दलीय सदस्यों को ही सब टाइम नहीं मिलेगा। अब आप बैठें।

श्री लखपतराम शर्मा—थोड़ा समय मैं मांग रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—मैं मौलाना साहब को बुला चुका हूं। अब आप विराजिये।

(श्री लखपत राम शर्मा के खड़े रहने पर)

सूचना राज्यमन्त्री (श्री बनारसीदास)—मैं आपका ध्यान नियम २८७ की ओर आकर्षित करता हूं। माननीय लखपतराम जी नियम २८७ का उल्लंघन कर रहे हैं, चूंकि आप एक माननीय सदस्य को बुला चुके हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। आप बैठ जायं।

श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसकी मैं ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव के सिलसिले में जो तकरीरें हुई हैं इस सदन में विरोधी दल की तरफ से उनके मुताल्लिक जहां तक

[श्री हलीमुद्दीन]

हमारी शिकायतों का ताल्लुक है हमें एतमाद नहीं है हुकूमत पर, वह अपनी जगह पर है। लेकिन जहां तक उधर से तकरीरें हुई हैं, असल में देखना तो उनकी स्प्रिट है, उनका जोश है, उनके दलायल हैं कि कहां तक वह उस पद पर रहने के काबिल हैं जिन पर वह विराजमान हैं। उनको सुनने के बाद यही नतीजा निकाला जा सकता है---

"सादगी से जिन्हें सब जाने चमन कहते हैं
वह खिजां दोस्त बहारों के सिवा कुछ भी नहीं।"

बहारे हैं। और बहुत अच्छी तरह से पेश की जा रही हैं कि हमने यह किया, वह किया लेकिन यह सब बहारें खिजां दोस्त हैं। उसका नतीजा यह है कि पब्लिक ज्यादा परेशान है, ज्यादा दुखी है, ज्यादा नंगी है, ज्यादा गैर मुतमईन है। अगर हुकूमत अपनी जनता को मुतमईन न कर सके तो मैं नहीं समझ सकता कि कौन-सी दलीलें रह जाती हैं जो वह पेश करे कि इस बिना पर उसे अपनी जगह पर विराजमान रहने दो। जब हम कहते हैं तो कह दिया जाता हैकि इतनी गूलें बनी, इतने कच्चे पुल बने। ऐसे पुल बनाने वालों के खिलाफ इसलिये कार्यवाही नहीं की जाती, क्योंकि किसी अफसर से रिस्तेदारी होती है। आज पुल बना, कल बह गया। अगर पूरा गायब नहीं हुआ तो आधा गायब, आधा नहीं तो चौथाई गायब। अगर यही योजनाओं का अन्जांम है तो मैं नहीं समझता---

ये कौन लोग सरे रहगुजार बैठे हैं,
हवा के रुख पे वफा के दिये जलाये हुये।

३४ फीसदी वोट ले कर आप यहां तशरीफ लाये हैं और कहते हैं कि हम अवसरियत के साथ यहां हैं। अवसरियत का जहां तक सवाल है, जनता ने तो कह दिया कि आप उसकी अहलियत नहीं रखते और सन् ६७ में शायद जितनी तादाद अब है वह बिल्कुल नफीं हो जायगी। कांग्रेस पार्टी तो अब ऐसी पार्टी बनती जा रही है जो लोगों के जहन में कोई पार्टी की हो नवैयत नहीं रखती। यह दूसरी बात है कि हम में आपस में इख्तिलाफ है, उस बुनियाद पर आप कुछ फायदा उठा कर हुकूमत में आ बैठें। लेकिन यह हकीकत है कि जितनी जनता ने आपको वोट किया है वह इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप टैक्स लगा दें। जैसा कि एक साहब ने कहा आप सिवाय इसके कि मंत्रिमंडल को बढ़ा लें, सिवाय इसके कि आप अपनी कारों का बन्दोबस्त कर लें, सिवाय इसके कि अपने टी० ए० बिल्स बना लें और किसी काबिल नहीं हैं। अभी कल की बात है कि जब दौरों के मुताल्लिक सवाल पूछा गया तो मुख्य मंत्री साहब ने बताया कि जनहित में किसी के मरने में, किसी के जीने में, किसी के बच्चा पैदा हुआ तो उसे बधाई देने के लिये मिनिस्टर लोग दौरों पर जाते हैं। अगर यही जनहित है तो सही है, आप जितना चाहें टैक्स लगा लें, लेकिन यह याद रखिये कि टक्स देने वाले आज तो शायद आप को अच्छे-अच्छे अल्फाज से याद कर लें लेकिन सन् ६७ में या शायद उससे पहले ही आपको यहां घुसने भी नहीं देंगे। मान लीजिये कि हम इस प्रस्ताव में कामयाब न हों लेकिन हम मुतनब्बे करने के लिये यह चीज लाये हैं तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है ?

माननीया सुशीला जी ने एक स्पीच फरमायी। मैं तो यह समझता रहा कि वह हमारे खिलाफ कोई नो-कान्फीडेन्स पास करने जा रही हैं। बहरहाल, यह जरुर है कि किसी जगह बैठ कर बनारसीदास जी ने बतलाया होगा और वह अपने रास्ते से हट कर हुकूमत के खिलाफ नोकान्फीडेन्स मोशन के सिलसिले में बोलते हुये अपोजीशन के खिलाफ नो-कान्फीडेन्स पर बोलती रहीं।

जहां तक प्लानिंग, इंडस्ट्रियल, डेवलपमेंट और ऐसी चीजों का सवाल है जिनमें लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, जहां तक गवर्नमेंट की पालिसी का सवाल है उसमें वह किसी भी हिस्से को मुतमय्यन नहीं कर पायी हैं। एक तरफ शेड्यूल्ड और बैकवर्ड क्लासेज हैं जो हजारों बरस

से पिसते चले आ रहे हैं। लेकिन इन गलत पालिसियों से एक और नया तबका उभर रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी गुजारिश करूंगा कि एक और बैकवर्ड क्लास पैदा हो रहा है वह है मुसलमानों का। उनकी क्या हालत है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार यह गवर्नमेंट करती है? आप अपने रेप्रेजेन्टेशन को देखिये कि कितने मुसलमान आपकी बैन्चों पर बैठे हुये हैं? कुल साढ़े ४ फीसदी। और अपने मंत्रिमंडल में देखें तो ·८ फीसदी। अगर यही तरीकये हुकूमत है कि जो इस तरह मुतमइन कर सकती है तमाम उन अंगों को जो इस प्रदेश में रहते हैं तो आपका दावा अपनी जगह पर सही है, लेकिन अगर वह गैर मुतमइन हैं तो आपको अपने झूठे दावे पराशर्म आनी चाहिये। अभी कल की बात है, मैं नहीं समझता कि कौनसे बुजुर्ग ऐसे थे एजूकेशन डिपार्टमेंट में जिन्होंने बेसिक एजूकेशन की सन् ६२ को प्लान बना कर भेजी था और उसमें यह भी रखा था कि तमाम लड़कों को मूर्ति पूजा में शरीक होना पड़ेगा। मुसलमान ही नहीं, कितने हिन्दू साहबान भी मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। हुल्लड़ मचा। नतीजा क्या निकला? कहा गया कि हमने उसको वापस ले लिया। कितना वापस ले लिया, यह अल्लाह जाने, लेकिन यह एक सही बात है कि आज एजूकेशन इन बेसिक दर्जों में बगैर किसी कैरीकयूलम के दिया जा रहा है। कोई कैरीक्युलम १९६२ का नहीं है। आप सारे स्कूलों में जाकर देखिये कहीं भी आपको कैरीक्यूलम नहीं दिखाई देगा। न मुरादाबाद में है, न लखनऊ में है और कहीं नहीं है। बिना कैरीक्यूलम तालीम कैसे जारी है मैं नहीं समझ सकता।

इसके बाद यह कहा जाय कि हम जो कुछ भी खर्च करेंगे वह सही होगा, यह सोचने की बात है। मैं यह कहता हूं कि जिस अफसर ने यह चीज बनाकर दी थी उस अफसर को सजा देनी चाहिये थी। गवर्नमेंट स्कूलों में कोई ऐसी रस्म नहीं होनी चाहिये जो किसी के मजहब के खिलाफ पड़ती हो। ऐसी चीज आनी ही नहीं चाहिये थी। लेकिन यह चीज आई और इस पर दुनिया भर का शोर हुआ। अलबत्ता इतना जरूर है कि इससे आपको तकलीफ हुई। मुरादाबाद में तमाशा हो रहा है। फिर उन अफसरान के बारे में जो तमाशा खेलते हैं क्या पूछते हो? अभी-अभी वहां पर पंचायत अदालत का चुनाव हो रहा था। एक के बारे में रिपोर्ट थी कि वह हिन्दी नहीं जानता और एक के बारे में यह रिपोर्ट है कि १०९ में उसका चालान हो चुका है। लेकिन कांग्रेस वालों ने जिलाधीश को मजबूर किया और उसको नामजद करवा दिया। और भी चीजें हो गई हैं और ये चीजें मंत्रिमंडल के तुफैल में हो रही हैं और कोई वजह नहीं है। जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है वह यह है कि आज कोई भी मुतमईन नहीं है। एक आप भले ही मुतमईन हो या वह मुतमईन हो जिसने इलेक्शन लड़वा दिया हो, बाकी कोई मुतमईन नहीं है। लोग समझते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में ढिलाई है, प्लानिंग में ढिलाई है, लोग अपनी जगह पर देखें, आप कुरबानी नहीं कर सकते हैं। आप मोटर नहीं छोड़ सकते हैं। हमसे चाहते हैं कि हम कुरबानी दें, टैक्सेज दें। इन अल्फाज के साथ मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

गन्ना विकास राज्यमन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन अदम ऐतमाद का प्रस्ताव पेश हुआ और आपकी तरफ से इजाजत दी गई तो उस दिन आप इस बात पर विचार करने की कृपा करें कि प्रस्ताव पेश करने की कितनी जल्दी थी। लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने खड़े होकर इस बात को कहा कि आइये हम लोग बहस के लिये तैयार हैं, बहस अभी से शुरू हो जाय उसके बाद आपने नजारा देखा कि अपोजीशन पार्टीज के लीडरों ने मुखालफत की कि आज बहस न हो।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---हमारी तरफ से मुखालफत नहीं हुई।

श्री दाऊदयाल खन्ना---आपकी तरफ से न सही, बाकी और हर तरफ से यह बात कही गई। इससे जाहिर होता है कि आप इस प्रस्ताव के पेश करने में सीरियस नहीं थे। आप उम्मीद करते थे कि इसकी बहस शुरू होने में देर लगेगी। लेकिन जब अगले दिन बहस के लिये यह प्रस्ताव आया, नेता विरोधी दल, माननीय दुबे जी, ने अपनी तकरीर शुरू की। मैंने उनकी तकरीर को बड़े गौर से सुना इस उम्मीद में कि प्रस्ताव के जस्टीफिकेशन में वे क्या चीज पेश करते हैं। लेकिन कोई खास चीज नजर नहीं आई। एक चीज जिसका और भी सदस्यों

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

ने हवाला दिया वह आचार्य जुगल किशोर जी के बयान का हवाला दिया गया जो उन्होंने इसी सदन में दिया था। उन्होंने जो बात गवर्नमेंट के खिलाफ कही थी उसका हवाला दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बयान का ताल्लुक हैं उसका हवाला देकर उन्होंने और जुमला हजरात ने उनकी इज्जत अफजाई की है उनके ऊपर ऐतराज करने में कामयाब न हो सके। कांग्रेसवालों का एक दस्तूर रहा है कि जो वह महसूस करते हैं, वह कहते हैं और जो वह कहते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह प्रस्ताव आपके सामने है, जिस तरह से यह पेश किया गया है, जरा उस पर भी गौर करना चाहिए। यह प्रस्ताव अपोजीशन की सभी पार्टियों के नेताओं की तरफ से पेश हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी भी इस प्रस्ताव को पेश करने में शरीक है। आज वह किसान और गरीब जनता की दुहाई देते हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि १९६२ में जबकि हिन्दुस्तान की जंगे आजादी में हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा लगा हुआ था, औरत, मर्द सभी उसमें हिस्सा ले रहे थे, चारों तरफ गोलियां चल रही थीं, उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहां थे?

एक सदस्य--आप कहां थे?

श्री दाऊदयाल खन्ना--मैं जेल के अन्दर था? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेजों के साथ थी। वह उस वार को पीपुल्स वार कहती थी। आज वही किसानों का नारा लगाते हैं। जिस वक्त किसान ने अपने आपको अंग्रेजों से आजाद करने के लिए जंगे आजादी में हिस्सा लिया, अपना खून बहाया, उस वक्त आप अंग्रेज के साथ थे। दुनिया जानती हैं कि आप हिन्दुस्तान को अपना देश नहीं समझते। आप उस वक्त चाहते थे कि रशा किसी तरह से हार न जाय। चूंकि अंग्रेज रूस के साथ थे इसलिए आप चाहते थे अंग्रेज और रूस की कामयाबी हो। आपको हिन्दुस्तान से मतलब नहीं था, हिन्दुस्तान जहन्नुम में जाय या जन्नत में। आपके मुंह से शोभा नहीं देता कि आप किसान की बात कहें। आज कांग्रेस की सरकार यहां के किसान और शहर में रहने वालों के स्तर को ऊंचा उठाने की, अपने प्लानों के जरिये इस देश को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश रही है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो टेकनीक है, वह लोग तो यही चाहते हैं कि देश तरक्की के बजाय तनज्जुली की तरफ जाय और जो काम तरक्की के लिए हों उनमें वह रोड़ा अटकाएं, बजाय इसके कि इस प्लान में मदद करें, और जनता को बताएं कि जिस तरह से हमने देश की राजनीतिक आजादी के लिए कुर्बानी दी उसी तरह से देश की आर्थिक तरक्की के लिए त्याग करना है, आओ सब किसान, मजदूर, शहर के रहने वाले इकट्ठा हो जाओ और कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा बोझा सब लोग उठायें, जिससे हमारी हालत बेहतर हो। बजाय इसके आज वह धमकी देते हैं कि हम आन्दोलन चलाएंगे और टैक्स नहीं लगने देंगे। और जितनी विरोधी पार्टियां हैं सब, इस मामले में शरीक होंगी।

मैं इस सिलसिले में पी० एस० पी० की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय गेंदा सिंह इस देश की आजादी के सिपाही हैं। उन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुछ किया है, किसानों की आजादी के लिए कुछ किया है। जब किसानों के ऊपर जुल्म होते थे तब वह हमारे साथ थे। उन्होंने किसानों की आजादी के लिए अंग्रेजों से भी जद्दोजहद की और जमींदारों और राजाओं से भी जद्दोजहद की, जिनके प्रस्ताव के समर्थन में आज वह खड़े हुए हैं।

अब मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पी० एस० पी० के श्री सत्यदेव जी ने अपनी तकरीर फरमायी। उन्होंने सचचाई के साथ अपनी राय का इजहार किया कि उन्हें दुख है कि वह आज इस प्रस्ताव का जिसे जनसंघ की तरफ से पेश किया गया है और जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शरीक है, समर्थन कर रहे हैं। मुझे उनकी बात से खुशी हुई कि उन्होंने सचचाई के साथ अपनी भावना को सदन के सामने रखा। और मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी को भी इस प्रस्ताव

का साथ देने में दुख हुआ होगा और उन्हें भी वहां बैठने में घुटन हो रही होगी। वह किसी और ही हवा में पले हैं, लेकिन आज वह ऐसे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं कि जिनका न कोई सिद्धान्त है और न जिन्होंने देश के लिए कभी कुछ किया ही है। जिनका काम सिर्फ सरकार को कोसना बाकी रह गया है, जनता की भलाई और बुराई से जिनको कोई मतलब नहीं है। मैं माननीय गेंदा सिंह से अपके द्वारा अर्ज करूंगा कि आपने आजादी के जंग में हिस्सा लिया और कांग्रेस के एक सिपाही की हैसियत से हिस्सा लिया, मगर बीच में कुछ इख्तलाफ की वजह से पी० एस० पी० में चले गये, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि आप फिरकापरस्तों का साथ ऐसे प्रस्ताव में दें, वह फिरकापरस्ती जो देश को बरबादी की तरफ ले जाने वाली है जिसके एक प्रतीक के रूप में जनसंघ पार्टी है और दूसरे प्रतीक के रूप में हमारे राहत मौलाई साहब हैं जिन्होंने अभी तकरीर की, उनके साथ आप का गठबन्धन महज इस प्रस्ताव के लिए है। क्या आप समझते हैं कि देश के अन्दर कोई तरक्की हो सकती है अगर यह फिरकापरस्ती उभड़ने दी गई? लेकिन मुझे अफसोस है कि इस मामले में आप उनके साथ हैं। हालांकि अखबारों में आपके बयान आते हैं कि आप आन्दोलन में जन संघ और कम्युनिस्ट पार्टी को शरीक नहीं करना चाहते, लेकिन हाउस में आज आप उनके साथ शरीक हैं। समझ में नहीं आता कि आपका क्या सिद्धान्त है, क्या उसूल है? आप पी० एस० पी० में गये इसके माने यह तो नहीं है कि जिन किसानों के लिए आपने हमेशा लड़ाई लड़ी, उन ताकतों से लड़ी जो कि आज जनसंघ के रूप में बैठी हुई हैं, उन्हीं से आज आपने गठबन्धन कर लिया और उनसे गठबन्धन कर लिया जो स्वतंत्र पार्टी के रूप में तथा कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में यहां बैठे हुए हैं। अफसोस मालूम होता है कि आज आप इस चीज में शरीक हैं और कहते हैं कि हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अगर ये शक्तियां बढ़ीं तो आपकी ताकत और कमजोर होगी, देश की ताकत कमजोर होगी और सबकी ताकत कमजोर होगी (व्यवधान) मैं महसूस कर रहा हूं कि आप साहबान को बहुत परेशानी है और जितनी देर मैं बोलूंगा आपको परेशानी रहेगी, आप चाहे शोर मचा लें, चाहे शान्ति के साथ सुनें।

श्री उपाध्यक्ष—जरा शान्ति रहनी चाहिये।

श्री दाऊदयाल खन्ना—माननीय गेंदा सिंह ने कुछ ला ऐंड आर्डर का जिक्र किया। ठीक है, ला ऐंड आर्डर की तरफ हरएक का ध्यान जाना चाहिये। जहां हमारे अन्दर कमियां हैं उनको दूर करना है। अगर अधिकारी वर्ग में कुछ कमियां हैं तो सख्ती के साथ हमें काम लेना चाहिये जिससे कि वह कमी दूर हो। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के नेता के और एक विरोधी दल के नेता होने के नाते उनका भी कुछ फर्ज हो जाता है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि ला ऐंड आर्डर की प्राबलम क्या आप इसी तरह से हल करेंगे कि जब अपनी पार्टी की तरफ से टिकट आप दें तो हिस्ट्री शीटर्स को दें। (व्यवधान) आपकी पार्टी में हिस्ट्री शीटर्स मौजूद हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—जरा शान्ति से सुनिये।

श्री दाऊदयाल खन्ना—पी० एस० पी० प्लान में विश्वास करती है। सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी में विश्वास करती है। कांग्रेस का भी यही ध्येय है, कांग्रेस भी चाहती है कि इस मुल्क की रचना समाजवादी सिद्धान्तों के ऊपर करे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आप वाकई समाजवादी समाज की रचना करने को तैयार हैं और वाकई बहुत उत्सुक हैं तो क्या परेशानी है आपको कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर, कन्धे से कन्धा मिलाकर इस प्लान को कामयाब नहीं बनाते? क्यों नहीं उसके साथ चलकर समाजवादी समाज की रचना करने के लिये आगे बढ़ते?

(इस समय २ बजकर १४ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

केरल के अन्दर इसकी मिसाल मौजूद है कि कांग्रेस और पी० एस० पी० मिलकर हुकूमत को चला रहे हैं और कम्यूनिस्ट पार्टी को दोनों ने मिलकर हटाया है। तो यहां क्या वजह है, क्या मुश्किल है कि आप प्लान की तरक्की के लिये, प्लान की कामयाबी के लिये हमारे साथ नहीं आ सकते ? मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक आप साहबान का ताल्लुक है जिन्होंने कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है और जो पी० एस० पी० की शक्ल में हैं, उनको कई बार दावत दी जा चुकी है कि तशरीफ लाइए, जिस जगह पहले थे, उसी जगह आ जाइए और मिलजुलकर देश की तरक्की के लिये काम कीजिये। जहां तक हमारी मालूमात हैं जो आपके उच्च नेता हैं वह भी आपको यह मशविरा दे रहे हैं कि आप कांग्रेस के अन्दर शरीक होकर इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करें। यह दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने आप को इस तरह के प्रस्ताव के साथ कर लें और इसके ऊपर सिवाय बुरा भला कहने के और कोई बात न कहें।

विरोधी दल की तरफ से अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें कही गईं। एक उनमें से खास बात यह थी कि प्लान पर जो खर्चा हो रहा है वह किसानों के मुताल्लिक नहीं होता। किसान लोग उससे फायदा नहीं उठाते। किसान वहीं पर आज हैं जहां वे पहले थे। मैं अर्ज करूं कि अब तीसरा प्लान आपके सामने है। अगर इसके आकड़ों को आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि एग्रीकल्चर पर ८८ करोड़ रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट पर ६६ करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और पावर पर १६५ करोड़ रुपया व्यय करने जा रहे हैं। सोशल सर्विस पर १२४ करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं जिसमें से यकीनन ७०, ८० करोड़ रुपया देहाती जनता पर खर्च होगा। आप गौर कीजिये कि इस ५०२ करोड़ की प्लानिंग में से करीब ४०० करोड़ रुपया, इसमें सड़कें शामिल नहीं है, देहाती जनता पर खर्च होगा। आप गौर कीजिये कि कितनी बड़ी रकम देहाती जनता पर हम खर्च करने जा रहे हैं। क्या आप इससे यह कह सकते हैं कि इससे उनकी आमदनी बढ़नेवाली नहीं है और उनकी हालत में सुधार होने वाला नहीं है ? ऐसा सोचना मैं समझता हूं कि किसी तरह से मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। पिछले १० वर्ष के अन्दर हमारे यहां प्रदेश के अन्दर जो हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले गये हैं वे पांच गुने की तादाद में हो गये हैं। प्राइमरी स्कूलों के ७५ हजार टीचर नियुक्त किये गये हैं। क्या यह तरक्की देहातों की तरक्की नहीं है ? मैं आपसे अर्ज करूं कि १९५५-५६ में जो हमारे यहां एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कीमत थी, यानी देहातों में जो चीज पैदा होती थी उसकी कीमत ७७६ करोड़ थी। १९६०-६१ में वह ११५० करोड़ हो गई है। ३७४ करोड़ की जो ज्यादा देहातों में पैदावार हुई तो क्या उसका पैसा किसानों के पास नहीं पहुंचा होगा और उनकी माली हालत बेहतर नहीं हुई होगी ? इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि किसानों को गुमराह करना कि यह चीज तुम्हारे फायदेवाली नहीं है, तो ऐसी गलत बात देश और प्रदेश के लिये उन्नति करनेवाली नहीं हो सकती।

एक बात यह कही गई कि इतने परसेन्ट वोट कांग्रेस को मिले और हमको इतने अधिक परसेन्ट मिले हैं और हम बहुमत में हैं। मैं बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपके सोचने का तरीका यही है और इसको ही आप ठीक समझते हैं तो आप सब पार्टी एक हो जाइये और एक पार्टी की शक्ल अख्तयार कर लें, और हम उस एक पार्टी से भी मुकाबला करने के लिये तैयार हैं। तब आप देखेंगे कि बहुत सीटें जो हम हार गये थे उनको भी जीत लेंगे। हम जानते हैं कि आप मुख्तलिफ नामों को लेकर जनता में जाते हैं और बिरादरी के नाम पर, मजहब के नाम पर उनसे वोट मांगते हैं। तब वह चीज नहीं हो सकेगी। उससे कांग्रेस का फायदा होगा। आपके अलग अलग होने से कांग्रेस का नुक्सान होता है। अगर एक पार्टी से हमारा मुकाबला होगा तो उसमें कांग्रेस की जीत ज्यादा होगी और सही माने में मुकाबला होगा। तब आपको इस बात का पता लग सकेगा कि किसके साथ जनता ज्यादा है और किसके साथ कम है।

अन्त में मैं आपके द्वारा सभी सदस्यों से यह अपील करूंगा कि आज हमको अपने प्रदेश के अन्दर गरीबी से लड़ना है। यह प्रदेश गरीब है और इस प्रदेश को गरीबी से ऊपर उठाना है। उस गरीबी को दूर करने के लिये हमारे प्लान चल रहे हैं। उसमें कामयाबी हासिल करना तभी मुमकिन हो सकता है जब कि हम पूरे प्रदेश का सहयोग प्राप्त करें। जितने भी यहां के रहने वाले हैं, वह शहर में रहते हों, या देहात में रहते हों, या सरकारी कर्मचारी हों, सब को हम प्रेरित करें कि उन्हें इस प्लान को कामयाब बनाने के लिये बोझा उठाना पड़ेगा। उसमें कुरबानी देनी पड़ेगी। तभी हम प्रदेश से गरीबी हटाकर अमीरी ला सकते हैं, तभी हम गरीबी को अमीरी में तब्दील कर सकते हैं। अगर गरीबी को दूर करना है तो आपको कोशिश करनी होगी और जो कांग्रेस सरकार की तरफ से प्लान चल रहे हैं उनको कामयाब बनाने के लिये सहयोग देना होगा।

आज आप यह भी जानते हैं कि हमारे देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर हमें अपनी आजादी की रक्षा करनी है। वह तभी हो सकता है कि जब हमारी और आपकी कोशिश साथ साथ हो। देश के अन्दर इस तरह से चीजें नहीं चलने पायें जिस तरह की चीजें आज चल रही हैं। अपने देश के अन्दर इमोशनल इन्टीग्रेशन की लहर को पैदा करना है और उसको कामयाब बनाना है। यदि आपका सहयोग नहीं होगा तब भी यह काम जारी तो रहेगा ही, परन्तु इसमें शक नहीं कि उसमें थोड़ी कमी अवश्य आयेगी। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव प्रस्तुत है मैं उसकी मुखालिफत करता हूं और जो विरोधी सदस्य हैं, उनसे यह निवेदन करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें। इस बात पर आप विचार कर लें। वरना इन हालात में आप साहबान इस प्रस्ताव के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत है वह व्यक्तिगत माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी के ऊपर नहीं है बल्कि मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो कारनामे किये हैं, उनके मंत्रिमंडल ने प्रदेश की ७।। करोड़ जनता पर जिस प्रकार से क्रूर प्रहार किये हैं और जिस प्रकार से समाजवाद के नाम पर उन्होंने पूंजीपतियों की दलाली की है, उसी के परिणामस्वरूप यह अविश्वास का प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि सत्तारूढ़ दल की ओर से यह प्रश्न पूछा गया कि ६ प्रकार की विभिन्न विरोधी विचारों वाली विरोधी पक्ष की पार्टियों ने मिल कर गुप्त मंत्रिमंडल के विरुद्ध यह अविश्वास का प्रस्ताव क्यों रखा? उत्तर में निवेदन है कि उसमें यही तथ्य निहित है कि आप बहुत ज्यादा काले हो गये थे, इसीलिये आपके काले कारनामों से ऊब कर विरोधी पार्टियों ने सम्मिलित हो कर विवशतः ऐसा किया।

अब मैं आप का ध्यान इतिहास के उन पृष्ठों की ओर ले जाना चाहता हूं कि जब १९३९ में समाजवाद के ठेकेदार मसोलिनी और हिटलर ने यूरोप में नाजीशाही का शुद्ध नारा बुलन्द किया था। परन्तु बाद में क्या हुआ? युद्ध छिड़ा और उनके जवाब में ही चर्चिल, स्तालिन और रूजवेल्ट ने एक संयुक्त मोर्चा कायम किया उसी प्रकार से इस अविश्वास के प्रस्ताव के लिये भी विरोधी दल एक हो गये हैं। हम लोग भी विजयी हो सकते हैं उसी प्रकार से जैसे कि स्तालिन-चर्चिल गुट विजयी हुआ था।

माल मंत्री जी से मैं एक बात और कह दूं कि आप का जुल्म शिकमी काश्तकारों के साथ बहुत बढ़ता चला जा रहा है। उनसे आप लगान बड़ी बेदर्दी से वसूल करते हैं और जबर्दस्ती करते हैं। इस सिलसिले में उनके लड़कों ने जेल तक काटी है। मैं माननीय हुकुम सिंह जी को बताना चाहता हूं कि जमींदारी तो उन्होंने खत्म करदी पर आज किसान पहले से ज्यादा कष्ट में हैं। उसकी तकलीफें बढ़ गई हैं। घटी नहीं हैं।

आप समाजवाद की तो दुहाई देते हैं, परन्तु मैं तो कहता हूं कि समाजवाद आपके हाथों में एक खिलवाड़ बन कर रह गया है। आप पदमपत सिंहानियां के तरफदार हैं, उनको संरक्षण

[श्री दीपनारायण सिंह]

देने वाले हैं। यह मोरार जी देसाई के साथी की सरकार है जो पूंजीपतियों का पोषण कर रही है। गरीब लड़कों का शोषण हो रहा है। आप किसानों पर जबर्दस्ती अपना भ्रष्ट समाजवाद लाद रहे हैं। आप नए हिटलर और मसोलिनी के प्रतिरूप हैं। आज ४०--८० रुपया प्रति सैकड़ा आय पर टैक्स के रूप में ग्रामीण किसान देते हैं तो आप ही सोचें कि वे आपके किस हद तक सहायक हो सकते हैं। टैक्सों की वसूली में कितनी सख्ती की जाती है इसका मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि फतेहपुर में ३ वकील जेल गये थे एक मैं था, एक मेरा भाई था और एक बंशगोपालजी एडवोकेट थे। चौथा कोई वकील जेल नहीं गया। आप की पूंजीवादी नीति से ऊब कर ही हम उक्त तीनों वकील कांग्रेस के विरुद्ध हो गये हैं। हमारे जिले के नये कांग्रेसी विधायक पुराने किसान-शोषक जमींदार ठाकुर जगन्नाथ सिंह ने कांग्रेसी वालन्टियरों को जेल भिजवाया था और उनके विरोधी आपके द्वारा ठुकराये गये। श्री पन्नालाल गुप्त जेल जाने वाले व्यक्तियों में हैं। जिन्हें सताया गया है। आजादी में भाग लेने वाले हम लोग थे, हमने कांग्रेस को मजबूत बनाया था। आज क्या हो रहा है। जनता द्रोपदी का चीर खींचा जा रहा है। टिकट के लालच में कांग्रेसी विधायकों की आत्मायें मर चुकी हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो बातें माननीय दीपनारायण सिंह कह रहे हैं क्या वे इस प्रस्ताव से संबंधित हैं और क्या उन्हें कहने की आप अनुमति देंगे ? (व्यवधान)

श्री दीपनारायण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गुप्त जी को मैं अपना बड़ा भाई कहता हूं। देश की आजादी में उन्होंने बड़ी कुरबानी की है। माननीय गोविन्द सहाय जी मेरे साथ जेल में रहे हैं। समाजवाद का पाठ उन्होंने मुझे पढ़ाया है। आज उनके द्वारा जब मैं बड़े बड़े पूंजीपतियों की वकालत करते हुये देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा खून खौलने लगता है। कांग्रेस को मजबूत करने वाले हम थे, हमने भी जेल काटी है, हमारी औरतों और मां-बहिनों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। ठाकुर हुकुम-सिंह जी के घरों की औरतें और बहिनें तो पर्दे में रहती हैं। उन्होंने क्या किया होगा ? आज वे हमको ललकारते हैं। जिन्होंने कुरबानी की है, उनको वे ललकारते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, पहले सन् १९५२ में ७ करोड़ मालगुजारी के रूप में वसूल होता था। सन् १९५३-५४ में आपने १८ करोड़ वसूल किया। माननीय माल मंत्री जी ने इसी सदन में १० अगस्त को एक उत्तर में कहा था कि २३ करोड़ मालगुजारी अब वसूल करते हैं। मैं बाअदब पूछना चाहता हूं कि जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट देखी जाय, उक्त माननीय राजस्व मंत्री ने क्या सिफारिश की थी। उसमें लिखा है---

"We recommend an immediate reduction of rent on uneconomic holdings at the rate of six annas per rupee on those who have 1 to 4 acres of land and four annas on those holdings who have four acres of land."

इसे आप जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के ५३४ पृष्ठ पर देख सकते हैं। मैं कहता हूं कि उस समय आपने जो निर्णय लिया उस पर क्या कार्यवाही की ? आज आप अपने उस सजेशन को भूल गये ? मैं कहता हूं कि आप बड़े बड़े किसानों से, जिनके पास १००-१०० बीघे जमीन है, कर लीजिये, उनके ऊपर टैक्स लगाइये, बड़े बड़े लोगों पर टैक्स लगाइये, हम आपका साथ देंगे। मेरे फतेहपुर जिले में सड़क नहीं बनाई गयी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आप उसके लिये संशोधन भी नहीं करना चाहते। फिर आप क्यों हमसे टैक्स वसूलना चाहते हैं, हमारा खून लेना चाहते हैं ? खून के घड़े से सीता पैदा हुई थीं। आप यह सोचिये कि सीता के पैदा होने से क्या हुआ था ? आप जैसे रावण का नाश हुआ था। माननीय गुप्त जी, आप बहुत अच्छे हैं। जबकि चन्द्रभानु अकेले हों, गुप्त न हों तब प्रकाश

रहेगा, अंधेरा न रहेगा। उस रूप में मैं आपको देखना चाहता हूं। सही समाजवाद का रूप वही होगा जब किसानों के प्रति प्रेम, पूंजीपतियों से लड़ाई। वर्ग-संघर्ष में आप एक को ही साथ लीजिये। दोनों पक्षों की वकालत करने वाला कभी समाजवादी नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अब आपकी सोई हुई आत्माएं, थकी हुई आत्माएं पूंजीवाद की गोद में हैं। यह सोचें कि विरोधी पक्ष के लोग पहले से ज्यादा हैं, आप इस इलेक्शन में कम कामयाब हुए तो वह क्यों? वह आपके कारनामों के कारण। और अब भी यदि आप सच्चे समाजवादी बनें तो मैं आपकी तरफ हूं और आपकी तरफ बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष---दीपनारायण जी, एक मिनट है।

श्री दीपनारायणसिंह---आज जनता पार्टियों और व्यक्तियों के इशारे पर नाचना छोड़ रही है और आज आप के ऐसे व्यक्ति और पार्टियां हार कर गिर रही हैं। यह युग की पुकार है, समय का तकाजा है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप मेरे बड़े भाई होने के नाते समाजवाद के उसूल पर चलना शुरू कीजिये। आप हिटलर, मुसोलिनी मत बनिये, समाजवादी नेता बनिये। हम आपके साथ होंगे, जैसे आजादी के दिनों में आपके साथ रहे।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि भिन्न-भिन्न दिशाओं में बहने वाली धाराएं आज एक स्थान पर इकट्ठा होने का प्रयत्न कर रही हैं। हमारी तमाम विरोधी पार्टियां जिनके सिद्धान्त कभी मेल नहीं खाते, आज इकट्ठा होकर मौजूदा मंत्रि-मंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लायी हैं। इस में संदेह नहीं कि मैं उस प्रस्ताव की मुखालफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे याद है, १० तारीख को एक माननीय विरोधी सदस्य ने बड़े मार्मिक शब्दों में यह कहा था कि मैं आज उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो उस पार्टी के द्वारा रखा गया है जिससे न हमारी पार्टी का कोई मेल खाता है, न उसूल मिलता है, न सिद्धान्त एक हैं, लेकिन एक मजबूरी है जिसके कारण मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस का दरवाजा सदा उन लोगों, संस्थाओं और पार्टियों के लिये खुला हुआ है जो प्रजातंत्रीय बातों में विश्वास रखती हैं और छोटी-छोटी नाराजगियों पर इधर से उधर चले जाना, इसमें कोई शोभा की बात नहीं है।

श्रीमन्, मैंने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान से सुने। उन सब में मुझे ऐसा लगा कि योजना के विरुद्ध कोई नहीं है। सब लोग यह चाहते हैं कि किसी तरह से योजना कारगर हो, सफल हो। यह ठीक है कि शासन में भ्रष्टाचार और अपव्यय को बरदाश्त नहीं किया जा सकता जिनके कारण शासन में अराजकता आ सकती है। जो पार्टी सत्तारूढ़ होगी और जो आगे शासनसूत्र को अपने हाथ में रखना चाहेगी वह कभी यह बरदाश्त नहीं कर सकती कि उसके शासन में अराजकता हो, अपव्यय हो या भ्रष्टाचार हो। इसमें थोड़ा-सा विचारधारा का अन्तर अवश्य हो सकता है। अपव्यय के बारे में एक छोटी-सी बात जानना चाहूंगा। हमने आज एक प्रस्ताव पर बहस की, दस तारीख को भी बहस की थी। मैंने जितने भी विरोधी पक्ष के भाषण सुने उन सब में यह देखा कि २६ मार्च से लेकर अब लगभग ५ मास व्यतीत होने को हुये, भ्रष्टाचार, अपव्यय, अराजकता और भाई भतीजावाद की जो बुराई और दोष शासन पर २६ मार्च से लगते आ रहें हैं, वे ही दोष ठीक उसी भाषा, उसी लहजे और उसी अदा के साथ दोहराये जा रहें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर यह दो दिन की बहस न होती, दो दिन में वही पुरानी बातें जो बजट के समय से लेकर अभी तक दोहराई जाती रही हैं, न दोहराई जातीं तो उससे क्या हानि होती। आप के ख्याल में यह रुपये का अपव्यय हुआ या नहीं, इसमें दो रायें होनी स्वाभाविक हैं। हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य समझेंगे कि यह धन का सदुपयोग हुआ, लेकिन इसमें मेरी और दूसरे साथियों की ईमानदाराना राय हो सकती है कि अगर यह दो दिन का विवाद न होता तो किसी तरह की कोई कमी नहीं आ सकती थी और यह धन का अपव्यय हुआ।

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

रही बात भ्रष्टाचार की । भ्रष्टाचार ऐसा व्यापक शब्द हो गया है कि हम हर स्थान पर करीब-करीब बिना सोचे उसका उपयोग कर देते हैं । मैंने माना कि अगर किसी शासन में भ्रष्टाचार हो तो सरकार को एक मिनट के लिये भी उसे बरदाश्त नहीं करना चाहिये, लेकिन क्या कभी हमने यह भी सोचा कि केवल सरकार की ही जिम्मेदारी इस भ्रष्टाचार को दूर करने की नहीं है, बल्कि यह एक सोशल ईविल है, सामाजिक अभिशाप है । क्या इसे दूर करने का हमारा अपना कर्तव्य नहीं है ? आज एक हिन्दू गोमांस खाना पाप समझता है और मुसलमान सुअर का मांस देखना भी नहीं चाहता । आज जितने भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े अफसर हैं सब के सब हम सबके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, मित्र के मिलने वाले हैं, किसी न किसी तरह से हमारा उनका संबंध है क्योंकि वह भी इसी देश के रहने वाले हैं और हमारे ही आदमी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य ईमानदारी से इस बात को कह सकता है कि उसने अपने अफसरों को बुलाकर कहा कि अगर आज से तुम कोई भ्रष्टाचार करोगे या खाद्य पदार्थों में मिलाने की बात करोगे तो तुम्हें वैसा ही दोष लगेगा जिस तरह से एक हिन्दू को गोमांस खाने से लगता है या मुसलमान को सुअर का मांस खाने से लग सकता है ? मैं जानना चाहता हूं कि जब हम ईमानदारी से इस बुराई को दूर करना चाहते हैं तो क्या उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता ?

एक बात और है । अक्सर अराजकता की बात कही जाती है । आज भी कई दफा दोहराया गया कि डकैतियां पड़ रहीं हैं, कत्ल हो रहे हैं और चोरियां हो रहीं हैं । यदि कोई व्यक्ति किसी की आंख में उंगली मार दे और उसके बाद पूछे कि तुम्हारी आंख लाल कैसे हो गई, इसमें आंसू कैसे आ गये, तो वह अजीब-सा लगता है । आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इकट्ठा करें, जोशीली भड़कीली स्पीच दें और दूसरी ओर लोगों को इकट्ठा करें और उनको उकसायें कि तुम्हें टैक्स नहीं देना है और अगर सरकार कोई कदम उठाये तो उसको आप आततायी और अन्यायी कह कर पुकारें और अगर किसी की गिरफ्तारी हो तो प्रदर्शन किये जांय । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इन कामों से मुल्क में अराजकता नहीं फैलेगी, उच्छृंखलता नहीं फैलेगी तो क्या शासन में किसी तरह का सामंजस्य आयेगा, शासन में किसी प्रकार का सुधार होगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता ।

हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के एक भाई ने पहले भी और आज भी बड़े सुन्दर शब्दों में कहा कि क्यों नहीं विदेशी पूंजी को जब्त कर लिया जाता, क्यों नही बड़े-बड़े कल-कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता । सुनने में यह बात बड़ी सुन्दर लगती है । अन्तर केवल इतना है कि १५ वर्षों के शासन में कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची है कि अभी इन बातों को करने का समय नहीं आया है । जिन लोगों को शासन का अनुभव नहीं है वे बैठे-बैठे इन बातों को दोहराना चाहते हैं । लेकिन सरकार समझती है कि अभी हमें विदेशी पूंजी की आवश्यकता है । सरकार ने प्लान में सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े-बड़े कारखाने लगाने की व्यवस्था की है । सरकार जानती है कि मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैदल सफर करते हैं, बहुत से लोग बैल गाड़ी से सफर करते हैं । इसी भारतवर्ष में वे तेज रफ्तार के आदमी भी हैं जो मोटर और हवाई जहाजों में चलना चाहते हैं । लेकिन हमारी सरकार ने निश्चय किया कि इन सबको समझा-बुझा कर किसी तरह से साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिये । हम लोगों ने जैसे स्वराज्य प्राप्त किया उसका यही तकाजा था । इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था । हां, अगर दूसरी सरकार हुई होती तो वह कोड़ों की मार से, लोगों की कमर पर बैनेट रखकर, उनको मजबूर करके काम करा सकती । लेकिन हम लोगों ने समझा कि जैसे हमने स्वराज्य लिया है यह उसके विरुद्ध होगा, हमारे सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा ।

अन्त में मैं विरोधी पक्ष के लोगों से निवेदन करूंगा कि यह अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी पार्टी का आखिरी हथियार हुआ करता है । तो क्या उनके तर्कश के सभी बाण खत्म हो गये

और यह आखिरी बाण जिसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र समझा, इस्तेमाल किया है ? मैं समझता हूं कि अभी तो ६ महीने भी नहीं बीते हैं और आगे आप क्या हथियार इस्तेमाल करेंगे ?

इन शब्दों के साथ मैं अपने विरोधी पक्ष के भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें, तो अधिक अच्छा है, वरना मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, जब विरोधी पार्टियां अविश्वास का प्रस्ताव पेश करती हैं तो उसके अन्दर एक गहराई होती है और शासक दल को, जो बहुमत दल होता है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये । परन्तु, मान्यवर, मुझे सख्त तकलीफ हुई और तकलीफ नहीं भी हुई, इसलिये कि बड़े-बड़े नवाब इस शहर में रह चुके हैं और अगर नवाबों की गद्दियां मसखरेपन से खत्म हो गईं तो अगर उस दल में भी माननीय गुप्ता जी ने कुछ ऐसे मसखरे रख लिये हैं, तो यही उस दल का भी हाल होने वाला है । यह तवारीख बतलाती है । आज हमारे साथी जिस गम्भीरता के साथ यह अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं उसकी ओर ध्यान देना चाहिये, उसकी गहराई पर ध्यान देना चाहिये । यही इस बात का सबूत है कि वह उसे गम्भीरता से नहीं लेते कि आज राजनीतिक सत्ता में शासन इतना लिप्त है कि वह सही बातें भी सुनने के लिये तैयार नहीं है । आज जब लखनऊ शहर में जहां राजधानी हो, जिसके चारों तरफ चोरियां, डकैतियां और कत्ल हो रहें हों । जहां रेलवे स्टेशन, जो सरकारी कार्यालय कहे जाते हैं, वे लूटे जाते हों और वहां का मुख्य मंत्री रात को चैन से सोता हो, मैं समझता हूं कि यह इस बात का सबूत है कि अगर यह सरकार राजधानी के चारों ओर हिफाजत नहीं कर सकती तो इसे हक नहीं है कि एक दिन भी यह शासनारूढ़ रहे ।

अब मैं कुछ आंकड़े क्राइम सिचुएशन के जो कि रिपोर्ट किये गये हैं पेश करना चाहता हूं । सन् १९५२ में २६,०६१ केस रिपोर्ट किये गये जो हीनस क्राइम्स से संबंध रखते थे और सन् १९६१ में ३७,६१० केस रिपोर्ट हुये हैं । इस क्राइम की पोजीशन को देखने के बाद क्या यह सरकार इस नतीजे पर नहीं आ सकती है कि उसे एक रोज भी इस गद्दी पर रहने का हक नहीं है, कानूनी हक नहीं है, सैद्धांतिक हक नहीं है । विरोध पक्ष के लोग आज यह प्रस्ताव देश की बहबूदी के लिये, उन लाखों इन्सानों की भलाई के लिये जिन्होंने खून की नदियां बहाई हैं, लाये हैं और उनके लिये इस सरकार को इस्तीफा देकर अलग हो जाना चाहिये । इस सूबे में उसके बाद कौन मंत्रिमण्डल रहेगा, कौन शासनारूढ़ रहेगा, हम इसकी परवाह नहीं करते । कोई भी आवेगा, होगा तो वह हमारे देश का ही नागरिक और शासक । हम जनतंत्र के प्रेमी हैं और उसी के नीचे हम आपको यह सीख देना चाहते हैं ।

हमारे मंत्रिगणों का कहना है कि हमें तो बहुमत ने वोट दिया है, इसलिये अगर हम टैक्स को, मालगुजारी को, बढ़ाते हैं, तो हमें यह कानूनी हक है । मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर, कि आज सुबह के नेशनल हैराल्ड को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पढ़ा होगा । उन्हीं के एक पुराने साथी, श्री मोहन लाल सक्सेना जी ने लिखा है थर्ड फाइव ईयर प्लान ऐन्ड टैक्सेशन (Third Five-Year Plan and Taxation) उसमें अपने ही कांग्रेस के लोगों की और सरकार की भर्त्सना की है और कहा है कि आज मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमें बहुमत प्राप्त है और विरोध पक्ष के लोगों को अल्पमत प्राप्त है, इसलिये हमको कानूनी हक है कि हम टैक्स लगा सकते हैं । मैं उनकी उन लाइनों को पढ़ना चाहूंगा और अपने उधर के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने उस कर्मठ नेता की बातों की ओर ध्यानपूर्वक गौर करें । उन्होंने कहा है—"Moreover, it has also to be remembered that the ruling party has been returned to power not because of its inherent strength, but due to differences and disunity amongst the opposition groups, for every five votes cast in favour of its candidates, six votes have been cast against them in the Lok Sabha

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

election. The position has definitely been worse in elections for the State Vidhan Sabhas."

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि जिस जनता ने आपको गद्दी पर बैठाया है उसकी आत्मा रो रही है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां आज बाढ़ का नग्न रूप है, जहां पेड़ों के ऊपर रात भर बैठ कर लोग अपने दिनों को गुजार रहे हैं, जहां नारायणी नदी धोबहा नाले को तोड़ कर छोटी गन्डक में मिल गई है, जहां आज कोई नाव का इन्तजाम नहीं है, जहां इन्सानियत सांप के साथ पेड़ों पर बैठकर जीवन बिता रही है। मेरा दिल इन सब बातों से रोता है। मैं इसलिये दुखी नहीं हूं कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार चली जायगी, बल्कि मैं तो इसलिये दुखी हूं कि आज यह सरकार सही तरीके से मूल्यांकन नहीं करती उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की ३ १/२ करोड़ जनता की तकलीफों का जो आज बेघरबार हो गये हैं, जो आज इन्सानियत की जिन्दगी के लिये तरस रहे हैं। मैं आज जब इस सदन में इन शब्दों को कहता हूं तो मेरी आत्मा रो रही है कि आज हमारे यहां कोई इन्तजाम नहीं है, बल्कि आज हमारे यहां जिलाधीश नोटिस जनता में बांट रहा है कि तुम टैक्स दो। तुम टैक्स देकर योजनाओं को पूरा करो। विरोधियों के बहकावे में मत आओ। वह जनता आज सिसक रही है। यह पहला जिलाधीश इस सूबे का है जिसने प्रेस नोट निकाल कर ऐलान किया है कि योजना के लिये जनता को रुपया देना चाहिये, वह फेल हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि क्या यह जिलाधीश का कर्त्तव्य है कि वह योजनाओं के लिये भाषण दे, पब्लिक स्टेटमेंट दे ? क्या आपने अपने अफसरों को नेता बना दिया है ? मैं चेतावनी देता हूं कि अब इस प्रकार का काम नौकरशाही से लिया जायगा तो देश में जनतन्त्र नहीं रह पावेगा। वे कहते हैं कि उनको कोई सुझाव नहीं दिया जाता है। इस विषय में अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिख चुका हूं और एक नहीं पच्चीस सुझाव दे चुका हूं। आज भी १९६०–६१ का इनकम टैक्स का सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ३०० करोड़ रुपये से ज्यादा बाकी है। क्यों नहीं सरकार उसकी वसूली की जिम्मेदारी लेती है और क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार से कहती है कि वह उसमें से ९० प्रतिशत अनुदान के रूप में इस सरकार को दे।

आज कैबिनेट रूम में रेफ्रिजरेशन की क्या आवश्यकता थी ? मिनिस्टर लोग गरमी के दिनों में नैनीताल तो चले ही जाते हैं फिर इसको बनवाने की क्या आवश्यकता थी ? क्या आपने कभी खयाल किया है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कितना अधिक खर्चा हो रहा है। सन् ३३ में ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ७.३५ करोड़ रुपया खर्च होता था, लेकिन अब ६२–६३ में २३.४५ करोड़ रुपया खर्च होता है। क्या आपने यह भी ख्याल किया है कि सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सों का करोड़ों रुपया कानपुर और दूसरे स्थानों के उद्योगपतियों के पास बकाया पड़ा हुआ है, क्या उसको वसूल करने की आपने कोई योजना बनायी है ? लेकिन गरीब किसानों से वही रुपया ७० प्रतिशत कुर्की और वारन्ट के द्वारा वसूल किया जाता है। लेकिन पूंजी पतियों से आप क्यों नहीं वसूल करते हैं ?

आप रिहन्द डैम की बिजली की बात करते हैं। सन् १९५४ में जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था तो कहा था कि आपके यहां रिहन्द बांध बन रहा है और भविष्य में आप बिजली से झाड़ू लगाया करेंगे। आज अरबों रुपया खर्च करके पूर्वी जिलों में रिहन्द बांध बना। बिजली से झाड़ू तो पूर्वी जिलों में नहीं लगी, लेकिन ८५ लाख रुपया आप उनके ऊपर टैक्स जरूर लगा रहे हैं, उन किसानों पर जो किसान आपके ट्यूब वैल से पानी लेते हैं।

सारी योजनायें बनाते समय आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान नहीं देते। आपने आबादी के अनुसार रुपयों का एलोकेशन किया है, लेकिन पूर्वी जिलों की आबादी, पिछड़ेपन अथवा और किसी दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा। गन्ना मंत्रीजी उपदेश दे रहे थे, लेकिन यह नहीं देखते कि सन् १९३७ में साढ़े सात सौ प्रति एकड़ गन्ना होता था, लेकिन अब ढाई सौ मन प्रति एकड़ आपके इस सब-नियोजन के बाद होता है।

सहकारिता मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी गरमी इस सदन में माननीय सदस्यों के भाषणों के बाद हुई। मैं कोशिश करूंगा कि साधारण वायुमण्डल में जिस प्रकार से बातचीत की जाती है, उस तरह से अपनी दलीलों को रखूं। मुझे इस बात का दुःख हुआ कि यह अविश्वास का प्रस्ताव एक रस्मी तौर पर जिस प्रकार से कोई सीजनल कार्य होता है, उस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। मेरी यह धारणा थी, लेकिन वह वाकयी सही निकली। जब मैंने एक अपोजीशन के माननीय सदस्य से पूछा कि पुरानी ही बातें क्यों दुहरायी जा रही हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि हर साल फाग के समय जो गीत गाये जाते हैं वह भी तो एक से ही होते हैं, नये कहां से आयें। यानी यह भी फाग की तरह से एक सीजनल कार्य करना हो गया। क्योंकि ६ महीने के बाद ही अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है इसलिये ६ महीने बाद उसको ले आया गया। मेरा ऐसा ख्याल है कि इससे न तो इधर के बैठने वालों का कोई लाभ होता है और न उधर के बैठने वालों का। अविश्वास के प्रस्ताव के लिये कोई बहुत गम्भीर और खास कारण होने चाहिये जिनके कारण आज का जो बहुमत है वह खत्म हो सके और यह गवर्नमेंट बदल सके, या कोई ऐसा बर्निंग क्वेश्चन हो जिससे राष्ट्र को धक्का लगता हो तब अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये। लेकिन यहां अविश्वास का प्रस्ताव लाने का मतलब सिर्फ यह है कि कुछ कर बढ़ना है या कुछ कर लगना है। कौन कर बढ़ना है वह प्रस्ताव तो अभी सदन में आया नहीं, लेकिन उसके नाम पर अविश्वास का प्रस्ताव आ गया। परिवहन विभाग के बारे में एक यात्रा कर पास भी हुआ, लेकिन वह किसी के ध्यान में नहीं आया और किसी माननीय सदस्य ने उसका जिक्र भी नहीं किया कि उसमें कौन-सी गड़बड़ी है। जो कर लगने का ख्याल है और जो आगे लगेगा, अभी सदन के सामने आया नहीं है, फिर अखबारों में कहीं सुन लिया, पढ़ लिया, उसकी बिना पर अविश्वास का प्रस्ताव लाना कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। इसका असली मंशा तो एजिटेशन का मालूम होता है जो विरोधी दल करने की सोच रहे हैं।

माननीय गेंदासिंह जो प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी मैं बड़ी कद्र और इज्जत करता हूं और उनको बहुत दिनों से तथा सब तरह से जानता हूं। उनकी यह दलील सुन कर मुझे दुख हुआ कि यह सरकार शांतिमय तरीके से खतम नहीं होगी। अब मैं नहीं समझ सका कि शांतिमय तरीके से खत्म होने से उनके माने क्या हैं। शांतिमय तरीके से खत्म होने के माने तो यही होते हैं कि इस सदन द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय और यह मंत्रिमण्डल इस्तीफा दे दे। आम चुनाव हुये अभी ६ महीने ही हुये हैं और गवर्नमेंट अभी कोई काम कर भी नहीं सकी, फिर शांतिमय तरीके से इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है? आखिर प्रजातांत्रिक तरीके से ही तो इसे खत्म किया जा सकता है। यह तो होता नहीं कि आपने एक स्पीच दी, एक प्रस्ताव लाया गया और मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया। इस तरह से न तो कोई सरकार खत्म हो सकती है और न वह खतम होने जा रही है।

श्रीमन्, मैं आपको बतलाऊं और सदन से प्रार्थना करूं कि कांग्रेस प्रजातांत्रिक तरीके में विश्वास करती है और किसी भी प्रदेश में जब भी उसका बहुमत खत्म हुआ तो उसने दूसरी पार्टी को मौका दिया कि वे अपनी सरकार बनावें। अब तक इसके कई सबूत मिल सकते हैं। फिर अगर सरकार शांतिमय तरीके से हटना न चाहे तो आप क्या करेंगे, इस चीज को आप छिपाना चाहते हैं और वह छिपी हुई चीज यह है कि आप वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या प्रजातांत्रिक प्रणाली में यह सही तरीका है?

दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि रायें अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन जब प्रजातांत्रिक ढंग मौजूद है जिससे हम अपनी सरकार को बदल सकते हैं तो फिर अविश्वास का प्रस्ताव केवल एजिटेशन के चलाने के लिये आया है जिसका कि विरोधी दल ने एलान दे रखा है कि लोग जेलों में जायेंगे, गिरफ्तार होंगे। मैं आपसे बाअदब पूछता हूं कि यह कौन-सी पार्लियामेंटरी पद्धति है कि अगर बहुमत द्वारा बात न मानी जाय तो एजिटेशन चला कर जेलों को भरा जाय जिससे सरकार का खर्चा और बढ़े जिस खर्चे को कम करने की बात आप लोग अक्सर कहते रहते हैं? आज

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

शिकायत यह है कि सरकार खर्चा बढ़ा रही है, फिर जब जनता का पैसा जेल पर और ज्यादा बढ़ जायगा तो यह कौन-सा प्रजातांत्रिक और शांतिमय तरीका है ?

(व्यवधान)

सिद्धान्त युक्त या सिद्धान्त विहीन कोई खिचड़ी पार्टी भी बना लेंगे और आपकी मेजारिटी हो जायगी तो हम इस्तीफा दे देंगे । एक चीज तो यह हुई जो मैं अर्ज कर रहा था ।

दूसरी चीज उन्होंने कही कि दूसरी स्टेट्स के इस तरह के यह यह फिगर्स हैं और इस तरह से एग्रीकल्चरल टैक्सेज लग रहे हैं, बहुत लम्बे चौड़े फिगर्स पढ़ कर सुनाये गये, कहा गया कि १०९ करोड़ के टैक्सेज लगाये जायेंगे । मुझे ज्यादा नहीं मालूम, इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी इस का जवाब देंगे, लेकिन इतना तो मैं भी समझता हूं और कह सकता हूं कि उनके यह फिगर्स बिलकुल गलत हैं, वह बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताये गये हैं और वह सही नहीं हैं ।

माननीय गेंदासिंह जी से मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि उन को अप-टू-डेट नालेज रखना चाहिये और जो खास-खास चीजें हैं उन के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछकर पूरी नालेज रखना चाहिये । हमारी स्टेट का अन्य स्टेट्स से मुकाबला किया गया, मैं इस बात को मानता हूं कि हम अन्य स्टेट्स से पिछड़े हुये हैं, हम अभी उद्योग में पीछे हैं और कुछ और बातों में पीछे हैं । उन्होंने कहा कि पहली प्लान और दूसरी प्लान खत्म हुई, पहली में करीब १५३ करोड़ रुपया व्यय हुआ, दूसरी में भी २५३ करोड़ रुपया व्यय हुआ और करीब पौने पांच सौ करोड़ की यह प्लान है । जब हर प्लान आप के कहने के अनुसार बराबर बढ़ती जाती है तो जाहिर है कि उस का भार भी हमें और जनता को अधिक उठाना होगा । जब प्लान बना तो बड़े जोर से सब तरफ से कहा गया कि यह चीज भी हमारे यहां के लिये इस में शामिल की जाय और वह चीज भी शामिल की जाय और जब बड़ी प्लान हो गई तो आप को उसके लिये ज्यादा साधन भी जुटाने होंगे । अब साधन जुटाने के लिये कर्ज का या टैक्स का ही तरीका है कोई और तीसरा तरीका नहीं है । कह देने से ही काम नहीं चलता, भगवान का भरोसा ही लिये रहने से भी काम नहीं चलता । जब वह इस बात को मानते हैं कि प्लान बड़ी हो, उसके जरिये से बड़े-बड़े काम अधिकता से हों तो आज तो उन को बधाई देना चाहिये थी मुख्य मंत्री जी को और मंत्रिमंडल को और कांग्रेस सरकार को कि किस तरह से उस ने इतनी बड़ी प्लान आपके प्रदेश के लिये मंजूर करा दी और साहस कर के इस बात को तय किया कि जितना कन्ट्रीब्यूशन स्टेट से केन्द्र ने चाहा है वह पूरा किया जायगा ।

रूरल की बात कही जाती है, मैं भी किसान हूं, गांव से आता हूं, किसानों की कांस्टीटुएंसी का प्रतिनिधि हूं । मैं अर्ज करूंगा कि हमारी स्टेट ही एक रूरल स्टेट है, यहां शहरी आबादी बहुत कम है । मैं आप को बता दूं कि हमारी इस प्लान का २३३.६३ करोड़ रुपया रूरल सेक्टर में, ग्रामीण कार्यों पर व्यय होगा और ५४ करोड़ शहरी भाग में व्यय होगा । हमारी अधिकतर आबादी देहात में है, ७४.५ प्रतिशत हमारे यहां किसान हैं । जब हमारी एक राष्ट्रीय प्लान बनी तो वह सब के लिये बनी । यह प्लान सरकार की, एक आदमी की या किसी एक क्लास की नहीं है यह जनता की प्लान है, सब की प्लान है, सब की योजना है तो सब को ही उस के लिये कन्ट्रीब्यूट करना होगा इस जिम्मेदारी से कोई बरी नहीं हो सकता । यह ठीक है कि जो ज्यादा दे सकता है वह ज्यादा दे, जो कम दे सकता है वह कम दे, जो श्रम दे सकता है वह श्रम दे । फिर विरोध का सवाल क्या है, जो पार्टियां प्लान के खिलाफ़ हैं वह विरोध करें ईमानदारी के साथ, कोई चीज परमात्मा के यहां से बन कर नहीं आई, ग़लती हो सकती है । लेकिन जो पार्टीज प्लान में, सोशलिज्म में, एक ढंग से काम करने में और डेमोक्रेसी में विश्वास करती हैं फिर एक तरफ़ यह शिकायत करती हैं कि आपने छोटा प्लान बनाया, बड़ा बनाना चाहिये था

और जब प्लान बड़ा बनाया और उसको पूरा करने के लिये साधन मुहैया करने की बात की जा रही है तब कहा जाता है एजीटेशन करेंगे, जेलें भरेंगे, यह बात समझ में नहीं आती। या तो आप यह मानिये कि कांग्रेसी सरकार सब से प्रोग्रेसिव है या इसमें कुछ कमियां हैं अगर आप की शायद किसी पार्टी की सरकार होती और वह ज्यादा तेज चलती तो क्या बड़े प्लान नहीं बनाती, क़र्ज़ा नहीं लेती, टैक्स नहीं लगाती ? कुछ पार्टीज तो ऐसी हैं कि जिनको क़र्ज़ा ही नहीं मिलता तो क्या करतीं सिवाय इसके कि जनता पर निर्भर करें। तो दोनों चीजें आप नहीं कह सकते।

कहा गया सारी शुगर इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दीजिये। हम करेंगे और आप से जल्दी करेंगे। लेकिन जब करेंगे तो हमारा विश्वास है आपकी तरफ़ से उसका भी विरोध होगा। जब ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज किया था तो डिप्टी लीडर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने सब से ज्यादा उसका विरोध किया था। रही शुगर इंडस्ट्री की बात तो यह हमारे बस की नहीं है क्योंकि इसको तय करने वाली केन्द्रीय सरकार है वह तय करेगी कि कौन-सी इंडस्ट्री नेशनेलाइज करनी है और कौन-सी नहीं। हम प्राइवेट सेक्टर भी चला रहे हैं पब्लिक सेक्टर भी चला रहे हैं। तो सवाल यह नहीं है कि कौन-सा सेक्टर हम नेशनलाइज करके पब्लिक सेक्टर कर दें। सवाल तो यह है हमारे मुल्क में प्रोडक्शन कैसे बढ़े ? प्रोडक्शन जो प्राइवेट तरीके से होता है, चाहे किसान करता हो, दस्तकार करता हो और चाहे पूंजीपति करता हो, प्रोडक्शन कैसे बढ़े ? आज जो काम हो रहा है उसे हम ले लें इससे क्या फ़ायदा होगा ? अगर माननीय गेंदासिंह जी की ही बात थोड़ी देर के लिये मान लें कि ४० करोड़ कम्पेन्सेशन होता है तो सवाल यह है कि आज हम वह काम करें जो नहीं हो रहा है। या जो आलरेडी हो रहा है उसे ले लें ? इसी तरह से कहा कि टाटा को ले लें। अभी तो हमें पब्लिक सेक्टर में काफ़ी गुंजाइश है। तो जिस तरह के सोशलिज्म को हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें एक दलील बिना सोचे-समझे दे देने से कि जो काम हो रहा है उस सब को डिस्टर्ब कर दें इससे काम नहीं होगा। हां, आप यह कह सकते हैं कि उन पर कट्रोल करें, किसानों को ज्यादा पैसा मिले, यह तर्क तो ठीक लगता है। लेकिन यह कह देना कि उसको नेशनलाइज कर लो यह कोई दलील नहीं हुई, क्योंकि आप बता नहीं पाते कि प्लान बड़ा बनायें तो पैसा कहां से लायें।

जैसा अभी मैंने कहा रूरल एरियाज पर ज्यादा खर्च किया जायगा। आपने रूरल एरियाज पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात कही। मैं भी इसको मानता हूं हमारी स्टेट बैकवर्ड है, इसे आगे बढ़ाना है। लेकिन रूरल पापुलेशन महाराष्ट्र, केरल, मद्रास की ले लें, तो सब से ज्यादा हमारा परसेंटेज है। तो जो सोर्सेज हैं वही तो टैप किये जायेंगे तभी आमदनी बढ़ सकती है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा और माननीय गेंदासिंह जी ने भी कहा कि ला ऐंड आर्डर की पोजीशन बहुत गिर रही है। मैं मानता हूं, बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से क्राइम्स बढ़े हैं। जो सोशल ऐक्सपर्ट्स हैं, क्राइम ऐक्सपर्ट्स हैं वही इन कारणों को बतला सकते हैं। अब इसके रोकने के केवल दो ही तरीके हैं या तो पुलिस फ़ोर्स ज्यादा हो जो हर जगह पर क्राइम करने की टेंडेंसी बढ़ रही है उसको चेक करें। सब से कम हमारा पुलिस फोर्स है पर कैपिटा के हिसाब से.....उत्तर प्रदेश में और हमारे देश में और मुल्कों के मुकाबले में एक टेंडेंसी है क्राइम बढ़ाने की।

दूसरा तरीक़ा यह है कि समाज में ऐसा वायु मंडल उत्पन्न करें, समाज को इसके लिये तैयार करें कि क्राइम्स न होने दें। इतने क्राइम्स जो होते हैं उनको रोकने के लिये समाज के आदमियों का, खासतौर से नेताओं का काम हो कि वहां जा कर ऐसे तबकों से भिड़ें। लेकिन होता उल्टा है। जहां क्राइम्स होते हैं वहां लोग उनसे डरते हैं और कुछ तो शह देते हैं। गेंदासिंह जी ने कहा कि कुछ लोगों ने उनको घेरा, यह घृणित काम है। मैं सबसे पहला आदमी हूंगा कि जिन्होंने ऐसा काम किया उनके खिलाफ़ अपना खून बहाने के लिये अगर जरूरत पड़ जाय तो तय्यार हो जाऊंगा, लेकिन बुरा आप देखें कि दूसरे आदमी भी हैं चाहे वे मिनिस्टर हो जायं या कोई और जो इस तरह के संकट से घिरे रहते हैं। यह नहीं कि मिनिस्टर होने पर वे घिरे नहीं रहते हैं। उनको भी अपने

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

प्राणों की रक्षा करनी पड़ती है। पुलिस से रक्षा नहीं होती है। अपने आत्मबल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मैं उनसे अर्ज करू कि इसी सदन में जब चौधरी चरण सिंह पुलिस मिनिस्टर थे तो उन्होंने कुछ क्राइम्स के आंकड़े रखे थे और कहा था कि दुःख की बात है कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसमें बढ़ावा दे रही हैं। यह भी एक फैक्टर है। मैं इसे बड़ा फैक्टर नही मानता, लेकिन फैक्टर है। माननीय गेंदा सिंह जी से में कहूंगा कि वह उस स्पीच को देखें। बदकिस्मत है कि जब एक जिले के आंकड़े दिये तो उसमें पोलिटिकल जितने हिस्ट्री शीटर थे उनमें सब से ऊंचा नम्बर शायद पी० एस० पी० का ही था। कांग्रेस उसमें का सब से ऊंचा नम्बर था। कांग्रेस भी बरी नहीं थी। मेरे जिले में तीन, चार दफ़ा मेरे मर्डर का अटेम्पट किया गया। बलिया से मेरे मित्रों ने आदमी बुलाये। मेरे जिले में ऐसे भी लोग मौजूद हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में जो हिस्ट्री शीटर हैं और पी० एस० पी० में पदाधिकारी हैं और जो पहले मर्डर केसेज में वुलजिम रहे। कुछ लोग इस तरह के पेशेवर हैं कि जब कोई ईमानदार आफिसर पहुंच जाता है या ईमानदार पब्लिक कार्यकर्ता होता है उनके खिलाफ पर्चा निकालते हैं। कुछ आदमी पी० एस० पी० मे ऐसे हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं, चोरी में सजा पाये हुये हैं, ऐसे नेता पी० एस० पी० में हैं जो उनकी जमानत लेते हैं।

श्री अध्यक्ष---मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि पी० एस० पी० इस वक्त पावर में नहीं है, न यहां बैठी है। विषय पर आ जायं।

श्री चतुर्भुज शर्मा---जो कुछ उन्होंने कहा उसका मैं जवाब दे रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि अभी यहां करप्शन की शिकायत की जाती है। जैसा मैंने कहा, मैं रिपोर्ट्स से साबित कर सकता हूं कि जो पुलिस के ईमानदार आदमी हमारे जिले में गये उनके खिलाफ़ उन्हीं महोदय ने जिन महोदय ने कुछ और पर्चे निकाले और जो बेईमान अफसर जाते हैं उनकी तारीफ करते हैं अपने अखबार में। फिर जैसा मैंने कहा, चुनाव की काउन्टिंग हो रही है, उस समय सब वर्कर्स मौजूद हैं, रात को १ बजे तक काउन्टिंग होती है और उसमें कोई वर्कर जिनसे वह नाराज़ हैं, आ गये हैं। इत्तफ़ाक से किसी उनकी पार्टी के आदमी के यहां डकैती पड़ जाती है और उसमें उनका नाम लिखा दिया जाता है। तो जब पुलिस पूछने आये किसी बड़े आदमी से जिसने उसे वहां देखा है वह तो क्या कहे कि मैंने नहीं देखा। जिसको १०-२० आदमियों ने भी देखा, क्या जो सही बात है उसको झूठ कह दे? क्या इसके यह माने हैं कि पुलिस जिसका चालान करती है सब सही करती है, पुलिस कोई गड़बड़ी नहीं करती है? मैं कहता हूं कि पुलिस को सरकारी आदमियों से ज्यादा करप्ट वे लोग करते हैं जो अपने को आज विरोधी कहते हैं और अपनी सांठ-गांठ अफसरों से रखते हैं।

एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा और वह यह कि यह गरमी की बात नहीं है, मैंने कुछ थोड़ी सी बात जोश में कह डाली, मुझे स्वयं मालूम है कि गेंदासिंह जी के जिले में किस तरह के आदमी पी० एस० पी० के मेम्बर हैं, कांग्रेस में भी होंगे, यह मैं नहीं कहता, लेकिन असली सवाल आज इस प्रदेश के सामने यह है कि क्या हम गरीब रहना चाहते है, आज जिन कारणों से हमारी प्लान छोटी रही हम वही कारण मौजूद रखना चाहते हैं या आज हिम्मत कर के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कमजोर है उस को बढ़ा के हम अमीर होना चाहते हैं, पर कैपिटा इन्कम बढ़ाना चाहते हैं? अगर हम अपनी इन्कम बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी कोई तरकीब नहीं है सिवाय इसके कि प्लान को पूरा करें और कर लगायें।

श्री अध्यक्ष---आप का समय समाप्त हो गया। माननीय लखपतराम शर्मा।

श्री गेंदासिंह---मुझे सेल्फ एक्सप्लेनेशन का थोड़ा समय आप दे दें। मैंने कभी देवरिया का जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन मंत्री जी जरा यह बता दें कि देवरिया में कौन ऐसा आदमी पी० एस० पी० का मेम्बर है जो बदचलन है, बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष---आपने प्रश्न कर लिया।

श्री गेंदासिंह---एक बात और कि जिस आदमी की सफ़ाई मंत्री जी ने दी क्या फिर वह उसकी दो डकैतियों में शिनाख्त हो गयी ?

श्री लखपतराम शर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं जब यहां चुन कर आया तो मैंने सोचा था कि मैं किसी मकतब में तालीम लेने जा रहा हूं, लेकिन यहां आ कर मुझ पर कुछ अजीब असर पड़ा और आज राजस्व मंत्री जी का जो भाषण हुआ उससे जो उम्मीदें लेकर मैं यहां आया था वह सब खत्म हो गयीं। राजस्व मंत्री जी का भाषण सुनकर मैंने सोचा था कि अगर कांग्रेसी मंत्रिमंडल को आज के समय में किसी की आवश्यकता है तो बीरबल और अबुलफ़ज़ल जैसे सलाहकार जो ईमानदार और बहादुर आदमी थे, की जरूरत है। मैं किसी की ईमानदारी और बहादुरी पर कटाक्ष करने के लिये तैयार नहीं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यहां कभी-कभी ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है जैसे हम किसी थियेटर में पहुंच गये हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह का दृश्य हम यहां उपस्थित करते हैं। अगर मंत्रि पद पर आसीन लोग इस तरह का व्यवहार करने लग जायं, मैंने वह दृश्य भी देखा कि मंत्री जी ने अपना स्वयं का कुरता उलट कर अपने पेट को हवा खिलाते हुए राजनीतिक पार्टियों को भद्दे तरीकों से कोसा श्रीमन्, मैंने यह भी देखा कि यह इतना महत्व पूर्ण विषय है जिस पर लोगों की रोजी व रोटी का सवाल है उस पर उस समय व्यक्तिगत आलोचनायें हुईं जब कि उत्तर प्रदेश की जनता की दृष्टि इस ओर लगी है।

श्रीमन्, मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल को हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है जिसने कि संविधान को ही खत्म कर दिया हो। इन बातों को रखने के साथ मैं मंत्रिमडल को चुनौती देता हूं। २६-१-५० को संविधान लागू हुआ और यह खुली हुई छूट देता है कि मजदूर, किसान और हर व्यक्ति को हर तरह की आसायश और सहूलियत दी जायगी। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान संविधान की धारा ४३ की तरफ दिलाता हूं। उसमें यह है कि १४ साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी, लेकिन आज उन पर उल्टी दुगनी फीस कर दी गई है। मैं यहां थानेदारों की भी बात कहना चाहता हूं जिस पर हमारा मंत्रिमंडल गरजता है। अधिकांश पुलिस में थानेदारी की जगह पर इंटर लिये जाते हैं जिन्हें १५० रुपये व महंगाई भत्ता दिया जाता है और हमारे अध्यापकों को जो बी० ए० एल-टी० एम० ए० एल० टी० होते हैं और जो समाज की रीढ़ होते हैं, उनको केवल १२० रुपये ही तनख्वाह दी जाती है।

श्रीमन्, संविधान की धारा ४९ में लिखा है कि ऐतिहासिक भवनों की रक्षा सरकार करेगी। जिन राजाओं और महाराजाओं को सत्ताधारी दल के लोग कोसते हैं वे भूल जाते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के नाम के आगे भी रानी शब्द है व उनका सम्बन्ध भी राज्य खानदान से था। श्रीमन्, आजकल....

श्री अध्यक्ष---माननीय लखपतराम जी, आप इतना तेज बोलते हैं कि थक जायेंगे और रिपोर्टर्स लिख भी नहीं पायेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा---मान्यवर, थकने की नौबत नहीं आएगी। श्रीमन्, हम लोग झांसी के रहने वाले हैं और यह हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जिस महारानी लक्ष्मी बाई ने हमारे भारत वर्ष का नाम दुनिया में ऊंचा किया आज उसके महल में गाय, बैल, भैंस, बकरी व गधे वगैरह आजादी के साथ विचरण करते हैं और उसकी दुर्दशा कर रखी है।

इसी प्रकार से संविधान की धारा ५० के अनुसार एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी अलग-अलग होने चाहिये थी। लेकिन आज तक अलग-अलग नहीं हुये। जुडीशियल मजिस्ट्रेट का कैरेक्टर रौल अभी तक कलेक्टर लिखता है। इसी कारण श्रीमन्, बहुत से मुकदमें वापस करा लिये जाते हैं। एक मुकदमा कटेरा में कांग्रेस वालों के ऊपर डकैती का चलाया गया था। उसको कैसे वापस किया गया है ? इसको जरा बताया जाय। इसके अलावा एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट

[श्री लखपतराम शर्मा]

पर पुलिस झांसी द्वारा रेप का केस चलाया गया था। उस तक को भी सरकार ने वापस ले लिया था। इस तरह की तमाम चीजें आये दिन होती रहती हैं। इस तरह से इस सरकार के यहां काम होता है। सिमथर के एक कांग्रेसी चेयरमैन के ऊपर गबन का एक मुकदमा चला। गवर्नमेन्ट ऐडवोकेट जनरल उसकी बहस को गये और पब्लिक ईटरेस्ट में उसको वापस लिया गया। नगरपालिका झांसी के चेयरमैन के हटाये जाने के लिये विधान मंडल के ४८ माननीय सदस्यों ने मांग की। लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। उसके खिलाफ प्रतिनिधियों एवं जनता को और क्या कार्यवाही करने का वैधानिक अधिकार रह जाता है इसको बताया जाय ?

श्रीमान्, इस तरह की आये दिन घटनायें होती रहती हैं। मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि वे त्यागपत्र दें, मैं भी उस पर दस्तखत करने के लिये तैयार हूं। आप लगान भी बढ़ाने जा रहे हैं। इस प्रश्न के ऊपर आप झांसी में चुनाव लड़ लीजिये। अगर मंत्री जी चुनाव जीत जायंगे तो मैं जिन्दगी भर उनके घर पर उनका निजी काम यहां तक कि जूतों पर पालिश करने को तैयार हूं।

अब भी आप टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। बुन्देलखंड जैसी जगह की जनता पर भी जुल्म हो रहा है। (व्यवधान) जब कि वहां की जनता गरीब व पिछड़ी हुई है, यहां तक कि कोदों, फिकार, महुआ, बेर, मिरवन व भदेरी पर अधिकांश जनता जीवित है।

झांसी में कांग्रेस का चुनाव होता है। श्रीमन्, लड़के की शादी में बड़ी-बड़ी दावतें दी जाती हैं, खुशियां मनायी जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव के जमाने में सैकड़ों रुपये सिर्फ चाय में खर्च किये जायं, जिस दिन वोट पड़ने वाले हों क्या इस तरह से चुनाव में जीत कर आना उचित है ? यह एक मेरे पास परचा है---कांग्रेस चुनाव कार्यालय, झांसी से श्री सीताराम द्वारा १४६ रु० चाय का लिखा हुआ है जो २१ फरवरी, १९६२ का है।

श्री अध्यक्ष---माननीय लखतराम जी, एक मिनट है आप का।

श्री लखपतराम शर्मा---मैं आखिरी निवेदन करूंगा। (शोर)

श्री अध्यक्ष---देखिये विषय पर बोलिये।

श्री लखपतराम शर्मा---मैं आप से आखिरी निवेदन करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के लगान बढ़ाने और टैक्स लगाने की गरीब जनता पर, जरूरत क्यों पड़ी ? इस लिये कि आपको गांव के रहने वालों की हालत नहीं मालूम। अगर मैं यह कहूं कि आप सर्किट हाउस में ठहरते हैं, आप भगवान से भी बड़े भगवान बने हुये हैं, तो यह गलत बात नहीं होगी। अगर चुनाव न हो तो आपके दर्शन जनता को न मिलें। आपके दर्शन जनता को पांच साल बाद मिलते हैं। आप भगवान हैं। आपके पट पांच साल के बाद ही खुलते हैं। प्रदेश की जनता पर टैक्स लगाने पर अब तो रहम कीजिये चूंकि आप पर जनता का विश्वास नहीं है

श्री अध्यक्ष---आप का समय समाप्त।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया।

श्रीमन्, मैंने बड़े गौर के साथ कुछ सदस्य और कुछ सदस्याओं के भाषण सुने और माननीय राजस्व मंत्री का विधवा विलाप भी सुना। कुछ सदस्यों ने यह कहा कि आखिर यह प्रस्ताव आया क्यों। अगर यह बात माननीय राजस्व मंत्री की समझ में न आती तो मेरी समझ में आ सकता था। लेकिन जो सदस्य समझ कर बोल रहे थे, जैसे माननीय सुशीला रोहतगी, उनकी समझ में यह प्रस्ताव नहीं आया, यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमने एक सीधा-सादा प्रस्ताव गैर सरकारी दिन के लिए रखा, उसके शब्दों पर कानूनी ढंग से खेली जाने लगी।

और यह कोशिश की गयी कि किसी तरह से यह प्रस्ताव न आये तो हमारे लिये फिर रास्ता ही क्या रहा जाता है सिवा इसके कि किसी न किसी रास्ते से जनता की बात यहां रखें और उस के ऊपर जोर दें। उसके अलावा क्या प्रजातांत्रिक रास्ता है ? इस प्रस्ताव के द्वारा हम कांग्रेस की हयादारी को जांचना चाहते हैं। हम यह जांचना चाहते हैं कि कितनी इनमें हया और शर्म है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी एक माननीय सदस्या ने उधर से कहा कि विलायत की बातें कुछ लोग कहा करते हैं और उन्होंने विलायत का कुछ उल्लेख किया। मैं वहीं की बात कहना चाहता हूं, जहां की वह सुनना चाहती हैं। हम लोग विलायत की बात नहीं करते। लेकिन चूंकि वह सुनना चाहती हैं इसलिये हम मजबूर हैं कहने के लिये। मैं पूछना चाहता हूं कि इंगलैन्ड में १९२४ में मैकडानल्ड की सरकार किस चीज द्वारा हटायी गयी थी ? अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा या किसी और चीज द्वारा ? १९४० में चैम्बरलेन साहब, जो छतरी लेकर जर्मनी गये थे, वह कैसे हटाये गये थे ? उन सब को छोड़ दिया जाय। मैं इसी सदन का उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। १९२८ में सितम्बर के महीने में, उन्हीं कुर्सियों पर बैठने वाले राजा जगन्नाथ बख्श सिंह कैसे हटाये गये थे ? अविश्वास के प्रस्ताव से या किसी दूसरे तरीके से ? आखिर हमारे पास रास्ता क्या है ? जब हम यह देख रहे हैं कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो हम क्या करें ? लिहाजा हम मजबूर हैं कि इस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सारे तथ्यों को स्पष्ट रूप से रखें।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने बड़े ताव के साथ कहा कि अगर हम छोड़ दें तो यहां कौन बैठेगा ? मैं निवेदन करूंगा कि पहले आप छोड़ कर देखिये। लेकिन आपको छोड़ना ही नहीं है। पहले आप छोड़िये उसके बाद देखिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन जो अपना रवैया दिखलाया, उसको देखकर मैं हृदय से प्रसन्न हुआ। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से मैं पहलवान रह चुका हूं। इसलिये जब भी किसी की मैं पहलवानी मनोवृत्ति देखता हूं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। उस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने पहलवानी मनोवृत्ति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जैसे कोई पहलवान ललकारे और दूसरा पहलवान तहमद खोल कर, जांघिया पहन कर अखाड़े में कूद पड़े और कहे आ जाओ अभी लड़ लो। मैं चाहता हूं कि उसी मनोवृत्ति से माननीय मुख्य मंत्री जी एक मर्तबा यह भी करके दिखलावें कि लो, मैं छोड़ता है, आओ सब सम्हालो और उन्हीं के शब्दों में अगर वह जानते हैं कि दूसरा कोई सरकार बना नहीं सकता है तो उनका यह चैलेंज भी उसी तरीके से बिलकुल एकदम खम्भे की तरह गड़ जायगा और एक मिसाल कायम हो जायगी, एक हिस्ट्री बन जायगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी एक मर्तबा इस चीज को अमल में लाकर के दिखला दें ताकि एक परम्परा, एक हिस्ट्री बन जाय और दूसरों के लिये एक मिसाल रहे।

श्रीमान् जी, अब मैं आपके द्वारा थोड़ा-सा यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने सवेरे यह कहा कि हम तो कर लगायेंगे जरूर और हम तो इसीलिये आये हैं और हमने यह कह के जनता से वोट लिया है। मगर श्रीमन्, मैं दुख के साथ निवेदन करता हूं कि जितनी वोटर संख्या है उस पूरी संख्या का केवल २१ प्रतिशत वोट वह पाये हैं। महज २१ प्रतिशत वोट पाने पर यह तुर्रा है कि हमें तो जनता ने वोट दिया अपना गला काटने के लिये और हम उसके लिये तैयार बैठे हैं। गला कैसे-कैसे काटते हैं जरा वह भी सुन लीजिये। (व्यवधान) हुल्लड़ करने से काम नहीं चलेगा। यहां रुकने वाले नहीं हैं। देखें आप कि किस तरीके से इन्होंने काम किया है।

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के विभाग की बात कहूंगा कि श्रीमन्, यह सांख्यिक सारांश १९६१ की पुस्तिका छपी है। मैं उसमें से उद्धरण देना चाहता हूं। भू परिमाप विभाग ने अपने प्रदेश का जो सर्वेक्षण किया तो उसने बतलाया कि ६ करोड़ १७ लाख ४२ हजार २८५ एकड़ जमीन अपने यहां है। लेकिन लेखपालों के कागजात में जो दर्ज है वह है ६ करोड़ २८ लाख १३ हजार ९८४ एकड़ जमीन। यानी १० लाख ७१ हजार ६९९ एकड़ ज्यादा दर्ज

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

है लेखपाल साहबान के यहां। यह जो लगभग ११ लाख एकड़ जमीन ज्यादा दर्ज है उस पर अगर ४ रुपये एकड़ मालगुजारी लगायें, हालांकि इससे ज्यादा ही है, लेकिन ४ रुपये भी लगायें तो ४२ लाख ८६ हजार ७९६ रुपये जनाब यों ही ले रहे हैं बगैर जमीन के। जमीन है ही नहीं और लगान उसका वसूल कर रहे हैं। उस पर भी कहते हैं कि हम तो टैक्स लगायेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, हम तो उसी के लिये आये हैं।

अब श्रीमान् जी, मैं यह थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि क्यों चाहते हैं यह टैक्स लगाना? तर्क यह दे रहे हैं कि हम टैक्स इसलिये लगाना चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजनायें पूरी करनी हैं और योजना के द्वारा देश को उन्नत करना है, उसकी गरीबी को दूर करना है, लोगों को खुशहाल बनाना है। बड़ी उम्दा चीज है। किसको इनकार हो सकता है? मैं तो कहता हूं कि इस काम की पूर्ति के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी चाहें तो धोती और कुर्ते भी रखवा लें, खुशी से हम दे देंगे, वह कहें कि इस कार्य के लिये भूखे और नंगे रहना है तो भूखे और नंगे भी रह सकते हैं, लेकिन इसलिये तो हम नहीं यह कर सकते हैं कि कैबिनेट रूम एयर कंडीशन बनाया जाय जिसमें साल में शायद गर्मी में एक दो मीटिंगें ही होती हैं, नहीं तो सब मीटिंगें नैनीताल में होती है। तो उसके लिये तो हम नहीं दे सकते। मैं यह कह रहा था कि यह रुपया जो खर्च किया गया वह किस ढंग से खर्च हुआ? अभी तक दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद राज्य की आय तो बढ़ी है लेकिन प्रति व्यक्ति आय घट गई। जिसके लिये सब कुछ किया गया उसकी तो आय घटी और राज्य की आय बढ़ गई। कैबिनेट रूम एयर कंडीशन हो गया। श्रीमन्, १९५१ में हमारी प्रति व्यक्ति आय २५७.६६ थी। १९६० में दूसरी योजना की पूर्ति के करीब २४९.४७ रह गई। यह तो प्रति व्यक्ति आय रही और प्रदेश की आय क्या रही? १९५१ में १६२८ करोड़ रुपये तथा १९६० में १८२१ करोड़ रुपये हो गई। तो राज्य की आय तो बढ़ गई, लेकिन जिनके लिये यह आय बढ़ाई गई, यह सब कुछ किया गया उनकी हालत यह हुई कि उनकी दशा पहले से भी बुरी हो गई।

इसी प्रकार से श्रीमन्, और भी कुछ चीजें बढ़ी हैं। एक चीज और बढ़ी है, अपराधों म। और सब अपराध जहां बढ़े हैं वहां सबसे अधिक संख्या में जो चीज बढ़ी है वह है धोखेबाजी। धोखेबाजी के १९५५ में ९११ केस सफल हुये और १९५९ में १००५। दूसरी कौन सी चीज बढ़ी श्रीमन्। जेल में अपराधियों को देखने से पता लगता है कि किन किन लोगों की वद्धि वहां हुई है। तो वहां श्रीमन्, १६ साल से कम आयु वालों की संख्या १९५६ में ७५४ थी और १९६० में उनकी संख्या १०१२ हो गई। २२ वर्ष से ३० वर्ष की उमर वाले सन् १९५६ में २३,१६६ थी और सन् १९६० में वह संख्या २६,४२० हो गई। इसके साथ आप देखें कि शिक्षितों की संख्या जेल जाने में बढ़ी है। उनकी संख्या १९५६ में १३,४२० थी और सन् १९६० में आकर १८,८७४ हो गई। शिक्षित लोग जो अपने यहां बेकार हो गये तो उसका नतीजा यह हुआ कि वे लोग चोरी करने को मजबूर हुये। उनको शिक्षा दी गई, लेकिन शिक्षा देने के बाद काम देने की जिम्मेदारी महसूस नहीं की। इनको काम पर लगाना चाहिये था, लेकिन उनको नहीं लगाया गया। इसी वजह से इसमें बढ़ोत्तरी हुई। आप जोर के साथ समाजवाद ले आना चाहते हैं गरीबी मिटाने के लिये और साथ ही अमीरी को मिटाने के लिये बड़े-बड़े लोगों को खत्म करना चाहते हैं। मगर हालत क्या है? किस तरह से सूती वस्त्र के उद्योग में तरक्की हुई? तीन किस्म का कपड़ा अपने यहां बनता है। मोटा, महीन और अतिमहीन। उसके आंकड़े मैं आपको बतलाऊं कि सन् १९५७ में मोटा कपड़ा अपने यहां १२,२०,४६,००० गज बना। महीन कपड़ा जो बना वह १,३४,००० गज बना और अति महीन कपड़ा बिलकुल नहीं बढ़ा। फिर वही कपड़ सन् १९५९ में आकर मोटा पैदा हुआ ६,१६,४२,००० गज यानी यह कपड़ा बनना घट गया। महीन ८,३८,००० गज बना और अति महीन कपड़ ६६,०८,००० गज बना। तो यह अति महीन कपड़ा किसके लिये बना? क्या उस किसान के लिये बना जिसके लिये आपके दिल में बहुत हमदर्दी है?

श्री अध्यक्ष—आपका एक मिनट का समय बाकी है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—पांच मिनट और मुझे दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—एक चीज और बढ़ी है शराब । गांधी जी का आदर्श मानने वालों ने शराब में बढ़ोत्तरी की है । वह सन् १९५६ में १३,४८,००० गैलन पैदा हुई और सन् १९६० में २२,४२,००० गैलन पैदा हुई । इसमें ५० फीसदी अलकोहल रहता है । यह बिलकुल पीने के लिये होती है । यह शराब की तरक्की किसके लिये की गई ?

इसी प्रकार से सीमेंट, जिसकी अपने यहां फैक्टरी लगी हुई है, उस सीमेंट का आयात हुआ है और उस आयात में वृद्धि हुई है । वह सन् १९५५ में ९१,२२,९७१ बोरे मंगाये गये और सन् १९६० में १,४६,४३,९६९ बोरे बाहर से मंगाये गये । क्या जरूरत थी कि इतना सीमेंट बाहर से मंगाया गया । इस बात से यह सिद्ध होता है कि जो रुपया हम देते हैं उस रुपये को ठीक स्थान पर न लगाकर दूसरे कामों में लगाया जाता है । अगर इसको ठीक तरह से लगाया जाय और ठीक तरह से खर्च किया जाय तो उसका उपयोग हो सकता है और ठीक फल भी उसका मिल सकता है । इसका उपयोग होना चाहिये । और किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिये अन्त में मैं मुख्य मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि उस पहलवान वाली मनोवृत्ति से इस कुर्सी को जरा छोड़कर देखें तो किस तरह से दूसरी पार्टी अपनी हुकूमत बनाती है ।

नियोजन मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—अध्यक्ष महोदय, दो दिन से इस सदन में जिस आवेश पूर्ण वातावरण में वाद-विवाद हो रहा, उससे कम से कम श्रीमन् मुझको बड़ा दुख हुआ । वह इस कारण कि जहां हमने अपनी आज गिरी हुई अवस्था में भी जनता को अनेक चीजों की शिक्षा दी थी वहां हमने यह भी प्रयास किया था कि इतने दिनों की गुलामी के बाद, शायद यह प्रथम देश है दुनियां में, जिसने प्रजातंत्र की स्थापना की है और वह भी संसदीय प्रजातंत्र की ।

प्रजातंत्र की कुछ भित्तियां होती हैं और उसकी कुछ मान्यतायें होती हैं साथ ही उसकी कुछ परम्परायें भी होती हैं और यदि प्रजातंत्र की उन मान्यताओं को, उन भित्तियों को और उन परम्पराओं को छोन लिया जाय तो वह प्रजातंत्र बराशायी हो जायगा । यही कारण है कि हम और आप जानते हैं कि जो दुनियां में प्रजातंत्र का श्रोत कहा जाता है, वहां जहां से प्रजातंत्र का उद्गम स्थान माना जाता है, वहां कोई कान्सटीट्यूशन नहीं है। वह भित्तियों और परम्पराओं पर ही बनता है, निर्मित होता है और आज भी उसी पर वह अवलंबित है । मैं समझता था कि संसदीय प्रजातंत्र में अविश्वास का प्रस्ताव उस समय आना चाहिये जब कि देश के ऊपर एक बड़ा भारी संकट हो और देश संकट के स्थल से गुजर रहा हो और विपक्षी दल यह समझता हो कि सत्तारूढ़ दल इस देश को उस संकट से बचा नहीं सकता तभी ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है । जैसे मैंने कहा कि प्रजातंत्र का श्रोत जिस देश को कहा जाता है वहां तो ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं कि जब सरकार ने देखा कि देश संकट से गुजर रहा है और देश में एक प्रतिकूल वातावरण है तो स्वयं उन्होंने, उन सरकारों ने स्तीफा दे दिया है ।

तो जिस आवेश में यहां इस प्रस्ताव पर २ रोज से बहस चल रही है, उसमें विरोधी दल के प्रत्येक सदस्य ने जिसने इस वाद विवाद में भाग लिया हो या न लिया हो, उससे पूछूंगा कि कितनी भित्तियों, कितनी परम्पराओं का उन्होंने आदर किया है । मैं तो रोज यहां आकर इस आशा में बैठता था कि कुछ जानूंगा, कुछ सीखूंगा और कुछ अपनी गलतियों को महसूस करूंगा और साथ ही साथ इस बात का प्रयत्न करूंगा कि वह गलतियां न करूं । क्योंकि यदि यह कार्यभार, जनता ने चाहे अपनी गलती से, चाहे अपनी भूल से और चाहे चुनाव की पद्धति की खराबी से इस दल के ऊपर दे दिया है, तो इस दल के लिये यह शोभा नहीं देगा कि वह खुद इस जिम्मेदारी को न ले। जब वह जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपी गई है तो उसको तो लेना ही पड़ेगा । प्रजातंत्र में यह होता है कि चाहे इधर के बैठने वाले सदस्य हों या उधर के बैठने वाले सदस्य हों, उन्हें इधर बैठने के

[श्री हरगोविन्द सिंह]

लिये और उधर बैठने के लिये क्रमशः तैयार होना चाहिये, तभी तो प्रजातंत्र चल सकता है। तभी तो प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है। लेकिन अगर उधर के बैठने वाले लोग यह समझते है कि एक प्रकार से इस अविश्वास के प्रस्ताव की सालगिरह मनानी चाहिये, चाहे उससे कोइ लाभ होने वाला हो या न हो, तो मैं समझता हूं कि इस देश में प्रजातंत्र को हम बड़ा धक्का दे रहे हैं। हम आने वाली संतानों को प्रजातंत्र की रक्षा के लिये कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बल्कि अविश्वास पैदा कर रहे है प्रजातंत्र की प्रणाली पर।

इसलिये, इस पृष्ठभूमि में मैं नम्रतापूर्वक उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और पूछता हूं कि आखिर क्या इधर बैठने वाले किसी सदस्य ने या मंत्री ने यह कहा है कि हमारे प्रदेश की हालत बहुत अच्छी हो गयी है ? श्रीमन्, पंचवर्षीय योजना की किताब हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में, अगर अंग्रेजी में न सही तो हिन्दी में, अवश्य हर माननीय सदस्य के पास होगी। मैंने तो इस बात का भी प्रयत्न किया कि दो रोज तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विवाद हो जाय और इसकी कमियों पर प्रकाश पड़ सके। मैं उस चीज पर नहीं जाऊंगा कि क्यों हम उस पर विवाद नहीं कर सके। आज अगर यह कहा जाता हमारी तरफ से कि किसान की हालत बहुत अच्छी है, तब तो जो भी हल्ला और शोर हुआ वह मेरी समझ में आ सकता था। लेकिन हमने तो कोई भी बात उस पुस्तिका में लिखने से छिपाई नहीं है। जहां-जहां भी हम को अपनी कमजोरियां मिलीं, हमने उनका उल्लेख उसमें किया और यह माना कि हमारी हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है।

अब श्रीमन्, मतभेद इसमें हो सकता है कि हालत क्यों गिर रही है ? हो सकता है कि उस पक्ष के बैठने वाले माननीय सदस्यों का यह कहना हो कि यह हालत केवल इस कारण गिरती जा रही है कि इंतजाम अच्छा नहीं है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण यह है कि हमारी हालत इसलिये खराब है कि खेती के अलावा आय का हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। हमारे प्रदेश में उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ है। जो पिछली योजनायें बनीं उनमें, हमारे प्रान्त की अपेक्षा दूसरे प्रान्त के लोगों ने अधिक त्याग किया, अधिक पूंजी लगायी, और उसी के कारण उनकी आय हमसे ज्यादा हुई। अगर उस अनुपात में हम उनका मुकाबिला करें तो हमको मालूम होगा कि हमने उनके मुकाबिले बहुत कम पूंजी लगाई। सबसे कम पूंजी लगाई है। तो हमें इस बात का पूर्ण अधिकार है कि हम आपसे यह कहें कि आइये, हम सब मिल कर, एक ऐसा सम्मिलित प्रयत्न करें और अधिक पूंजी इकट्ठा करें और उसे योजनाओं में लगायें जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ जाय।

प्रति व्यक्ति की आमदनी का बड़ा शोर किया जाता है और कहा यह जाता है कि प्रति व्यक्ति आमदनी जो होती है वह इस बात का निर्देशक है कि हमारी अवस्था सचमुच में कैसी है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि प्रति व्यक्ति की आमदनी मूल्यांकन नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें शामिल नहीं होती जिन से हम अपने जीवन के स्तर की ऊंचाई का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे उसमें उन चीजों का शुमार नहीं होता जिससे धन की वृद्धि नहीं होती। जैसे शिक्षा ले लीजिये। उस से कोई धन की वृद्धि नहीं होती, यह कोई इस माने में उत्पादन शक्ति नहीं है या साधन नहीं कि जनता को कुछ मुद्रा के रूप में धन में वृद्धि मालूम हो। लेकिन जीवन स्तर इससे ऊंचा होता है, इसमें संदेह नहीं। यह बात तो नहीं है कि सन् ५१ के मुकाबिले में सन् ६१ में हमारी आमदनी न बढ़ी हो। प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। इसमें बड़ा वाद-विवाद होता है। यह जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेन्ट है उसमें इस बात पर बड़ा मतभेद है कि किस तरह से उसका हिसाब लगाया जाय।

कहा जाता है कि इस वक्त में शायद २६८.७ प्रति व्यक्ति है, जबकि सन् ५१ में २५९.७२ थी। लेकिन मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता और न उन्हें थोपना चाहता हूं। मान लीजिये, हम उसी स्तर पर हैं। मैंने रात भर बैठ कर आज हिसाब लगाया (हंसी) हंसिये नहीं, जरा

सुनिये, सोचिये। यह हंसी की बात नहीं है। आप हंस सकते हैं इसलिये कि शायद इस भूमि से आपको कम सम्बन्ध हो, लेकिन मुझे उस पर हंसी नहीं आती। श्रीमन्, मैंने हिसाब लगाया कि जिस अनुपात से हमारे इस प्रान्त में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उससे सन् ६६ में हमारी हालत क्या होगी, सन् ७१ और ७६ में क्या होगी। अगर जीवन स्तर को हम ऊंचा न करें, आमदनी वही रहे तो मुझे बड़े भयावह आंकड़े मिले। सन् ६६ में हमको १५२ करोड़ रुपया अपनी आय में वृद्धि करनी पड़ेगी अगर जीवन स्तर यही रहे जो आज है केवल यह जनसंख्या के कारण है। उसी तरह से अगर आगे देखें तो सन् ७१ में ३१७ करोड़ अधिक धनराशि चाहिये और सन् ७६ में ५१६ करोड़ चाहिये। आप इस योजना की पूर्ति मत कीजिये, फिर भी यदि आप इस प्रान्त को भुखमरी से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बंगाल वाला दृश्य यहां न हो तब भी आपको इतने धन का इंतजाम करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे? गोंडा में क्या हो रहा है, कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, इससे इस प्रांत की समस्या सुलझने वाली नहीं है। प्रांत की समस्या इससे सुलझेगी और उसके लिये एक ही रास्ता है और प्रत्येक सदस्य यही रास्ता बता सकता है कि अपने ऊपर तकलीफ सहो, ४०० की आमदनी में एक पैसा बचाओ उसको और किसी मद में लगाओ, अपनी आमदनी के तरीके बढ़ाओ। यही पंचवर्षीय योजना में आपके सन्मुख आया है।

यह पंचवर्षीय योजना कोई प्रान्त की अलग की नहीं है। यहां की जो पंचवर्षीय योजना है वह सारे देश की पंचवर्षीय योजना का एक अंग है। पार्लियामेंट में यह योजना बनती है। इसलिये आज हमारे सामने एक सवाल यह है कि किस तरह से इस ४९७ करोड़ रुपये की योजना को सफल बनाया जाय। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम इस योजना को नहीं चाहते, अगर इस तरह से आप समझते हैं कि हम इस योजना के लिये रुपया क्यों दें, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि यह इस तरफ के लोगों का दृष्टिकोण नहीं है और मैं आशा करता हूं कि उस तरफ के बैठने वाले बहुत से लोगों का भी ऐसा दृष्टिकोण नहीं है कि इस योजना को छोड़ दिया जाय।

आज हमारे एक और दुःख है संकट है, बलिदान है, त्याग है और दूसरी तरफ भुखमरी है तो हमको और आपको अपने स्थान पर खड़े होकर यह सोचना पड़ेगा कि हम कौन-सा रास्ता अख्तियार करें। प्रत्येक देश ने अपनी योजनायें बनायीं और उनके अनुसार अपना उत्थान किया।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह चुनौती दी कि आप गरीबों पर कर लगाना चाहते हैं, चलिये उनके बीच में और उनसे पूछलें कि क्या वे कर की वृद्धि को स्वीकार करते हैं। मुझे यह सुनकर थोड़ा-सा अफसोस हुआ और इसलिये हुआ कि हे भगवन, इस जनतंत्र की रक्षा उन लोगों के हाथ में है कि जो जनतंत्र का इतिहास नहीं जानते हैं। क्या कोई ऐसा उदाहरण बता सकता है कि जनतांत्रिक देशों में कभी टैक्सों की बिना पर इलेक्शन लड़ा गया हो। इंगलैन्ड में यह तो हुआ कि लोगों ने बहुत दिनों तक उन लोगों को वोट नहीं दिया जो कि फाकेमस्ती की हालत में रखना चाहते थे रूस में तो इस प्रथा को ही नहीं अपनाया गया। उन्होंने सोचा कि हमारा देश गरीब है, प्रजा की राय से उत्थान में बड़ी मुश्किल होगी इसलिये उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। चाहे हम रूस की शासन-पद्धति से सहमत हों या न हों, लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि उसने इन तीस वर्षों में योजनाओं की वजह से बहुत तरक्की की है और जनता की राय से अगर वह चला होता तो शायद न कर पाता। अगर यह योजना भी किसी डिक्टेटरशिप के देश में होती तो बड़ी आसानी से चलाई जा सकती थी, लेकिन जनतांत्रिक देशों में यह मुश्किल होती है। लेकिन अगर मुश्किल होती है तो करना क्या चाहिये? करना यह चाहिये कि प्रत्येक दल वालों को देश की रक्षा के लिये उसकी उन्नति के लिये एक सम्मिलित प्रयत्न करना चाहिये और उसके लिये जनता को उत्साहित करना चाहिये कि वह देश के लिये बलिदान करने को तैयार हो। मेरा ख्याल है कि लड़ाई के इतिहास को आप भूले न होंगे। अगर आप भूले हों तो मैं आपको अभी याद दिलाऊं कि एक लेखक ने लिखा है कि फ्रांस में १४ रोज के अन्दर जर्मनी की फौज इस तरह से घुसी जैसे मक्खन में चाकू घुसता है। जिस फ्रांस का मिलिटरी प्वाइंट आफ

[श्री हरगोविन्दसिंह]

व्यू से अपना एक गौरव था, शक्ति के खयाल से उसका एक स्थान था, दुनिया की बड़ी बड़ी त कतों में एक समझा जाता था, वहां हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा के क रण लोगों को इतना हतोत्साहित कर दिया था कि १४ दिन के अन्दर ही जर्मनी फ्रांस के पैरों के नीचे आ गया। तो श्रीमन्, यह आज का जो समय है, इसमें प्रांत की निर्धनता को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता। आप उनको देश प्रेमियों की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन हमें आप क्षमा करेंगे कि देश, मुल्क और प्रांत की गरीबी को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये। हो सकता है कि हम में और आप में कुछ मतभेद हो कि कहां से रुपया निकालना चाहिये। वह मतभेद, आइये, हम और आप बैठ कर दूर करें, ढूंढें, हर एक घर में ढूंढें, लेकिन अगर आप यह कहते है कि ६०० करोड़ की पूंजी जो विदेशों की यहां लगी हुयी है उसे ले लिया जाय...
(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---शुगर मिलों की पूंजी लीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह---माननीय मुख्य मंत्री जी उसका जवाब आपको दे देंगे। मैं इस समय श्रीमन्, केवल एक बात कहना चाहता हूं। फोर्ड का नाम आपने सुना होगा। सर हेनरी फोर्ड अमेरिका के एक बड़े धनी आदमी हैं। उनके पास सोशलिस्ट पार्टी के एक भाई गये और उनसे कहा कि आपको क्या अधिकार है कि एक मिनट में आप इतना रुपया खर्च करें? उसने थोड़ी देर हिसाब लगाया और अपनी जेब से निकाल कर उनको एक आना दे दिया। उन्होंने कहा कि यह क्या? उसने कहा कि मैंने हिसाब लगाया है तो आपका एक आना पड़ता है जिसे आप ले लीजिये, फिर आपको कोई शिकायत का मौका नहीं हो सकता। तो श्रीमन्, देश के लिये इस समय एक बड़ी घातक प्रवृत्ति चल रही है। कुछ लोगों का यह ख़याल है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिये हम प्राइवेट सेक्टर को मार डालें, कोई धनी आदमी रहने न पाये। तो इसमें श्रीमन्, मुझे एक बड़ी भारी शंका होती है और वह शंका इस कारण उत्पन्न होती है कि आज देश की सरहद पर जो आक्रमण करने के लिये तैयार है उसे हम ऐग्रेसर कहने के लिये तैयार नहीं हैं, लेकिन देश में गरीबी बढ़ाने के लिये तैयार हैं। जो मुझे संदेह है वह मैंने बतला दिया। आशा है कि लोग समझ गये होंगे। मैं उसे स्पष्टतः नहीं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---श्री कृष्णपाल सिंह जी, आपके लिये केवल ७ मिनट हैं।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री के भाषण के बाद मुझे उत्तर देने का भी अधिकार होना चाहिये। यदि मैं अन्य वक्ताओं के समान ही बोलूं तो ७ मिनट के अन्दर डिबेट का क्या उत्तर दे सकूंगा?

श्री अध्यक्ष---माननीय कृष्णपाल सिंह जी, आपको उत्तर देने का अधिकार नहीं है। मिनिस्टर आखिर में हमेशा बोलते हैं और बोलेंगे। यह नियम है हमारा। चूंकि राजा साहब बीमार हैं इसलिये मैंने कहा कि जो कुछ आपको उनके स्थान पर कहना हो कह लीजिये।

श्री कृष्णपालसिंह---बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन्, किसी व्यक्ति को यह कहना कि मुझे तुम में विश्वास नहीं या किसी दल को यह कह देना कि हमें आप में विश्वास नहीं बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ऐसी भी मजबूरियां होती हैं जब यह कहना पड़ता है। दो दिन से यहां बहस हो रही है, मुझे खेद है कि उस तरफ के बैठने वालों को काफी जनतंत्र के बारे में ज्ञान है, परन्तु फिर भी वह उससे अनभिज्ञ हैं और हमसे ही पूछते हैं कि नो-कानफिडेंस या अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाये। या तो आप कहें कि जनतंत्र में विश्वास नहीं है, जब आप ही अपने को जनतंत्र की रखवाली करने वाला कहते हैं और आप ही जनतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते तो हम क्या करें, मजबूरन हमें यह कहना पड़ा कि हमें आप पर विश्वास नहीं है।

हमारे नेता ने अपने भाषण में माननीय आचार्य जुगल किशोर का ७ अगस्त, सन् ५९ के भाषण को दोहराया जिस के बारे में बाजपेयी जी ने कहा था कि टेपरिकार्डिंग हुआ है। वह चीज इस बात की द्योतक है कि अपने दल के भी लोग यदि भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाय तो मजबूर हो जाते हैं कि अगर उन की बात न सुनी जाय तो वे खुलकर सदन में आकर उस का विरोध करें। मजबूरन वह विरोध किया गया हालांकि मैं यह मानता हूं कि अपनी पार्टी के व्हिप या डिसिप्लिन के खयाल से उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन कह तो उन्होंने सब कुछ डाला। परन्तु जब उन्होंने सरकार बनाई तो उन से यह आशा थी कि जब वह पावर में आने पर सरकार चलायेंगे वह अच्छी होगी, लेकिन जब उनके आने पर भी वही तरीके रहे, वही भ्रष्टाचार रहे, सरकार जिस को जनतंत्र प्रौरों को सिखाना चाहिये जनतंत्र पर कुठाराघात करे तो मजबूरन अविश्वास का प्रस्ताव आता है। आज समझ में उन के क्यों नहीं आता कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया। आप को यह भी समझ लेना चाहिये कि इधर के बैठने वाले प्रतिनिधियों में से भी हर एक को ८० हजार जनता ने चुनकर भेजा है और जब उस के पक्ष में १५५ माननीय सदस्य खड़े हुये तो उन को समझना चाहिये कि उन के पीछे भी प्रदेश की ३ करोड़ जनता खड़ी है और अगर आप को यह भी नहीं दीखता तब तो निश्चय ही आप के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये। जितने भी वक्ता अभी तक उधर से बोले हैं उनमें से किसी ने भी इधर से प्रस्तुत किये तर्कों का कोई उत्तर नहीं दिया इसका मुझे बहुत खेद है। हमारे राजस्व मंत्री जी ने जो तर्क दिया और सदन में पेट खोलकर दिखाया, उसको तो मैं कोई तर्क नहीं मानता, मैं उन के तर्क का कोई उत्तर नहीं देना चाहता, चाहे सदन के भीतर हो या बाहर हो मैं तो अभद्रता का व्यवहार नहीं कर सकता और माननीय राजस्व मंत्री के डिबेट करने के तरीके के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

यह भी कहा गया उधर से कि अविश्वास का प्रस्ताव इसलिये लाया गया है कि अखबार में नाम छप जायं। लेकिन मुझे तो यह भय आज बन गया है कि उधर से जो मिनिस्टरी वाले हैं उनके विषय में कहीं यह न छप जाय कि बहस का स्तर सदन में कितना गिर गया है।

हमारे सहकारिता मंत्री महोदय जनतंत्र की दोहाई में कह रहे थे कि चुनाव हो जाने के बाद फिर किसी को कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। इसके उत्तर में मैं जनतंत्र की बहुत छोटी सी मिसाल दे देना चाहता हूं। जब रूस ने लायका नाम की कुतिया को स्पेस में भेजा तो इंगलैंड में कुत्तों से प्रेम करने वाले लोगों ने एक बड़ा भारी प्रदर्शन किया। जनतंत्र में उनको प्रदर्शन करने का अधिकार भी है। अगर मैं जनतंत्र की परिभाषा बताने लगूंगा तो मेरा सारा समय इसी में समाप्त हो जायगा।

शिक्षा के बारे में केंद्र के शिक्षा मंत्री डाक्टर श्रीमाली ने राष्ट्रीय बोर्ड में कहा कि बुनियादी तालीम उनकी असफल रही है। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। जनता की रक्षा करने के आप जिम्मेदार हैं। उसके लिये आपने आश्वासन दिया कि हम पुलिस का रीआर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार पुलिस का समाप्त होगा और जनता की अधिक रक्षा हो सकेगी। आपने कर लिया। कुछ अन्तर आया? नहीं आया। इस कारण भी अगर अविश्वास का प्रस्ताव लाये तो कोई गलत बात नहीं है।

न्याय हर गरीब आदमी चाहता है। हर राज्य के शासन का यह उद्देश्य है कि न्याय सस्ता हो। लेकिन आपके राज्य में न्याय भी नीलाम हो रहा है, स्टेट ट्रेडिंग इन जस्टिस हो रही है। कोर्ट फीस, स्टैम्प ड्यूटी और तरह-तरह की फीस बढ़ती जा रही है।

परिवहन विभाग में भी टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। रेल का तो किराया बढ़ ही गया, जैसे रेल विभाग स्वर्ग दिखाने लगा है उसी प्रकार परिवहन विभाग भी आपका यात्रियों को स्वर्ग दिखाने लगा है। ३०–३०, ४०–४० बसेज उलट रही हैं। आज ही के समाचार-पत्र में है कि एक बस रेलवे लेबिल क्रासिंग खुला रहने के कारण इंजन से लड़ा दी गई जिसमें ३० आदमी मर गये। तो ऐसी सर्विस के लिये भी टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। इसलिये भी हम आप पर अविश्वास प्रकट करते हैं।

[श्री कृष्णपालसिंह]

अस्पतालों की, स्वास्थ्य की हालत गिरती जा रही है। ३२१ अस्पताल ऐसे हैं जहां अब तक डाक्टर नहीं हैं। कोआपरेशन का यह हाल है कि जो रुपया दिया जाता है लोग उसको ले कर ज्यादा सूद पर उठा कर महाजन का काम कर रहे हैं। और रुपया भी उपयुक्त लोगों को नहीं मिलता बल्कि गलत लोगों को दिया जा रहा है। करों के बारे में कहा कि हमने अभी कोई टैक्स बिल नहीं पेश किया।

(लालबत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे थोड़ा समय देंगे।

श्री अध्यक्ष---आप तो नये आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। जो आर्गूमेंट्स उधर से दिये गये हैं उनका जवाब दीजिये।

श्री कृष्णपालसिंह---मैं बता रहा हूं कि सरकार पर विश्वास का प्रस्ताव क्यों लाये।

श्री अध्यक्ष---अब आपके दो मिनट बाकी हैं।

श्री कृष्णपालसिंह---आप जब आज्ञा देंगे, मैं तुरन्त बैठ जाऊंगा।

सरकार कहती है कि हम उसकी प्लांस का विरोध करते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि जिस मकान की नींव ही कमजोर हो और वह गिरने वाली हो तो उसका क्या हम समर्थन करें? अपनी गलती ठीक करने के बजाय आप हमको बदनाम करते हैं। अगर प्लान बेसिकली रांग हो तो आप यह कहें कि जनसंघ इसकी खिलाफत कर रहा है, यह गलत बात है। महात्मा गांधी ने अपना जीवन इसी में दे डाला कि विदेशी पूंजी इस देश में न लगे। लेकिन आपकी प्लांस ने जो हमारा स्टर्लिंग बैलेंस था उसको समाप्त कर ही डाला उसके ऊपर कर्जा इतना लाद दिया कि अगर आप किसी को सरकार दे भी दें तो भी उस पार्टी के लिये सरकार चलाना असम्भव हो जायगा।

अभी तक केंद्रीय सरकार ने पिछले १५ सालों में ८,१६० करोड़ रुपया और प्रांतीय सरकारों ने ११,६०० करोड़ रुपया कर्जे के रूप में तथा ७,१०० करोड़ रुपया पब्लिक डेट की शक्ल में लेकर यानी कुल मिला कर २६,८६० करोड़ रुपया खर्च किया।

श्री कृष्णपालसिंह---और उस खर्चे के करने का नतीजा यह आया कि देश में २५.९ पर कैपिटा इनकम बढ़ी और साथ साथ ५१ प्रतिशत मंहगाई बढ़ी। नतीजा यह हुआ कि २५.१ प्रतिशत घाटा हुआ और परेशानी बढ़ी। इसलिये मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय साढ़े ५ बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---४५ मिनट मुख्य मंत्री के लिये रखे गये थे और ४५ मिनट जब बाकी हैं तो समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष---बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि पूरे समय तक बैठेंगे। पहले भी उठ सकते हैं।

प्रश्न यह है कि सदन का समय आध घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस अवसर पर जब हम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ कार्यों में जुटे हुये थे इस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब इस प्रकार का प्रस्ताव सदन में आया मैंने माननीय विरोधी दल के नेताओं को दावत दी कि वे उसके संबंध में बहस कर लें, लेकिन उन्होंने उस दिन मेरी बात को स्वीकार

नहीं किया । यद्यपि उन्होंने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया और फिर आपने दूसरे दिन की तारीख इस कार्य के लिये निर्धारित कर दी और वह दिन नान-आफिशियल डे था जिस दिन कि विरोधी दल के नेतागण करों इत्यादि के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहते थे । मैंने यह चाहा था कि प्लान के ऊपर फिर से बहस हो जाय और लोगों के विचार उपलब्ध कर लिये जायं। परन्तु विरोधी दल के नेताओं को यह बात स्वीकार नहीं थी । मैं नहीं जानता क्यों स्वीकार नहीं थी । अब भाषणों में यह कहां जा रहा है कि प्लान को हम स्वीकृति दे चुके हैं और यह सही बात भी है कि प्लान को स्वीकृति दी गयी । ६९० करोड़ का प्लान मेरे पूर्व १९६० में इस सदन ने मंजूर किया था और वह प्लान काफी मेहनत के बाद बना था। इस सदन के सदस्यगण, लोकसभा के सदस्यगण मंडलीय स्तर पर इकट्ठा हुए और वहां जब कि प्लान की रूप रेखा लिखी जाने वाली थी उससे पहले ही सलाह ली गयी थी और उनके बीच में विचार विनिमय हुआ था और उस विचार विनिमय के बाद फिर एक ड्राफ्ट प्लान बना था और इस सदन में प्रस्तुत हुआ था। उस ड्राफ्ट प्लान में प्लान के उद्देश्य बतलाये गये थे और प्लान को पूरा करने के बारे में भी बातें बतलाई गयी थीं। उस प्लान को विरोधी दल के दो-एक नेताओं तथा उनके पीछे बैठने वाले सदस्यों के अलावा सभी अन्य नेताओं ने उसे मंजूर किया है।

अब प्लान के इम्पलिमेंटेशन का दौर है । पिछले वर्ष प्लान को कुछ इम्पलिमेंट करने की कोशिश की गयी और आगे आने वाले चार वर्षों के अन्दर हम उस प्लान को इम्पलिमेंट करना चाहते हैं। और उन चीजों के ऊपर अमल करना चाहते हैं जिनको कि प्लान में रखा गया था और जिनकी स्वीकृति सदन ने स्वतः प्रदान की थी और आज जब प्लान के संबंध में माननीय सदस्यगण विचार विनिमय करने के लिये उद्यत नहीं, जो उसके अन्तर्गत कार्य हमें करने हैं और जो कार्य उन तमाम साधनों की बुनियाद पर करने हैं उनका आज माननीय सदस्यों की तरफ से विरोध आता है, तो मैं यह समझ नहीं पाता कि जो यह वोट आफ नोकान्फीडेंस का प्रस्ताव आया है वह तो यह है कि यह सरकार टैक्स लगाने जा रही है और देहात पर भी टैक्स लगाने जा रही है। तो मैं आपके द्वारा इन माननीय नेताओं से बहुत नम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि यह कौन-सी ऐसी नयी बात है जो हम करने जा रहे हैं ? आखिर को जो केंद्र और प्रदेश ने प्लान बनाये हैं क्या उसमें प्लान के रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की नीतियां निर्धारित नहीं कर दी गयीं और उन नीतियों के निर्धारण के उपरान्त क्या प्रदेश की सरकार ने इस सदन के एक रिप्रेजेंटेटिव के नाते प्लानिंग कमीशन और केंद्रीय सरकार के समक्ष कुछ वायदे नहीं किये हैं और यदि किये हैं तो इस नाते कि इस सदन ने उस प्लान को अपनी स्वीकृति दी थी । तो क्या फिर आज बीच में यह बात उठायी जा सकती है कि हम प्लान के साधन इकट्ठा करने में आपका साथ नहीं देंगे, उसका विरोध करेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि यह थर्ड फाइव ईयर प्लान की पुस्तिका माननीय सदस्यों के पास पहुंच गयी है और उसमें साधनों के विषय में और उनके इकट्ठा करने के विषय में दफा १०४ के पैरा ३२ और ३३ में यह बात लिखी हुई है, मेरे पास अंग्रेजी की पुस्तिका है, कदाचित् माननीय उग्रसेन जी यह आपत्ति कर दें कि मैं अंग्रेजी में क्यों पढ़ रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—आप हिन्दी में उसका अनुवाद कर दीजियेगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

"There is, nowever, no escape from the fact that in a country like India where the bulk of the people are poor, resources beyond an adequate scale cannot be raised without calling for a measure of sacrifice from all classes of people."

इस देश में अधिकांश लोग गरीब हैं इसलिये यदि हमें साधन मोहय्या करने पड़ेंगे तो हमें गरीब लोगों के बीच में भी जाना पड़ेगा और उनसे भी त्याग करने की बात कहनी पड़ेगी।

"A word may finally be said in this context regarding the role of the State Governments in raising the additional resources through taxation·

[श्री चन्द्रभान गुप्त]

It is inevitable that the larger part of the taxation, however, has to be put through by the Central Government, but it is no less important that the State Governments also raise an adequate share for themselves. Taxation of the rural sector for this is largely within their field."

जहां केंद्र की सरकार टैक्स इत्यादि इकट्ठा करने की चेष्टा करेगी वहां प्रदेश की सरकारों का भी यह कर्त्तव्य है और उन्हें भी उन क्षेत्रों में जाना पड़ेगा और उन क्षेत्रों में देहात का क्षेत्र सब से बड़ा क्षेत्र है। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के १०४ सफे पर रिसोर्सेज के इकट्ठा करने के सिलसिले में नीति निर्धारित की गयी।

हमने उत्तर प्रदेश में जिस योजना की स्वीकृति आपके द्वारा पायी उसके भी पेज ४० और ४१ पर जहां योजना के वित्तीय साधन के विषय की चर्चा की है, यह साफ तौर से लिख दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह गरीब हो साधन के जटाने में मदद देनी होगी और खास कर ऐसे समय में उसे और मदद देनी होगी जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यह है कि हमारी पैदावार ३०-४० फीसदी और बढ़े। तो इस विषय में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी के विचारों को उद्धृत करते हुये हमने इस योजना के अन्तर्गत अपनी नीति बनायी। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने इस विषय में अपने विचार प्रकट किये थे जो पृष्ठ ४० पर दिये गये हैं। वे इस प्रकार हैं कि—"यह स्पष्ट है कि कम से कम अल्पकाल में, उपभोग के स्तरों को कम किये बिना पूंजी का सृजन सम्भव नहीं है। यदि हम कभी नियोजित विकास द्वारा प्राप्त आय की अतिरिक्त वृद्धि में भी हो, तो भी वह मामूली कमी नहीं समझी जा सकती क्योंकि इससे उपभोग स्तरों के सम्भावी सुधार पर प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि आर्थिक विकास द्वारा सृजित अतिरिक्त आय का एक ठोस भाग निम्नतम आय वर्गों को मिलता है और इसमें संदेह नहीं कि उनका रहन-सहन का स्तर, किसी भी मानदंड से, पहले ही बहुत नीचा है और उसे उठाने की आवश्यकता है। ऐसा होते हुये भी आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिये इस वर्ग की अतिरिक्त आय में से भी कुछ भाग को लेना अनिवार्य हो जाता है।" यह टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने अपने विचार रखे थे। उनको अपनाते हुये हमने अपनी योजना स्वीकार की। हमने साधनों को मुहैया करने के लिये यह सोचा कि वर्तमान उत्पादन में ३५-४० प्रतिशत और वृद्धि की जाय। इसलिये, यद्यपि ग्रामीण आय का स्तर बहुत नीचा है, फिर भी पहले से अधिक अंशदान करना होगा। नये करों का भार तथा कर्जे का भार उठाना होगा और जो अधिक वहन कर सकते हैं उन पर अधिक कर लगाना चाहिये और जनता में व्यक्ति से आशा करना केवल उसी समय उचित होगा जब कि सरकार कठोर नियंत्रण रखकर उदाहरण उपस्थित करे।

इस योजना पूर्ति काल में यह दूसरा साल है और जैसा कि मैं समझ पाया हूं कि इस मंत्रि-मंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव इसलिये आया है कि हम देहात के ऊपर कर लगाने की सोच रहे हैं या मालगुजारी बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। यद्यपि वह चीज अभी तक सदन में नहीं आई है, लेकिन वह पेशबंदी करके सदन में ले आये हैं। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि यदि माननीय सदस्य यह कहें कि यह ११० करोड़ रुपया ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टस में खर्च न किया जाय, यदि माननीय सदस्य यह कहें कि यह रुपया वेस्टर्न डिस्ट्रिक्टस में खर्च न किया जाय, यदि माननीय सदस्य यह कहें कि यह रुपया बुन्देलखंड में खर्च न किया जाय या माननीय सदस्य यह कहें कि यह ५० करोड़ रुपया हिल डिस्ट्रिक्टस में न खर्च किया जाय या माननीय सदस्य यह कहें कि यह रुपया सेंट्रल क्षेत्र में खर्च न किया जाय और योजना पूरी न की जाय तब तो बात ठीक है। सदन हमें ऐसी आज्ञा दे सकता है। लेकिन योजनाओं में जो चीजें उन्होंने स्वीकार की हैं जैसे इतनी सड़कें बनेंगी, इतने स्कूल बनेंगे, इतनी नहरें बनेंगी, इतने नलकूप बनेंगे, वे कैसे सम्भव होंगे? क्या माननीय सदस्य जो विरोध करते हैं, जो अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं, यह कहने की क्षमता रखते हैं कि जो योजनायें हमने स्वीकार की हैं उनसे वे इनकार करते हैं?

यदि इस सदन को सदस्य ऐसा कहने की क्षमता रखते हैं तो मुझे किसी बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

अभी माननीय गेंदासिंह जी ने कुछ आंकड़े पढ़ कर सुनाये और विभिन्न प्रदेशों ने कितना लैंड रेवेन्यु पर टैक्स लगाया, वह भी आंकड़े पढ़े और हमारे आंकड़े पता नहीं कहां से लाकर, गत आंकड़े पेश कर दिये। उन्होंने बाबू सम्पूर्णानन्द की दुहाई दी कि वह तो कहते थे कि किसान के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। अगर मैं यह कहने की धृष्टता करूं, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना तो उन्हीं का बच्चा है, इस बच्चे के पैदा करने में, या बनाने में, या ऊंचा उठाने में, श्री गेंदासिंह, इस सदन के सदस्य थे, उग्रसेन जी, चन्द्रजीत जी, शर्मा जी, राजा मनकापुर, दुबे जी, राजा श्रीपालसिंह, सब इस सदन के सदस्य थे, सब ने बाबू सम्पूर्णानन्द की सरकार को ६९० करोड़ की योजना की स्वीकृत दी। जब योजना बनने लगी तो जगह-जगह से मांगें आयीं, उन्होंने तमाम मांगों का समावेश किया और उस योजना को प्लानिंग कमीशन के सामने प्रस्तुत किया। प्लानिंग कमीशन ने सारी योजनाओं का अध्ययन किया। चन्द्रजीत जी यादव ने डाक्टर बलजीतसिंह को कोट किया और उन्होंने कुछ फीगर्स रखीं। इस योजना के बनाने में जो एक पैनेल आफ इकानोमिस्टस बना था, उसके डाक्टर बलजीतसिंह अगुआ थे, उसमें वह प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने कितना टैक्स हम इकट्ठा कर सकते हैं, कितना किस से इकट्ठा करना चाहिये, कितना टैक्स देहात से इकट्ठा करना चाहिये, इन सब का अध्ययन करके और अन्य प्रदेशों का अध्ययन करके प्रदेश की सरकार को सुझाव दिया और प्रदेश की सरकार ने विशेषज्ञों के बीच में बैठ कर कुछ निर्णय लिया और केन्द्रीय आयोग के सामने यह प्रश्न उठा कि इतना हम देंगे, आप कितना इकट्ठा करेंगे? आप कितना त्याग यहां के रहने वालों से मांगेंगे? उन्होंने एक वचन दिया कि यदि हमारी योजना ५०२ करोड़ की ही होती है तो १४७ करोड़ रुपया हम अपनी बचत से, ऋणों से और करों द्वारा इकट्ठा करेंगे और उन्होंने उन करों का भी ब्यौरा वहां पेश किया, क्योंकि वहां सब चीजें पेश करनी पड़ती हैं, वहां जो पैनेल आफ इकानोमिस्ट्स है वह अध्ययन करता है। और तब एक योजना को शक्ल मिली और वह शक्ल इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के रूप में हमारे सामन ह और यही नहीं इसके उपरान्त जो सारे देश के मुख्य मंत्री हैं उनके सामने, जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसके सामने यह बात गयी और उसके बाद फिर केन्द्रीय सरकार के प्रधान मंत्री जी ने जितने दल थे, विभिन्न दलों के नेता थे उनके समक्ष जो ड्राफट प्लान तैयार किया था पेश किया। फिर उनकी सलाह से वह परिवर्तन कर सके। उस परिवर्तन के करने पर उन्होंने पार्लियामेंट में उस प्लान को उपस्थित किया। कांग्रेस पार्टी के अन्दर पेश किया गया और अन्य दलों ने भी उस प्लान के ऊपर विचार किया और इस तरह से ३, ४ साल के परिश्रम के बाद वह प्लान तैयार हुआ। अब वह प्लान तैयार है और उस पर अमल होना शुरू हुआ। दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश के टैक्सेज सब प्रदेशों से बाद में आ रहे हैं। सब ने लगा लिये। लैंड रेवेन्यू पर भी टैक्स लगा लिये और दूसरे लोगों पर भी टैक्स लगा। जितना वचन उन्होंने केन्द्र को दिया था उसके अनुसार उन्होंने कार्य करना आरम्भ कर दिया। एक दो स्टेट ऐसी हैं जो कि वैसे ही दिवालिया हैं तो अभी वह सोच रही हैं। एक तो पड़ोसी स्टेट है मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। उसकी माली हालत अभी थोड़े दिन हुये केन्द्र के सामने प्रस्तुत की गयी है। जब मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन था तो उसमें बताया गया कि उसकी माली हालत कमजोर है।

तो अब यह प्रदेश है, जिसको सब मानते हैं कि प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्य प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है और लोगों के स्तर को ऊंचा करने के क्षेत्र में भी पिछड़ गया है। यही कारण था किउस जमाने के मुख्य मंत्री ने आपकी सब की भावना को अपनी नजर के सामने रखते हुये केन्द्र में जब वह गये तो उन्होंने आपकी आवाज को वहां प्लानिंग कमीशन के सामने उठाया था कि उत्तर प्रदेश तो प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर अन्य प्रदेशों से पिछड़ गया है क्योंकि यहां केन्द्रीय सरकार ने जैसा और स्थानों पर पब्लिक सेक्टर में करोड़ों और अरबों रुपया व्यय किया था उत्तर प्रदेश में प्रथम

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

और दूसरी योजनाओं में कोई ऐसी योजना नहीं आई थी जिस पर अरबों रुपया व्यय हुआ हो और जहां अरबों रुपया व्यय होने के कारण वहां की जनता का स्तर ऊंचा होता और साथ ही प्रदेश की माली हालत भी बढ़ती। तो यह बात हमारी तरफ से, प्रदेश के निवासियों की तरफ से और विधायकों की तरफ से प्रस्तुत की गई। यह बात उनको अपील कर गयी, तब फिर उन्होंने जो एक ड्राफ्ट सारे देश के लिये बना रखा था कि इतना हम प्रदेशों को देंगे, उसमें परिवर्तन करक यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश चूंकि पिछड़ा रह गया है, इसलिये उत्तर प्रदेश को हम अधिक अनुदान के रूप में और अधिक ऋण के रूप में देंगे। जो उन्होंने हमको ३५० करोड़ रुपये देने की बात कही है उसमें करीब १०० करोड़ अनुदान के रूप में हमको मिलेगा और २५० करोड़ रुपया ऋण के रूप में मिलेगा और वह ऋण ऐसी कैपिटल मदों के लिये मिलेगा जो स्वतः अपनी आमदनी से आइन्दा आने वाले वर्षों में उस कर्जे को अदा कर सकेगी। तो अब स्थिति यह है जिस का आप विरोध करना चाहते हैं और सरकार पर अविश्वास प्रकट करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के देहातों में कोई कर न लगे। मैं तो ऐसा नहीं समझता हूं कि प्लान पर जो विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं वे ऐसा कर सकते हैं। जो प्लान उपस्थित है वह यह है कि इस प्लान को प्रदेश में इस तरह से चलाये कि राज्य में इसके द्वारा सेल्फ जनरेटिंग इकोनामी पैदा हो। वह तभी मुमकिन हो सकता है कि जब आने वाले वर्षों में पैदावार बढ़ती जाय। उस पैदावार से जो भी हमको धन प्राप्त हो उसको हम इकट्ठा करते जायं। फिर वही रुपया जनता के फायदे के लिये व्यय करते जायं जिसके फायदे के लिये यह धनराशि आज हमें इकट्ठा करनी पड़ रही है।

माननीय सदस्यों को भलीभांति ज्ञात है कि पंचायत राज की स्थापना हम इसीलिये कर रहे हैं और उसका मुख्य उद्देश्य यही है। हमने सरकारी अहलकारों को हटाकर, सरकारी कर्मचारियों को हटाकर आज अधिक अधिकार जनता के चुने हुये व्यक्तियों के हाथ में दिया है। जब जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में यह अधिकार दिया है और जिलाधीश को हटाया जाता है तो उनकी आवश्यकतायें उनके द्वारा ही पूरी होंगी, जो उनके हाथ में रहेंगी। मैं नहीं जानता कि एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि किसानों का स्तर ऊंचा हो और उसकी आमदनी बढ़े, उसकी पैदावर बढ़े और उस पैदावार के बढ़ने के द्वारा प्रदेश तरक्की करे और एक तरफ हम यह कहते हैं कि हम किसान से जाकर यह कहें कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपने पैरों पर नहीं खड़ा होना है और तुम्हें उसी तरह से मुर्दा हालत में रहना है।

अब एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। अक्सर यह कहा जाता है कि अपने प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं और किसान सबसे ज्यादा गरीब है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और उन आंकड़ों की बुनियाद पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश से अधिकांश संख्या में अन्य प्रदेश जो कि बड़े-बड़े समझे जाते हैं उनके बीच में भी हमसे अधिक व्यक्ति गरीब हैं और मैं वह आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं कि जिन आंकड़ों की बुनियाद पर मैं यह कहने की धृष्टता कर रहा हूं। एक रुपये से पचास रुपये तक की आमदनी वाले व्यक्ति वह व्यक्ति समझे जाते हैं जिनको कि पावर्टी के स्केल में गिना जाता है और एक रुपये से ५० रुपये तक की आमदनी वाले अपने प्रदेश में साढ़े सत्रह प्रतिशत हैं, जब कि बिहार में उसकी टोटल आबादी के १९ प्रतिशत हैं, गुजरात में १९ प्रतिशत हैं। मद्रास में ५१.७ प्रतिशत हैं, उड़ीसा में ३५.४ प्रतिशत हैं, मैसूर में.....

श्री उग्रसेन—कौन-सी किताब से यह आंकड़े पढ़ रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नेशनल सैम्पुल सर्वे रिपोर्ट्स फार १९५७-५८। मैसूर एक ऐसा प्रदेश है जिसमें यह १४.९ प्रतिशत हैं। केवल केरल में २० प्रतिशत, वेस्ट बंगाल में १४.६ प्रतिशत राजस्थान में १६ प्रतिशत, मध्य प्रदेश में १९.४ प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में २३.२ प्रतिशत और महाराष्ट्र में १९ प्रतिशत। तो सिवाय दो-तीन स्टेट्स के जिनके कि आंकड़े

मने पढ़े यह बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही गरीबों के आंकड़े किसानों के बीच में अधिक हैं या १ रुपये से ५० रुपये की आमदनी वाले व्यक्तियों की संख्या यहां सबसे अधिक है। तो जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने आंकड़े लैण्ड रेवेन्यू के पढ़े और उस सिलसिले में तमाम जगहों के बजट को पढ़कर बताया तो यदि यह वास्तविकता है कि अन्य प्रदेश तो लैण्ड रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं और उनके यहां गरीबों की संख्या भी हमसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश के किसानों से क्यों आप कहना चाहते हैं कि तुम इस योजना में सहयोग न दो। यदि उनसे यह कहा जाता है कि जो तुम्हारी आइन्दा बढ़ने वाली आय है, भले ही तुम्हारी आज आय कम है, तुम गरीबी की जिन्दगी बसर कर रहे हो, लेकिन जो आय तुम्हारी आगे चल कर बढ़ने वाली है उसका कुछ जुज दो तो क्या यह एक अन्याय की बात है? क्या यह एक ऐसी नीति है कि जो एक सेल्फ जनरेटिंग एकोनामी को अपनाते हुये ऐसे देश के लिये जिसके पास साधन नहीं है, नहीं अपनाना चाहिये? दूसरे प्रदेश जिन्होंने अपना बजट पेश किया उन्होंने इस नीति को अपना लिया और वह अपनी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये तैयार है। लेकिन हम जब अपनी योजना को पूरा करना चाहतें हैं तो आज विरोधी दल के नेतागण कहते हैं–यद्यपि मैं तो था नहीं उस वक्त, यह योजना आपने हमारे पहले ही स्वीकार कर ली थी और उसके पीछे जो तथ्य था वह भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज जब मैं उसको पूरा करना चाहता हूं अपने सहयोगियों के साथ तो नारा बुलन्द किया जाता है किसानों को बहकाने के लिये। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन––श्रीमन्, यह उस समय थे नहीं। उस समय की योजना का हमने विरोध किया था और हमारे नेता ने उसका विरोध किया था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त––तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्या नीति है? क्या तरीका है? क्या इससे हमारी योजना आगे तरक्की कर सकेगी? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह पूरी तरह से निभा सकेंगे? आज एक उत्तरदायित्व हमने सम्हाला है, इस सरकार ने सम्हाला है।

माननीय श्रीपालसिंह ने एक पहलवान मुझे बना दिया, यद्यपि मैं पहलवान हूं नहीं, राजनीति के अन्दर उन व्यक्तियों में से अवश्य हूं कि जो अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं और उस दृष्टकोंण को ईमानदारी से रखते हैं, तो उसको मैं उन विरोधियों के मुकाबिले में ऐसे ही छोड़ दूं ऐसा व्यक्ति मैं नहीं हूं और मैं उन व्यक्तियों में से हूं––श्रीपाल सिंह जी मुझे न मालूम कैसे पहलवान का उदाहरण देना चाहते थे, कोई पहलवान अगर सच्चा पहलवान है और जिसमें बल है वह तो कभी उस तरह की बात नहीं करेगा कि जिस तरह की बात उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। पहलवान खड़ा हुआ है। मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं कि मैं भाग रहा हूं। वह तो श्रीपालसिंह जी ने सीखा होगा मैंने तो सीखा नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नीति अपनाने की चेष्टा की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि हमारे प्रदेश में किसानों की दशा बहुत खराब है तो मैं तो कहूंगा कि वह अन्य प्रदेशों में भी खराब है। किसान बोझा उठाने के लिये तैयार हैं और किसान ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना फायदा न समझता हो और किसान ऐसा व्यक्ति नहीं है आप किसान को स्कूल दें, सड़कें दें, अस्पताल दें, गांव दें, अव्यवस्था का बदलाव करें तो किसान बहुत खुशी से उस बोझे को उठाने के लिये प्रस्तुत हो जायगा। विरोधी दल वालों ने और नेता विरोधी दल ने हमारी ऐसी योजनाओं का हमारी नीतियों का विरोध किया और हमारे घोषणा-पत्र का विरोध किया और अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जब कि हमने योजनाओं को किसानों के सामने रख दिया जब कि आमदनी और उनकी कमजोरियां उसके सामने रख दीं। पर किसान उससे समहत है। जहांतक कांग्रेस सरकार और उसके घोषणा-पत्र का संबंध है, उसका आदर देश के कोने-कोने में हुआ है। परन्तु आपने उसका अध्ययन नहीं किया है। यह हमारे लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है और प्रदेश के लिये भी है। यदि आप योजना का अध्ययन कर लें, केन्द्रीय सरकार की योजनाओं का अध्ययन कर लें तो बावजूद कमजोरियों के आपको यही देखने को मिलेगा कि हम उत्तरोत्तर आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारे बीच में अपव्यय नहीं हुआ है। हमने भूलें भी की हैं, हमने अपव्यय भी किया है। परन्तु यदि आप आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्नति के लिये कार्य अधिक हुआ है और समृद्धिशाली प्रदेश का निर्माण करने की ओर ज्यादा काम हुआ है।

मैं एक बात और कहूंगा कि अब हम अपने प्रदेश में एक दृष्टिकोण को सामने रखकर इस बात की चेष्टा कर रहे हैं मंत्रियों के रहन-सहन पर कम से कम व्यय हो। साथ ही खर्चा करने के विषय में कमी की जाय। यदि आप इस विषय में विचार करें और गौर करें तो आपको मालूम होगा कि हमने छोटे-छोटे मकानों को भी ले लिया, हमने छोटी-छोटी कारें भी ले लीं बड़ी बड़ी कारों से बदल कर और फिर भी आज उसके लिये शिकायत है। हम पेट्रौल भी पहले की अपेक्षा कम ही खर्च करते हैं, पर फिर भी आपको संतोष नहीं है। हम सफर करते समय ६ या ८ बर्थ के बजाय केवल १ बर्थ ही रिजर्व करवाते हैं, परन्तु फिर भी आप को वही शिकायत वाला ही दृष्टिकोण बना रहता है। चाहे हम कितनी ही इकोनामी क्यों न करें। कोई यह नहीं महसूस करता है कि हम लोग कितनी परेशानी से अपने छोटे २ मकानों में अपने परिवार के साथ गुजर करते हैं और इसके बावजूद भी हम दूसरे बड़े बड़े मकानों में जाने की धृष्टता नहीं कर रहे हैं। इसमें भी हमारी और कमी करने की इच्छा है, तब भी हमारे प्रति आपका दृष्टिकोण वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मैं बड़ी नम्रता से अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि हम ऐसी मनोवृत्ति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम वास्तविकता का मुकाबला तो कर सकते हैं पर ऐसे विचारों को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारी इकोनामी भी उन्हें फिजूलखर्ची ही दिखाई पड़ती है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपकी योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं है? जो हमारे सामने बैठे हुये हैं, क्या वे भी इस योजना के सम्पादन में और समर्थन में हमारा साथ नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान) उन्हें चाहिये कि वे हमसे सहयोग करने की चेष्टा करें।

श्री उग्रसेन--मेरा एक प्रश्न है? क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मंत्रियों की संख्या क्यों इतनी अधिक है, उनके मंत्रिमंडल में?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं आपके प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता से दे सकता हूं। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। महाराष्ट्र हम से आधा है और उसके मंत्रि-मंडल में भी ३१-३२ सदस्य हैं तो हम उसके दुगने से कम ही हैं। इस हिसाब से हमारा मंत्रिमंडल बड़ा नहीं कहा जा सकता है। देश की अन्य स्टेट्स में जब कि १,५०० और २,००० रुपये वेतन मंत्रियों का है हम तो उसके मुकाबले में बहुत कम लेते हैं। बिहार जो सबसे गरीब सूबा समझा जाता है, उनके मकानात को आप जाकर देखें। और सूबों के मंत्रियों की तनख्वाहों को आप देखें। तो यदि उनके मुकाबले में हमारे मंत्री एक हजार रुपये, जिस पर कि टैक्स भी देते हैं, लेते हैं तो क्या वे ज्यादा लेते हैं? क्या यह सच नहीं है कि हमारे मंत्रियों ने, उप मंत्रियों ने, और सभा सचिवों ने अपने वेतनों में कमी कर दी है? तो मैं कहना चाहता हूं कि हम अगर कोई अच्छी चीज भी करते हैं तो भी आप उसका विरोध करते हैं, उस पर आपत्ति करते हैं। ऐसी आपत्तियों का जबाव नहीं दिया जा सकता। हमारे यहाँ मंत्रियों आदि को जो तनख्वाह मिलती है, वह मैं कहना चाहता हूं, कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले १/३ से कम है। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन--और एलाउन्स वगैरह कितने हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं जिस मकान में रहता हूं उसका कोई एलाउन्स नहीं लेता हूं, (व्यवधान) मैं एक साल से दौरा कर रहा हूं, मैंने एक भी पैसा

एलाऊन्स का चार्ज नहीं किया है और ऐसे कई मंत्रिगण हैं जिन्होंने एलाउन्स का एक भी पैसा चार्ज नहीं किया है और कई मंत्रिगण तकलीफ से जिन्दगी बसर कर रहे हैं। फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे दुख है कि जो जनतंत्र की परम्पराओं के हिमायती हैं वही ऐसी बातें करते हैं। आज मंत्रियों के यहाँ कोई सिपाही चौकीदारी नहीं करता, जबकि पहले हर मंत्री के यहाँ पुलिस के सिपाही रहते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय न हो, उनसे मैं यह भी आशा करता हूं कि वे जनता की उस गाढ़ी कमाई का यहाँ सदन की बैठकों में भी अपव्यय न होने दें क्योंकि अगर बेकार के लिये सदन की बैठक बुलाई जाती है तो उससे जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय होता है? यह दो दिन बहस करके क्या हमने जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय नहीं किया? इसको हमें रोकना चाहिये।

अधिकारियों के बारे में, उनके ट्रान्सफर के बारे में चर्चा की गयी। कहा गया कि हम उनका ट्रान्सफर कर देते हैं। अपनी पार्टी बाजी में, उन अधिकारियों का इस्तेमाल करते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य नहीं है कि काँग्रेस पार्टी के विरोध में १८० आदमी चुन कर यहाँ आये हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अगर काँग्रेस पार्टी उन अधिकारियों का चुनाव में इस्तेमाल करती अपने पक्ष में, तो क्या हम इतनी सीट्स लूज करते?

यह भी शिकायत की गयी कि हमने कमिश्नर्स की संख्या बढ़ा दी है। यह प्रश्न पहले उठा था और बजट के समय तमाम सूचनाएं सदन के सामने रखी गयी थीं जिनके कारण टेम्पोरेरी मुझे वह कार्य करना पड़ा। मैंने उस समय बताया था कि हमारे कुछ अधिकारियों को केन्द्र ने बुला लिया और यद्यपि वे यहाँ के अधिकारियों से जूनियर थे, केन्द्र ने ज्वाइंट सेक्रेटरी की तनख्वाह देकर उन्हें नियुक्त कर दिया। हम चाहते थे कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने बीच में रखें। मैं खासतौर से श्री भिडे का नाम लूंगा जिन्होंने प्लान के बनाने में अपने ३-४ वर्ष लगाये हैं। उनके अलावा श्री राठौर, पी० डब्ल्यु० डी० सेक्रेटरी और सिद्दीकी साहब ऐग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। उनके जाने के विषय में भी केन्द्रीय सरकार से बातचीत हो चुकी थी। हम फर्टीलाइजर फैक्ट्री गोरखपुर में लगाने जा रहे हैं। वहाँ से सीनियर आफिसर की माँग आयी। हम चाहते थे कि उस कार्य के सम्पादन के लिए उनको नियुक्त किया जाय। वह जा भी रहे हैं और १०-५ रोज में चले जायंगे। उस वक्त भिडे साहब को रखने के लिए यह आवश्यक था हमारे लिए जो कि केन्द्रीय सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद दिया जिसको एक कमिश्नर की तनख्वाह मिलती है तो उसी पर उनको यहाँ रखें। इसलिए हमने रख लिया, क्योंकि दो-तीन महीने में जाने वाले थे। कमिश्नर की तनख्वाह और जो सीनियर सेक्रेटरी है उसमें सौ या सवा सौ रुपये का अन्तर है। एक आई० सी० एस० सीनियर सेक्रेटरी को ३ हजार मिलते हैं और आई० ए० एस० बेचारा साढ़े बाईस सौ पाता है। तो ३०० अलाउन्स मिलता है, इस तरह से डेढ़ सौ रुपया अधिक खर्च करके २-३ व्यक्ति रखे गये, इसमें हमने कोई गलती नहीं की। यह तो प्रदेश के हित में था और जब जब आवश्यकता पड़ेगी हम बराबर इस तरह से रखेंगे।

श्री उग्रसेन---मुख्य सचिव के ५०० क्यों बढ़ा दिये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सचिव सीनियर मोस्ट कमिश्नर हैं, बोर्ड आफ रेवेन्यु के मेम्बर बनने के अधिकारी हैं। उसको ३५०० रुपया मिलते हैं, इसलिए यहाँ जो आपके मुख्य सचिव हैं वह आज उसी वेतन पर यहाँ विराजमान हैं। हम क्या केन्द्रीय सरकार के आई० सी० एस०

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आफिसर की तनख्वाह में कमी कर सकते हैं ? फिर टैक्स लेने वाला विषय तो विशेषज्ञों की सलाह के, इंसीडेंस के बिना कौन आगे बढ़ा सकता है। यहाँ हर सदस्य सलाह दे रहा है कि तुम तो इस तरह से चल सकते हो कि जो रुपया उधार पड़ जाता है, अदा नहीं हुआ है उसको वसूल करो और राष्ट्रीयकरण शुगर मिलों का कर सकते हो, वह करो। लेकिन हम उस विधान के अन्तर्गत बातें कर रहे हैं जिसको हमने स्वीकार किया है और जिसके सिलसिले में हमने यहाँ शपथ ली है कि उसके अनुकूल कार्य करेंगा। विधान में तो अभी जो शुगर मिल्स हैं वह प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके राष्ट्रीयकरण का अधिकार तो अभी तक लिया नहीं है। कौन नहीं जानता कि आखिर जो तीसरी पंचवर्षीय योजना ८,००० करोड़ की बनी है उसमें इस विषय पर विचार कर लिया गया है कि आने वाले वर्षों में देश में मिक्स्ड इकोनामी चलेगी, यानी पब्लिक सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर दोनों में कार्य होगा। शुगर फैक्टरीज प्राइवेट सेक्टर में रखी गयी हैं और वह कल कारखाने जो कि बेसिक मैटिरियल को तैयार करते हैं वे पब्लिक सेक्टर में रखे गये हैं। यही कारण है कि लोहा, इस्पात और फर्टिलाइजर्स को पब्लिक सेक्टर में जगह जगह स्थापित किया जा रहा है और अरबों रुपया उनको निर्मित करने में व्यय किया जा रहा है। उस वक्त यह भी विचार किया गया था जब यह योजना बनी थी और उत्तर प्रदेश की सरकार के समक्ष उस वक्त यही प्रश्न था कि जब अपने विशेषज्ञों से सलाह करके अपने विधान के अन्तर्गत कार्य करते हुए यह फैसला किया गया कि अमुक-अमुक चीज के ऊपर टैक्स लगायेंगे, अमुक प्रकार से धनराशि इकट्ठा करेंगे और उस वादे को पूरा करेंगे जो केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखा गया तो मैं हैरान रह जाता हूं कि जो यह सदन कर नहीं सकता आज उसी के बारे में सुझाव दिया जा रहा है कि ऐसा कर लीजिये। एक मिनट के लिये मान लीजिये कि ऐसा किया जाय भी, तो इसमें २-१।। साल तो लग ही जायगा उसके लिये कानून बनाने में। उस समय में क्या होगा ? फिर, केन्द्रीय सरकार ने तो मिक्स्ड इकोनामी की नीति अपनाई हुई है और प्राइवेट सैक्टर में भी लोगों को उद्योग धंधे लगाने के लिये आज्ञा प्रदान की हुई है। तो ऐसी सूरत में क्या हम दो साल तक कोई कदम आगे नहीं उठावें ? ऐसी बात मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो सुझाव, हमारी जो युक्तियाँ, इस सदन में पेश की जाती हैं वे संविधान के तहत में पेश की जाती हैं और वास्तविकता को सामने रख कर की जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे विरोध पक्ष के भाई भी संविधान के विरुद्ध कोई बात नहीं कहेंगे और न हमें ऐसा सुझाव देंगे। यह नहीं है कि हम नहीं चाहते कि फैक्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण हो लेकिन बड़े-बड़े उद्योग धंधों के बारे में नीति केन्द्र का विषय है, यह केन्द्र का अधिकार है, और वे अपने विशेषज्ञों और प्लानिंग कमीशन की राय लेकर इसे तय करते हैं और अपनाते हैं। शुगर के कारखाने अन्य प्रदेशों में भी हैं और वहाँ काफी संख्या में बढ़ रहे हैं। वहाँ इनके राष्ट्रीयकरण की कोई माँग नहीं है। तो आप क्यों अनोखी बात करने के लिये कहते हैं ? आप वास्तविकता का मुकाबला कीजिये और ऐसे सुझाव दीजिये जिनके द्वारा प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति उस बोझे को उठाने के लिये तैयार हो जिससे प्लान सफल हो। हम योजना को पूरा करना चाहते हैं और जब तक इसके उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर सम्भाले हुये हैं, उसे कार्यान्वित करने की चेष्टा करते रहेंगे। अगर आप उसका विरोध करेंगे तो हमारे और आपके विचारों में संघर्ष होगा और बाहर भी शायद हो जिसका नतीजा यह होगा कि ला ऐंड आर्डर की समस्या पैदा होने से योजना को धक्का पहुंचेगा। दो ढाई महीने हुए यहाँ बजट पेश हुआ था और तब इस सरकार ने अपनी सारी नीतियाँ सदन में रख दी थीं। उस अवसर पर हमारे विरोध पक्ष के भाइयों को पूरा अवसर मिला था कि उनकी आलोचना करते और कहीं। कायदा तो यह है कि तीन महीने में हमने क्या गलतियां कीं उन पर आलोचना होनी चाहिये थी जो कि उस समय के बाद की बातें हों। लेकिन १०–१२ और १५ साल की बातें यहाँ कही गईं जबसे कि काँग्रेस की सरकार है, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू

इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, सारी कहानी यहां रख दी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और जो अभिलाषा और आकाँक्षा हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की अपने दिलों में रखते हैं तो उसे पूरा नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो हमारे सामने बैठता है या पीछे बैठता है इस बात को नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश उत्तरोत्तर तरक्की न करे और या २ योजनाओं में पिछड़ गया उसे पूरा करते हुये अन्य प्रदेशों की भांति अपने अन्दर आगे बढ़ाने की क्षमता पैदा न करे।

एक बात और है जो आकड़ों की है। उन्हीं विशेषज्ञों की तरफ से जो बात मुझे बतलाई गई है वह मैं बतलाना चाहता हूं। विरोध पक्ष से कहा गया कि इनसीडेंस आफ लैण्ड टैक्स हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा है। ऐसी प्रोफेसर साहेब, बलजीतसिंह साहब की राय नहीं है' वह ऐसा नहीं मानते हैं उनकी राय है :—

"It is wrong to say according to the studies available that the per acre incidence of direct taxes on land is higher in U. P. The following table will give the exact position of recovery from this source in other States. If the incidence of this tax were to be taken into account, the per acre incidence of direct taxes on land will not be the highest in Uttar Pradesh, as will be seen from the following figures :

	Incidence of land revenue (1957-58 *figures*)
Assam	4.4
Kerala	2.5
Madras	4.1
Mysore	1.6
West Bengal	4.2
Uttar Pradesh	2.8

Incidence of agricultural income-tax : "

जो कि यहाँ के किसानों को देना पड़ता है लैन्ड रेवेन्यू के सिलसिले में :—

आसाम ४.१, केरल ४.०, मद्रास ०.६, मैसूर ०.२, वेस्ट बंगाल ०.६ और उत्तर प्रदेश ०.१। इसके अलावा जो टोटल है वह इस प्रकार है—आसाम ८.५, केरल ६.५, मद्रास ५.०, मैसूर १.८, वेस्ट बंगाल ५.१ और उत्तर प्रदेश ४.६।

मैंने अभी यह नहीं बताया कि हम क्या टैक्स लगाने जा रहे हैं। लेकिन यह अवश्य बता देना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान में २५० मीटिंग्स हुई जो मैंने अटेंड कीं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जहाँ मैंने जनता को इस बात के लिये अपने कान्फीडेंस में न लिया हो, जनता को यह न जता दिया हो कि यदि वह काँग्रेस सरकार को शासन का उत्तर-दायित्व सम्भालने के लिये भेजती है, यदि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश की बागडोर देती है तो उसको समझना चाहिये कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को उसे पूरा करना है। उसको उसके लिये त्याग करना है। चाहे गाँव का निवासी हो, चाहे शहर का निवासी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मिडिल क्लास का आदमी हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास का आदमी हो, उसे इस योजना को पूरा करने के लिये त्याग करना होगा, तभी इस योजना को सफल किया जा सकता है। जिस ध्येय को हमें पूरा करना है, उसको हमने प्रकाशित किया, उसकी घोषणा की, उसे अपने घोषणा-पत्र में रखा और उसको प्रदेश की सारी जनता को समझाने की चेष्टा की।

यदि यह चेष्टा हो किसी की कि कांग्रेस जन और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा की है, उसको पूरा न करें और आज यह सरकार और इसके पीछे बैठने वाले साथी उसमें सहयोग न दें, तो हम

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

उस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हम उनको पूरा करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे और उसको पूरा करने की क्षमता अपने अन्दर पैदा करेंगे। जिस प्रदेश की जनता ने हमारे ऊपर यह उत्तरदायित्व डाला है, चाहे कम ही संख्या में सही, लेकिन हमको उसने चुन कर भेजा है, और वह गणतंत्रीय परम्पराओं के अनुसार भेजा है, तो हम उस उत्तरदायित्व को निभायेंगे। मैं प्रत्येक शहर के रहने वाले से, प्रत्येक देहात के रहने वाले से निवेदन करूंगा कि वे उस सारे बोझ को उठावें, जिस बोझ को उठाने के लिये इस प्रदेश के सम्मानित नेता डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने अपना वचन केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन को दिया था। यदि हम उस वचन से भागते हैं और पीछे हटते हैं, उसका अगर पालन नहीं करते, तो बरसों से इस उत्तर प्रदेश में रह कर जिन भावनाओं से किसानों और जनता की सेवा हमने की है, उन सब के यह विपरीत होगा। मैंने इसलिये अपने भाषणों में इस साल भर के दरमियान में और इलेक्शन के समय और बाद में कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसमें प्रदेश की जनता से निवेदन न किया हो कि यदि उन्होंने हमको शासन को चलाने का उत्तरदायित्व दिया है तो उन्हें उस दिशा में चलने की क्षमता पैदा करनी चाहिये, लोगों को अधिक परिश्रम करने के लिये तैयार करना होगा, पसीना बहाने के लिये और खून बहाने के लिये, अपने देश को सदा तैयार रहना होगा। यही देश की जनता से मेरी मांग है, इस संस्था की मांग है और देश के उस नेता की मांग है, जिसके नेतृत्व में यह प्लान इस देश में तैयार किया गया है और जो प्लान इस देश में पूरा किया जा रहा है, जो आज भी किसानों का वैसा ही हिमायती है जैसा कि आज से ४० वर्ष पहले था, जिसने किसानों के लिये सदा कुर्बानी की और किसानों के लिये इस देश को आजाद कराया, किसानों में नयी जिन्दगी और जागृति पैदा की। अगर आपको उसके ऊपर विश्वास है तो उसके वाणी पर विश्वास करके, इस प्लान के सिद्धान्तों के पीछे चल कर, देश को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ें। उसके लिये प्रदेश के सब लोगों का सहयोग प्राप्त करना होगा और उस सहयोग से प्रदेश को उस ओर ले जाना होगा, जिससे यह प्रदेश आने वाले वर्षों में तरक्की का रास्ता अपना सके।

योजनाओं से दीर्घकालीन उन्नति होती है। पांच वर्ष में समस्या हल नहीं हो सकती। इसीलिये जिस समय पहली योजना की रूपरेखा बनायी जा रही थी तो आगे की ३० वर्षों की योजना पर विचार किया गया था। इस समय जो प्लानिंग कमीशन की विज्ञप्ति है उसमें भी उसने चौथी और छठी योजना की लालसा व्यक्त की है। तभी हम वास्तविक रूप से बेकारी को अपने प्रदेश से हटा सकते हैं। मेरे मित्र माननीय गेंदासिंह ने यह चुनौती दी है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम सारी बेकारी दूर कर दें। यदि उन्होंने इस पुस्तिका का अध्ययन किया है तो उसमें हमने साफ जाहिर कर दिया है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं में जितने आदमी बेकार रहे हैं वे तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो बेकार होंगे वे सब करीब २३ लाख के होंगे जिनको हम रोजगार इस योजना के अन्तर्गत नहीं दे सकेंगे। उन सबको रोजगार हम तीन चार योजनाओं को पूरा करने के बाद ही दे सकेंगे और आज से आमदनी भी करीब दुगुनी कर सकेंगे, और तभी वास्तविक रूप में प्रदेश ऊंचा उठ सकेगा। इसलिये हमारा यह कोई वचन नहीं है और न योजना के सम्पादकों का ही ऐसा कोई वचन है कि सब की बेरोजगारी इसी योजना के अन्तर्गत दूर कर देंगे। हां, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम ऐसे साधन जुटा रहे हैं जिससे इस योजना के अन्तर्गत जितने वर्किंग ग्रुप्स पैदा होंगे उन सब को हम रोजगार दे सकें। इस तरह हमारा प्रयत्न व चेष्टा होगी और हम आशा करते हैं कि इस योजना का जो ध्येय हमने मान रखा है उससे उत्तर प्रदेश को हम आगे बढ़ा सकेंगे। मेरा कहना तो यह है कि यदि उस ध्येय की पूर्ति इस योजना से नहीं हुई तो इस योजना को ही रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये और इसके लिये जो ढाई सौ या तीन सौ करोड़ की योजना देहाती क्षेत्रों के लिये है वह सब बेकार व्यय होगा। हमारी योजना तो इसीलिये बनी है कि हम खेती की तरक्की करें। खेती की तरक्की से ही हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। उद्योग धंधे को बढ़ाने की भी हमारी योजना है, और उसे हम बढ़ायेंगे, लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि खेती की तरक्की से ही हम अपने स्तर को ऊंचा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपका अधिक समय न लेते हुए मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इतने विषय छेड़े गये हैं जिन सब का उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन जो मुख्य-मुख्य बातें योजना से सम्बन्धित कही गयी थीं उन्हीं प्रश्नों को मैंने सदन के सम्मुख लिया है। इन शब्दों के साथ अपने साथी गणों से मैं अपील करता हूं कि जो तर्क मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किये हैं उन तर्कों की वास्तविकता को समझ कर अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे जो उन्होंने आज इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। वरना यह योजना तो चलेगी और प्रदेश की जनता के सहयोग से हम अपने प्रदेश को बढ़ायेंगे और उन सब साथियों के सहयोग से आगे बढ़ायेंगे जिन्होंने किसानों की सेवा करने के लिये, उनको ऊंचा उठाने के लिये अपनी जिन्दगी का अधिक भाग बिताया है। साथ ही हमें किसानों को उन पुराने राजा-महाराजाओं के हथकंडों से भी बचाना है जो उनको बराबर गुमराह करने की चेष्टा करते हैं। जिन पहलवान साथी ने अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं मैं उनसे आशा करता हूं कि जो विचार मैंने प्रस्तुत किये हैं उनको सुनने के बाद मेरी बात को वे मान लेंगे। आज के किसान किसी के मुहताज बन कर रहना पसन्द नहीं करते, वे स्वयं अपनी मेहनत व मशक्कत करके अपनी जिन्दगी बसर करना चाहते हैं। यदि जनता के सामने गलत बातें रखी गयीं तो उससे प्रदेश की इकोनामिक तरक्की भी रुक जायगी और उस तरह से विरोधी दल उसके बीच में अड़चन पैदा करना चाहते हैं। मैं फिर उस प्रस्ताव का विरोध प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और लिखित विभाजन की मांग की गई, जो स्वीकृत हुई। विभाजन के बीच निम्नलिखित कार्यवाही हुई।)

श्री अध्यक्ष—जब तक कि नतीजा आता है तब तक आपको २० तारीख का जो कार्यक्रम है वह माननीय मंत्री जी बतला देंगे।

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि आज के बाद जब यह सदन बैठेगा २० अगस्त को तो उस दिन निम्न कार्यक्रम होगा—

(१) उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२, दिनाँक १० अगस्त, १९६२ को पुरः स्थापित हो चुका है।

(२) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२, दिनाँक २० अगस्त, १९६२ को पुरः स्थापित हो चुका है, परन्तु विधेयक ही छपी हुई प्रतियाँ सदस्यों में बितरण के लिये विधान सभा सचिवालय को आज भेज दी गई हैं।

इन विधेयकों के उपरान्त विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयकों की सूचना दिनाँक २० अगस्त को दी जायगी।

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, क्रम जो है उसे तो आपकी परामर्शदात्री समिति निर्धारित करती है। माननीय मंत्री जी अपना कार्यक्रम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। उसके बाद वह समिति उस पर विचार करती है।

श्री अध्यक्ष—समय निर्धारित हम करेंगे।

श्री उग्रसेन—उसका क्रम भी आप निर्धारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष—बहरहाल, दो विधेयक आपके सामने प्रस्तुत होंगे। उनके लिये कितना समय होगा इस संबंध में हम कमेटी बुला लेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—सवाल यह है कि जो मंत्री जी कह रहे हैं यह बिलकुल नियम विरुद्ध है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—जहाँ तक मेरा ज्ञान है शायद परामर्शदात्री समिति ने इस्तीफा दे रखा है ।

श्री अध्यक्ष—कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दिया था जो मैंने अभी तक मंजूर नहीं किया है ।

श्री गेंदासिंह—परामर्शदात्री समिति के जिन सदस्यों ने इस्तीफा दिया है उनको आपने स्वीकार भी नहीं किया है और आप बुलाते भी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, बुलाता हूं । मैं आदरणीय सदन को बतला देना चाहता हूं कि मैं यही प्रयत्न कर रहा हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और मैंने स्वीकार नहीं किया है उनको मैं आमंत्रित कर मना लूं और उनकी अनुपस्थिति में यह कहता हूं कि अब मैं तय करूंगा ।

श्री गेंदासिंह—मैं ऐसा समझता हूं कि आपके आ जाने की वजह से विरोधी दलों के साथ यह एक बड़ा संकट पैदा हो जाता है । उसमें तो सरकार से नाराज हो कर लोगों ने इस्तीफा दिया और जब तक उस पर कोई बात नहीं होती तब तक अगर आपने परामर्शदात्री समिति का स्थान ले लिया तो आप सोचें कि हम लोगों के लिये कितनी कठिनाई हो जाती है ।

श्री अध्यक्ष—दो बातें मैं निवेदन कर दूं । परामर्शदात्री समिति का निर्माण मैंने किया है । आपकी लड़ाई सरकार से है, मुझसे तो नहीं है । तो आप कैसे इस्तीफा दे सकते हैं । यह मैं गलत समझता हूं । और किसी दिन माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनसे बातचीत कर लूं । दूसरी बात यह है कि हम कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं . . . .

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—इस्तीफा इसलिये दिया था कि बिना आपकी और सदन की राय के सरकारी पक्ष ने विधेयक प्रस्तुत किया और समय का बंटन किया । इसलिये हमने विरोधस्वरूप इस्तीफा दिया और आज भी उनकी वही कार्यवाही जारी है ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, आपके नेता से मैं बातचीत कर लूंगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नरूप में विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ)

***पक्ष में—१३५**

अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्ननगुरु)
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशुना, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गेंदासिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री

*२० अगस्त, १९६२ को माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार श्री पंचम का नाम पक्ष तथा विपक्ष दोनों सूचियों से निकाल दिया गया ।

चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
जगदीश, श्री
जगन्नाथ, राव श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्योधन, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंह नारायण, पांडेय श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
परमाई, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
बंशीलाल, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतसिंह, श्री
बाँकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बेदराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मेवालाल, श्री
मैनेजर, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर, त्रिपाठी श्री
रामचरणशाह, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर, पांडेय श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयपालसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

सत्यनारायण पाँडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियारामगंगवार, डाक्टर
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजन, श्री
सुरजलाल, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

विपक्ष में--२११

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानीमिश्र, श्रीमती
कल्याण राय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंहविष्ट, श्री
गणेशचन्दकाछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलालजाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसादरावत, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगननाथ चौधरी, श्री

जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायणत्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालकरवरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाँडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंहविष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पाँडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पातीराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बिशनलालयादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगौतीदीन, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकाँतसिंह, श्री

रमशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनार्थासिंह, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामश्रधीनसिंह, श्री
रामश्रनन्त पाँडेय, श्री
रामश्रवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोरवर्मा, श्री
रामकुमारशास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाँडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाँडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
सुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्तकांडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री

हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और २० अगस्त को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३२ मिनट पर सोमवार, २० अगस्त, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१३ अगस्त, १९६२।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१२८ एल० ए०—१९६२—८४५।